रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2003/भाद्र 21, 1925
No. 445] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2003/BHADRA 21, 1925

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 738(अ).— केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

अध्याय -1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--**
 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 है ;
 (2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं :--** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 (क) "अधिनियम" से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) अभिप्रेत है ;
 (ख) "प्राधिकरण" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
 (ग) "अध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
 (घ) "फीस" से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्ररूप" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) "राजपत्र" से भारत सरकार का राजपत्र अभिप्रेत है ;

(छ) "जरनल" से प्राधिकरण का मासिक जरनल अभिप्रेत है ;

(ज) "अशासकीय सदस्य" से किसी पदेन सदस्य से भिन्न प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(झ) "सूचना" से अधिनियम के अधीन अधिकरण या रजिस्ट्रार या प्राधिकरण द्वारा जारी की गई "सूचना" अभिप्रेत है ;

(ञ) "रजिस्ट्रार" से धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त पौधा किस्म रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस धारा की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त पौधा किस्म महारजिस्ट्रार भी है ;

(ट) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ठ) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(ड) "अभ्यावेदन" से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में प्राधिकरण अथवा रजिस्ट्रार को संबोधित कोई लिखित संसूचना अभिप्रेत है ;

(ढ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **दी जाने वाली विशिष्टियों का ब्यौरा**

आवेदन या अभ्यावेदन करते समय :-

(1) अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूपों के मामले के सिवाय, इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन कोई आवेदन या अभ्यावेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में विशिष्टियां देगा ।

(2) यदि कोई आवेदन या अभ्यावेदन पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुसंगत प्ररूपों में यथाविनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियां दिए बिना फाइल किया गया है तो, यथास्थिति,

प्राधिकरण या रजिस्ट्रार आवेदक या उस व्यक्ति को, जिसने आवेदन या अभ्यावेदन फाइल किया है, ऐसी विशिष्टि फाइल करने के लिए एक मास की सूचना देगा ।

(3) वह आवेदक या व्यक्ति, जिसने, यथास्थिति, आवेदन या अभ्यावेदन फाइल किया है, यथास्थिति, आवेदन या अभ्यावेदन को उपनियम (2) की सूचना के निबंधनानुसार यथाअनुज्ञात एक मास की अवधि के भीतर ठीक करने में व्यतिक्रम करता है या असफल रहता है तो ऐसा आवेदन या अभ्यावेदन आगे और कोई सूचना दिए बिना नामंजूरी के लिए दायी होगा ।

(4) जहां किसी प्रयोजन के लिए कोई प्ररूप इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, वहां आवेदक पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट यथाशक्य निकटतम प्ररूप ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों, जो आवश्यक समझे जाएं, के साथ अपना सकेगा ।

4. **प्राधिकरण का कार्यालय :-**

(1) अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए, प्राधिकरण का, कार्यालय, यथास्थिति, नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय या शाखा कार्यालय होगा, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर-

(क) पौधा किस्म या कृषक अधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक के कारबार का मुख्य स्थान या अधिवास है ; या

(ख) यदि आवेदन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में संयुक्त रूप में किया जाता है, तो पौधा किस्म या कृषक अधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक जिसका नाम आवेदन में पहले उल्लिखित है, निवास करता है या उसके कारबार का मुख्य स्थान है या अधिवास है ; या

(ग) रजिस्ट्रीकृत संवर्धक के अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी का कारबार प्रधान स्थान है या उसका अधिवास है ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब तक शाखा कार्यालय स्थापित नहीं किए जाते हैं, तब तक अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए समुचित कार्यालय नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय होगा ।

5. सूचना, आदि की तामील के लिए पता

(1) आवेदक सहित ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी किसी कार्यवाही से संबद्ध है जिसे यह अधिनियम या ये नियम लागू होते हैं, प्राधिकरण या रजिस्ट्रार को भारत में तामील के लिए पूरा पता भेजेगा और वह पता ऐसी कार्यवाहियों या अनुदत्त अधिकारों से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए, कार्यवाहियों में व्यक्ति या व्यक्तियों के पते के रूप में माना जाएगा ।

(2) जब तक ऐसा पता नहीं दिया जाता है तब तक प्राधिकरण या रजिस्ट्रार या तो कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होने या किसी कार्यवाही को करने या कोई सूचना भेजने के लिए, जो अधिनियम या इन नियमों के अधीन दी जानी अपेक्षित हो, बाध्य नहीं होगा ।

6. आवेदन, अभ्यावेदन और सूचनाओं के जारी किए जाने के संबंध में प्रक्रिया.

(1) प्रत्येक आवेदन या अभ्यावेदन उस आवेदक या व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षर करके भेजेगा जिसने अभ्यावेदन किया है और रजिस्ट्रार या प्राधिकरण को, उसके कार्यालय में पहुंचाया जाएगा ।

(2) आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के नाम तथा पते पूर्ण रूप से उनकी राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ दिए जाएंगे जो उनकी पहचान के लिए और उन्हें संसूचनाएं भेजने के लिए आवश्यक हों ।

(3) (क) अधिनियम या नियमों के अधीन फाइल किए गए या फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी आवेदन, अभ्यावेदन और दस्तावेज तीन प्रतियों में फाइल किए जाएंगे :

परन्तु ऐसे मामलों में, जहां रजिस्ट्रार या प्राधिकरण ऐसे आवेदनों, अभ्यावेदनों या दस्तावेजों की तीन प्रतियों से अधिक प्रतियों की अपेक्षा करते हैं वहां ऐसा आवेदक या व्यक्ति, जिसने आवेदन या अभ्यावेदन फाइल किया है

उतनी प्रतियों का उपलब्ध कराएगा जितनी प्राधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(ख) तीन मास की अवधि के भीतर अपेक्षित संख्या में प्रतियों को भेजने में असफल रहने की दशा में रजिस्ट्रार या प्राधिकरण आवेदन या अभ्यावेदन को खारिज कर सकेगा, आवेदन या अभ्यावेदन को वापस लिया गया मान सकेगा ।

(4) प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजे जाने के लिए या फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई आवेदन, अभ्यावेदन या दस्तावेज दस्ती तौर पर या रसीद सहित रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा प्राधिकरण या रजिस्ट्रार को उनके कार्यालय में सम्बोधन करके भेजा जा सकेगा।

(5) यदि कोई आवेदन या अभ्यावेदन या दस्तावेज प्राधिकरण या रजिस्ट्रार को दस्ती तौर पर भेजा जाता है तो प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा उनकी मोहर के साथ एक पावती रसीद जारी की जाएगी ।

(6) रसीदी सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा भेजे जाने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि वह उसी समय फाइल किया गया है या उस समय किया गया है जब उसे सम्बद्ध कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया है ।

(7) किसी आवेदक या इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के धारक को सम्बोधित कोई लिखित संसूचना इस अधिनियम के अधीन रखा गया पौधा किस्म के रजिस्टर में उसके पते पर या अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में नियम 5 के अधीन तामील के लिए दिए गए पते पर या आवेदन या विरोध की सूचना या उत्तर या प्रतिउत्तर या किसी ऐसे अभ्यावेदन में दिए गए पते पर उचित रूप से भेजी गई उपधारित की जाएगी :

परंतु उन मामलों में जहाँ अभ्यावेदन या आवेदन की प्राप्ति में वितरण या पारेषण की सामान्य अवधि से अधिक विलंब हुआ है वहाँ ऐसे विलंब को माफ किया जा सकेगा ।

(8) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी आवेदक या अधिकार के किसी धारक को सम्बोधित सभी सूचनाएं और लिखित संसूचनाएं और आवेदक या अधिकार के धारक या किसी विरोधकर्ता को भेजे गए सभी दस्तावेज सिवाय तब के जब

वे विशेष संकेत द्वारा भेजे जाते हैं, रजिस्ट्रीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा भेजे जाएंगे ।

(9) (क) सम्बद्ध कार्यालय द्वारा जारी पावता रसीदी या डाक प्रमाणपत्र रसीद अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी दस्तावेज के संवितरण या भेजे जाने का पर्याप्त सबूत होगा ।

(ख) इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा पारेषण के मामले में आवेदक ऐसे आवेदक या व्यक्ति द्वारा जिसने अभ्यावेदन किया है, मान्यताप्राप्त अंकीय चिन्हांकन सहित इलेक्ट्रानिक रसीद का सबूत होगा ।

7. कतिपय मामलों में आवेदन का स्वीकार न किया जाना -

उसी व्यक्ति द्वारा किए गए पूर्ववर्ती आवेदन में, आवेदन के अंतर्गत पहले से ही अन्तर्विष्ट विषय वस्तु को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई आवेदन या अभ्यावेदन प्राधिकरण या रजिस्ट्रार को ही किया जाएगा और ऐसा पश्चात्वर्ती आवेदन, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

8. फीस -

(1) पौधा किस्मों के रजिस्ट्रीकरण और इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के अनुदान या कोई आवेदन या किसी आवेदन या विरोध की सूचना या अधिनियम के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित उत्तर या प्रतिउत्तर और अन्य मामलों की बाबत संदेय फीस की रकम दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार होगी ।

(2) (क) संदेय फीस या तो नकद रूप में संदत्त की जा सकेगी या यथास्थिति प्राधिकरण या रजिस्ट्रार या उनके संबंधित कार्यालयों को संदेय मनी आर्डर या पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट या चैक द्वारा, जो कार्यालय के स्थान पर किसी अनुसूचित बैंक पर आहरित हो, भेजी जा सकेगी ।

स्पष्टीकरणः इन नियमों के प्रयोजनों के लिए "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत है ।

(ख) कोई चैक या ड्राफ्ट (इसके अन्तर्गत नकद रूप में फीस नहीं है) जिस पर उसमें विनिर्दिष्ट मूल्य फीसों के संदाय के लिए अनुज्ञात समय सीमा के भीतर नकद संग्रहण नहीं किया जा सकता, रजिस्ट्रार के विवेक पर स्वीकार किया जाएगा ।

(ग) इन नियमों के अधीन संदेय किसी फीस के संदाय में स्टाम्प नहीं लिए जाएंगे ।

(घ) जहाँ किसी दस्तावेज या आवेदन या अभ्यावेदन के फाइल किए जाने की बाबत कोई फीस संदेय है वहाँ वह तारीख जिसको सम्पूर्ण फीस का संदाय किया जाता है, दस्तावेज या अभ्यावेदन फाइल किए जाने की तारीख होगी ।

(3) जहाँ इन नियमों में से किसी के अधीन कोई परीक्षण किया जाना अपेक्षित है वहाँ आवेदक या सम्बद्ध व्यक्ति **दूसरी अनुसूची** में विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस का संदाय करेगा ।

(4) फीस का संदाय न करने के कारण कोई आवेदन या अभ्यावेदन या दस्तावेज अस्वीकार कर दिए जाने के लिए दायी होगा और तब तक कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा जब तक हितबद्ध पक्षकार दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस की अपेक्षित रकम जमा नहीं करा देते हैं ।

9. दस्तावेजों का आकार आदि -

प्राधिकरण के कार्यालय को या रजिस्ट्रार को अन्यथा भेजे गए या सौंपे गए सभी दस्तावेज और दस्तावेजों की प्रतियां, शपथ पत्र और रेखाचित्रों को छोड़कर, बड़े और साफ अक्षरों में गहरी, अमिट स्याही से लिखित, टंकित, लिथोग्राफ किए गए या मुद्रित रूप में (या तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में जब तक प्राधिकरण या महा रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा रूप में निदेशित या अनुज्ञात न किया गया हो) होंगे और ये लगभग 33.00 सेंटीमीटर गुणा 20.50 सेंटीमीं (13 इंच गुणा 8 इंच) या 29.7 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर (11 3/4 इंच गुणा 8 1/4 इंच) आकार के मजबूत सफेद मोटी लाइनों वाले कागज के केवल एक ओर होंगे और उसके बाईं ओर के भाग पर कम से कम 4 सेंटीमीटर (डेढ़ इंच) का मार्जिन होगा ।

10. शपथ पत्रः-

इन नियमों के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों के नीचे तारीख और हस्ताक्षर होंगे और यह विवरण होगा कि उसमें दिए गए तथ्य और विषय शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

अध्याय 2

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

11. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीतिः-

(1) अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पेनल के आधार पर की जाएगी, अर्थात् :-

(क) सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार - अध्यक्ष

(ख) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार - सदस्य

(ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ - सदस्य

(2) केन्द्रीय सरकार का कृषि और सहकारिता विभाग अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति के लिए केन्द्रक विभाग के रूप में कार्य करेगा ।

(3) अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव की रैंक का होगा और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति पर होगी या संविदा आधार पर होगी ।

(4) यदि उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति किसी ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करती है जो सरकारी सेवक नहीं है किन्तु धारा 3 की उपधारा (5) के खंड (क) में दी गयी अर्हताएं पूरी करता है तो ऐसी नियुक्ति संविदा आधार पर की जा सकती है ।

12. अध्यक्ष की पदावधि -

अध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और वह अपनी नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परंतु कोई अध्यक्ष कुल दस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक इनमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

13. अध्यक्ष के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधिः-

अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्तों, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं ।

14. कतिपय दशाओं में अध्यक्ष का पद से त्यागपत्र या हटाया जानाः-

IndiaCode

(1)अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ।

(2)केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष को तब पद से हटा सकेगी जब वह-

(क) दिवालिए के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है या किसी समय रहा है ;

(ख) ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;

(घ) अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहा है ;

(ङ) ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जो उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है ;

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है;

(छ) ऐसा कोई अन्य सारवान आधार जो भारत सरकार के अधीन लोकहित सेवक के लिए अशोभनीय है।

परंतु अध्यक्ष इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

15. अशासकीय सदस्यों की पदावधि और भत्ते:

(1) प्राधिकरण का प्रत्येक अशासकीय सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार अशासकीय सदस्य की पदावधि की समाप्ति के छह मास के भीतर प्राधिकरण के नए अशासकीय सदस्य की नियुक्ति करेगा ।

(3) अशासकीय सदस्य बैठक भत्ते और यात्रा व्यय के लिए ऐसी दर पर हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर नियत की जाए ।

16. प्राधिकरण की कार्यवाही:-

(1) प्राधिकरण वर्ष में कम से कम दो बार मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, अधिवेशन करेगा ।

(2) अध्यक्ष प्राधिकरण के पांच से अन्यून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या केन्द्रीय सरकार के निदेश पर प्राधिकरण का विशेष अधिवेशन बुलाएगा ।

(3) सदस्यों को, प्रयोजन, समय और स्थान, जहाँ ऐसा अधिवेशन होना है, विनिर्दिष्ट करते हुए साधारण अधिवेशन के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना और विशेष अधिवेशन के लिए तीन दिन की सूचना दी जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी जो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा ।

(5) प्राधिकरण का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

(7) प्राधिकरण के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति पांच होगी ।

(8) कोई सदस्य अधिवेशन में विचार के लिए किसी ऐसे विषय को प्रस्तुत करने हकदार नहीं होगा, जिसकी उसने सदस्य, सचिव को दस दिन की सूचना नहीं दी है जब तक कि अध्यक्ष ने अपने विवेक से ऐसा करना अनुज्ञात न कर दिया हो ।

(9) सदस्यों को अधिवेशन की सूचना उसे संदेय संदेश वाहक द्वारा या उसे उसके अंतिम निवास स्थान या कारबार के स्थान पर भेजी जा सकती है या ऐसी अन्य रीति में जो अध्यक्ष या सदस्य-सचिव मामलों की परिस्थितियों में ठीक समझते हैं ।

17. स्थायी समिति का अध्यक्ष और उसकी कार्यवाहियां-

(1) अध्यक्ष धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा नियुक्त स्थायी समिति के किसी सदस्य को उस समिति के सदस्यों में से चयन करेगा जो उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

IndiaCode

(2) उपानेयम (1) के अधीन चयनित सदस्यो के अभाव में स्थायी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा ।

(3) स्थायी समिति के अधिवेशन में विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और बराबर मत होने की दशा में, उपनियम (1) के अधीन चयनित सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में, अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा ।

(4) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

(5) स्थायी समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति तीन होगी ।

(6) स्थायी समिति का संयोजक, प्राधिकरण के परामर्श से भारत में कहीं भी उसके अधिवेशनों के स्थान को अवधारित कर सकेगा और ऐसे अधिवेशन की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सभी सदस्यों को तामील करेगा ।

18. प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति:-

(1) प्राधिकरण ऐसे विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह तकनीकी क्षेत्रों में, जिनमें विशिष्ट सलाह की आवश्यकता है, मार्गदर्शन और सहायता के लिए आवश्यक समझता है जिससे प्राधिकरण अपने कर्तव्यों और कृत्यों के दक्ष निर्वहन करने में समर्थ हो सके ।

(2) प्राधिकरण अपने कर्तव्यों और कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसी अन्य समितियाँ जो आवश्यक हों नियुक्त कर सकेगी ।

(3) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को संदेय पारिश्रमिक के मात्रा नियत कर सकेगी ।

19. महा रजिस्ट्रार का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें :-

(1) महा रजिस्ट्रार भारत सरकार के अपर सचिव की रैंक के तुल्य पदधारी होगा और वह प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्ति का स्थानांतरण या संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

IndiaCode

(2) महा रजिस्ट्रार अपने वेतन और अन्य भत्तों की बाबत जिसके अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी, यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं, भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय दरों पर केन्दीय सरकार के नियमों द्वारा शासित होगा ।

(3) महा रजिस्ट्रार ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रमाणित प्रबंधकीय या विधिक या बौद्धिक सम्पदा अधिकार या कृषि विकास संबंधी अनुभव रखता हो ।

(4) महा रजिस्ट्रार की पदावधि पांच वर्ष की अवधि की होगी या जब तक वह साठ वर्ष की आयु पूरी करता है, इनमें जो भी पूर्वतर हो, होगी:

परंतु कोई अभ्यर्थी जिसका पद-कार्यकाल कम से कम दो वर्ष न रहता हो, महा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(5) महा रजिस्ट्रार के रूप में एक अवधि को पूरा करने पर, दूसरी तीन वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, पात्र होगा ।

20. प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीतिः

(1) प्राधिकरण चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के पदों पर भर्ती और नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण रोजगार समाचार में और कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक में पदों को विज्ञापित करने के पश्चात् सीधी भर्ती की रीति द्वारा या संविदा के आधार पर साक्षात्कार करने के पश्चात् चयन द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती कर सकेगा ।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके द्वारा स्थानांतरण पर या प्रतिनियुक्ति आधार पर या संविदा आधार पर अपेक्षित हो ।

(4) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के सेवको को लागू होती हैं ।

IndiaCode

(5) प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा शर्तों के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

21. **अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य -**

(1) अधिनियम में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त, अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलाप के संचालन और प्रबंधन में साधारण अधीक्षण और निदेशों की शक्तियां प्राप्त होंगी जिससे प्राधिकरण अपने कर्तव्य को प्रभावपूर्ण ढंग से निर्वहन करने में और अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमो और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन हो, की अंवेक्षा करने में समर्थ हो सके कर सके ।

(2) अध्यक्ष ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन भी करेगा जो प्राधिकरण उसे लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्रत्यायोजित करे या केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करे ।

(3) अध्यक्ष प्राधिकरण के अधिवेशनों को बुलाएगा, उनकी अध्यक्षता और संचालन करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा लाए गए सभी विनिश्चयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) अध्यक्ष संवर्धकों, अनुसंधानकर्ताओं, कृषकों और कृषक समुदायों के ऐसे अधिकारों का, जो अधिनियम के अधीन उपबंधित हैं संरक्षण करते हुए नई पौधा किस्मों के विकास को मार्गदर्शित और सुकर बनाएगा ।

(5) अध्यक्ष रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्मों के अनिवार्य अनुज्ञापन के लिए अपने समाधानप्रद रूप में सुकर बनाएगा और कार्य करेगा और ऐसे रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्मों के सार्वजनिक उपयोग को निर्बंधित करने के लिए, जो उपनियम (4) के अधीन कार्रवाई की जा सके, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देगा ।

22. **प्राधिकरण के साधारण कृत्य-**

(1) प्राधिकरण धारा 29 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के संबंध में, विद्यमान किस्मों और कृषक की किस्मों से भिन्न नई पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के

प्रयोजनों के लिए जीन्स या जातियों को विनिर्दिष्ट और अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा ।

(2) प्राधिकरण धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन ऐसे अवधि के भीतर जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, ऐसी किस्मों की भिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् डीयूएस कहा गया है) देने के लिए उपयुक्त परीक्षण कसौटी के साथ विद्यमान किस्मों को रजिस्टर करेगा ।

(3) प्राधिकरण डीयूएस परीक्षण और अन्य परीक्षण कसौटी का विकास करेगा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों की प्रजातियों की प्रत्येक किस्म की विशेषता के लिए ऐसे परीक्षण आयोजित करेगा ।

(4) प्राधिकरण सर्वज्ञात सभी किस्मों का, जिसके अंतर्गत सभी रजिस्ट्रीकृत विद्यमान और कृषकों की किस्में तथा ऐसी किस्में हैं जो भारत के बाहर ऐसी प्रजातियों से संबंधित नई किस्मों के लिए रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने से पूर्व प्रत्येक फसल प्रजातियों के लिए उगाई जाती, पर डेटा बेस को संकलित करेगा और उसे रखेगा ।

(5) प्राधिकरण देश में उपयोग की जाने वाली किसी फसल किस्म के ब्यौरे को उसे अपने डेटाबेस में सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए मंगाने और उपाप्त करने का हकदार होगा ।

(6) कोई लोक या प्राइवेट संस्था समुदाय या व्यष्टिक, जो ऐसी किस्मों के बीज के उत्पादन और उपयोग में लागू हुआ है, ऐसी किस्म के बीज की उसकी विशेषता के साथ जानकारी और सही नमूना उपलब्ध कराएगा ।

(7) प्राधिकरण सभी रजिस्ट्रीकृत किस्मों के बीज के उत्पादन और विक्रय का अभिलेख रखेगा ।

(8) रजिस्ट्रीकृत किस्मों के सभी संवर्धकों के लिए प्राधिकरण को ऐसी रजिस्ट्रीकृत अवधि के पूरा होने से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर वार्षिक बीज उत्पादन और विक्रय पर प्रमाणित आंकडे भेजना आवश्यक होगा ।

(9) प्राधिकरण यदि अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट रूप से देश के किसी क्षेत्र से संबंधित ऐसे आंकड़े मंगाने का भी हकदार होगा ।

23. पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में सम्मिलित किए जाने वाले विषय-

पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत किस्म की निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :–

(1) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ;

(2) सवंर्धक(कों) की राष्ट्रीयता ;

(3) अभिधान जैसा मंजूर किया गया है ;

(4) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने की तारीख ;

(5) वह तारीख जब आवेदन प्राप्त किया गया था ;

(6) आवेदन को दिया गया अनंतिम संख्यांक ;

(7) राजपत्र में अधिसूचना की तारीख ;

(8) पौधा किस्म (नई, विद्यमान या कृषक) का समूह ;

(9) किस्म का वर्गीकरण (विशिष्ट किस्म, संकर किस्म या आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म) ;

(10) किस्म का अभिधान, सामान्य फसल नाम, जिससे किस्म संबंधित है, वनस्पतिक नामों में फसल की वर्गिकी वंशावली ;

(11) किस्म की पासपोर्ट डाटा ;

(12) किस्म को विशिष्ट बनाने वाली आवश्यक विशेषता ;

(13) संरक्षण की आरंभिक तारीख ;

(14) संरक्षण की समाप्त होने वाली तारीख ;

(15) अन्य ब्यौरों के साथ (आधार आदि) प्रतिसंहरण की तारीख ;

(16) आवेदक(कों) का नाम और पता ;

IndiaCode

(17) दस्तावेजों के तामील के लिए पता ;

(18) संवर्धक (कों) का नाम और पता (जहां संवर्धक आवेदक नहीं है) ;

(19) विधिक प्रतिनिधि का नाम और पता (यदि लागू हो) ;

(20) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता और अन्य ब्यौरे तथा अनुज्ञप्ति के निबंधन (यदि लागू हो) ;

(21) अधिकारिता अधिकारों के साथ अभिकर्ता का नाम, पता और अन्य ब्यौरे, यदि कोई हो (यदि नियुक्त किए गए हों) ;

(22) फसल का प्रकार ;

(23) कुल, वंश, जाति, किस्म का नाम और सामान्य नाम ;

(24) आरंभिक किस्म के संवर्धक का नाम और पता (आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म के मामले में) ;

(25) प्रजनक सामग्री/बीजों के अर्जन के ब्यौरे (यदि लागू हो) ;

(26) विकास में प्रयुक्त मूल सामग्री के ब्यौरे (यदि लागू हो) ;

(27) आनुवंशिक सामग्री के वितरक(कों) का नाम और पता (यदि लागू हो) ;

(28) प्राधिकरण या महारजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य लक्षण ;

(29) पौधा किस्म का मूल देश ;

(30) डीयूएस परीक्षणों के परिणामों सहित निकटतम किस्म के विशिष्ट ब्यौरों सहित किस्म का संक्षिप्त विवरण जिसे रेखाचित्रों या फोटोग्राफ या दोनों के साथ दिया जाए ;

(31) अनिवार्य अनुज्ञप्ति के मामले में अनुज्ञप्तिधारी का अन्य ब्यौरों के साथ नाम और पता (निबंधन और शर्तें, प्रतिसंहरण आदि) यदि लागू हों ;

(32) किस्म को परित्याग करने की घोषणा और ब्यौरा (यदि लागू हो) ;

(33) फायदा में हिस्सेदारी का ब्यौरा ;

IndiaCode

(34) विरोध, प्रतिसंहरण, प्रत्यावर्तन, रख-रखाव का ब्यौरा (जहां लागू हों) ;

(35) देश में रजिस्ट्रीकरण से पूर्व भारत के बाहर संवर्धित किस्मों के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी, अर्थात् :--

(क) देश(शों) के नाम, जहां संरक्षण दिया गया है , उनमें से प्रत्येक में किस्म के अभिधान के साथ,

(ख) देश के साथ पहले संरक्षण की तारीख,

(ग) पहले फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण विशेषता में अंतर,

(घ) तारीख के साथ देश, जहां किस्म का पहले वाणिज्यीकरण किया गया था,

(ङ) प्राधिकरण या महारजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई लक्षण ;

(36) अभिसमय किसी आवेदन के मामले में निम्नलिखित सूचना भी दी जाएगी, अर्थात् :--

(क) अभिसमय देश का नाम

(ख) अभिसमय की अवधि का पासपोर्ट डाटा

(ग) आवेदन की तारीख

(घ) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने की तारीख

(ङ) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

(च) समुदाय जो स्वीकार किया गया है

(छ) राजपत्र अधिसूचना की तारीख

(ज) संरक्षण की आरंभिक तारीख

(झ) संरक्षण की समाप्ति की तारीख

IndiaCode

(ञ) क्या किस्म का देश के भीतर या देश के बारह विक्रय किया गया है या अन्यथा व्ययनित की गई है यदि, ऐसा हो तो उसका ब्यौरा

(37) किसी प्रविष्टि में किया गया कोई परिवर्तन ।

अध्याय 3
पौधा किस्म का रजिस्ट्रीकरण

24. धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन विद्यमान पौधा किस्मों का रजिस्ट्रीकरण -

रजिस्ट्रार अधिनियम के अधीन उसकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रत्येक विद्यमान किस्म को रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र जीन्स और किस्म से संबंधित विनियमों में यथाअधिकथित भिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व की कसौटी का अनुसरण करने के अधीन रहते हुए रजिस्टर करेगा :

परन्तु रजिस्ट्रार तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् विद्यमान किस्म के कारणों को अभिलिखित करते हुए रजिस्टर कर सकेगा ।

25. धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन किसी किस्म को रजिस्टर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए आवेदन-

धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन किसी किस्म को रजिस्टर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए आवेदन पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप पी.वी.-1 में उस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

26. पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन संदेय फीस-

धारा 14 के अधीन किसी पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए ऐसी फीस, जो उस प्रयोजन के लिए दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट की जाए, होगी ।

27. धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन करने के अधिकार का सबूत-

(1) जहां धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संवर्धक के उत्तराधिकारी या समनुदेशिती द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन किया गया है वहां वह ऐसे आवेदन को करने के समय या ऐसा आवेदन करने के छह मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसा आवेदन करने के अधिकार की बाबत दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करेगा ।

(2) समनुदेशन के मामले में दस्तावेजी सबूत पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप पी.वी.-2 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा और उत्तराधिकार के मामले में ; आवेदक का उत्तराधिकारी के रूप में साबित करने वाला, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या उत्तराधिकार के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा ।

28. धारा 19 के अधीन परीक्षण करने की फीस-

इस प्रयोजन के लिए आवेदक धारा 19 के अधीन अपेक्षित परीक्षण करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस जमा करेगा ।

29. धारा 19 के अधीन परीक्षण करने के लिए रीति और ढंग-

(1)(क) प्राधिकरण प्रत्येक किस्म के डीयूएस परीक्षण और विशेष परीक्षण करने के लिए पृथक फीस प्रभारित करेगा ।

(ख) विशेष परीक्षण केवल तभी किए जाएंगे जब डीयूएस परीक्षण भिन्नता की अपेक्षा को स्थापित करने में असफल रहता है ।

(ग) डीयूएस परीक्षण कम से कम दो फसल मौसमों के लिए क्षेत्रीय और बहुस्थानीय आधारित और विशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला आधारित होंगे ।

(घ) डीयूएस और विशेष परीक्षणों के लिए फीस इस प्रयोजन के लिए दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथाउपबंधित के अनुसार होगी ।

(2) यदि रजिस्ट्रार का, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की आरंभिक छानबीन के पश्चात, यह समाधान हो जाता है कि आवेदन उचित रूप में है तो वह डीयूएस परीक्षण करने के लिए दो मास की अवधि के भीतर आवेदक को दूसरी अनुसूची में स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस जमा करने के लिए अधिसूचित करेगा ।

(3) रजिस्ट्रार उपनियम (1) के अधीन मांगी गई फीस की प्राप्ति पर आवेदन को आगे कार्रवाई करने के लिए विचार करेगा ।

(4) डीयूएस परीक्षण आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म को छोड़कर सभी नई किस्मों के लिए आवश्यक होगा ।

(5) आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्मों के परीक्षण की रीति प्रत्येक मामले के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

(6) डीयूएस परीक्षण कम से कम दो अवस्थानों पर किया जाएगा ।

(7) प्राधिकरण ऐसे परीक्षण करने के लिए देश में डीयूएस या विशेष परीक्षण करने के लिए प्राप्त सुविधाएं रखने वाली संस्थाओं को मान्यता दे सकेगा और उनके पैनल बना सकेगा ।

(8) प्राधिकरण डीयूएस और विशेष परीक्षण करने के लिए अपनाए गए ढंगों को अधिसूचित करेगा ।

(9) प्राधिकरण प्रत्येक फसल के लिए डीयूएस परीक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करेगा और अपने जरनल में उन्हें प्रकाशित करेगा ।

(10) ऐसे बीजों या प्रोपेगूलेस के नमूने जिनकी बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है और डीयूएस तथा विशेष परीक्षणों के लिए रजिस्ट्रीकरण के अधीन मूल बाध्यताएं प्रस्तुत कर दी गई हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय जीन्स बैंक में जमा कर दिया गया है, आनुवांशिक शुद्धता और एकरूपता तथा अंकुरण के अनुरक्षणीय मानक स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानक प्रस्तुत करेंगे ।

30. धारा 21 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का विज्ञापन देना-

(1) ऐसी किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन जिन्हें स्वीकृत कर लिया गया है और जिनके अंतर्गत विनिर्देश भी हैं धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार स्वीकार किए जाने पर रजिस्ट्रार द्वारा तीसरी अनुसूची के प्ररूप- 0-1 में विनिर्दिष्ट रीति में विज्ञापित किए जाएंगे ।

(2) रजिस्ट्रार उपनियम (1) के अधीन ऐसे प्रत्येक विज्ञापन में उस स्थान या स्थानों का उल्लेख करेगा जहां किसी किस्म के नमूने का निरीक्षण किया जाए ।

(3) ऐसे विज्ञापन की विषयवस्तु में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(क) उस किस्म, जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, को विकसित करने के लिए प्रयुक्त मूल बाध्यता या आरंभिक किस्म का नाम पासपोर्ट डाटा और स्रोत,

(ख) किस्म का वर्णन जिसमें डीयूएस परीक्षण अनुसूची के अधीन यथाविनिर्दिष्ट इसकी विशेषता की रूपरेखा स्पष्ट हो,

(ग) किस्म की विशिष्टियां प्रस्तुत करने वाली आवश्यक विशेषताएं,

(घ) किस्म के महत्वपूर्ण कृषि विज्ञानी और वाणिज्यिक विशेषताएं ।

(ङ) किस्म के आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ अथवा रेखाचित्र, यदि कोई हों, और

(च) किस्म संबंधी दावा, यदि कोई हो ।

31. धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन विरोध का नोटिस -

(1) कोई हितबद्ध व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर किसी पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के विरोध का पहली अनुसूची के प्ररूप पी.वी.-3 में नोटिस दे सकेगा ।

(2)उपनियम (1) में निर्दिट कोई विरोध फाइल करने के लिए संदेय फीस वह होगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु किसी कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा ग्रामीण समुदायों द्वारा किए गए विरोध के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(3) किसी विशिष्ट आवेदन के विरुद्ध प्राप्त विरोध के प्रत्येक नोटिस की प्रतिलिपि, विरोध फाइल करने की अन्तिम तारीख से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) कोई आवेदन विरोध के नोटिस की तामील की तारीख से दो मास के भीतर विरोध का मुद्देवार प्रतिकथन प्रस्तुत करने का हकदार होगा, जिसके न हो सकने पर रजिस्ट्रार विरोध के गुणागुण विनिश्चित करेगा और इसके लिए कारण देते हुए अपना विनिश्चय अधिसूचित करेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक प्रतिकथन, पहली अनुसूची के प्ररूप पी.वी.-4 में होगा ।

(6) आवेदक द्वारा उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई विरोध के प्रतिकथन की प्रतियां, इसके प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर, आवेदन का विरोध करने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी, जिसमें आवेदक की ओर से प्रतिकथन के तामील की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर विरोध करने वाले व्यक्ति को अन्तिम विरोध प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

(7) रजिस्ट्रार, अपने विवेकानुसार, किसी त्रुटि के सुधार अथवा विरोध के नोटिस अथवा प्रतिकथन में संशोधन अनुज्ञात कर सकेगा यदि संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे परिवर्तन के लिए लिखित रूप से अनुरोध किया जाता है ।

(8) (क) धारा 21 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट प्रतिभूति उस किसी रकम के रूप में, जो प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाए, संदेय होगी ।

(ख) यदि विरोध में तुच्छपन पाया जाता है, तो रजिस्ट्रार उसके द्वारा अवधारित खर्चों की रकम प्राप्त प्रतिभूति रकम में से आवेदक को संदाय करने का निदेश दे सकेगा और प्रतिभूति की अतिशेष रकम का प्राधिकरण में निक्षेप किया जाएगा ।

(ग) विरोधी के सफल होने की दशा में, प्रतिभूति रकम विरोधी पक्षकार को वापस कर दी जाएगी ।

32. समय सूची का अनुपालन -

इन नियमों के अधीन विज्ञापन, विरोध, प्रतिरक्षा, सुनवाई और विनिर्देश के संशोधन के लिए उपबन्धित समय सूची को बढ़ाया नहीं जाएगा और इस अनुसूची का अनुपालन करने में असफल रहने पर अनुदत्त अवसर समपहृत हो जाएगा ।

33. धारा 21 के अधीन विरोध का नोटिस, प्रतिकथन फाइल करने या साक्ष्य प्रस्तुत करने की रीति और समय-सीमा –

(1) कोई साक्ष्य, जिस पर विरोध पक्ष आश्रय ले सकेगा, रजिस्ट्रार को दो प्रतियों में आवेदक के प्रतिकथन की प्राप्ति से एक मास के भीतर आवेदक को एक प्रति सहित प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) कोई साक्ष्य, जिस पर आवेदक आश्रय ले सकेगा, रजिस्ट्रार को दो प्रतियों में विरोधी पक्ष का साक्ष्य प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर विरोधी को एक प्रति सहित प्रस्तुत किया जाएगा ।

IndiaCode

(3) रजिस्ट्रार की अनुमति या निदेशों के सिवाय, किसी पक्ष द्वारा कोई और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

(4) जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे, विरोधी पक्ष के नोटिस में या विरोध के संबंध में फाइल किए गए किसी प्रतिकथन में निर्दिष्ट पौधा किस्म आवेदन के सिवाय सभी दस्तावेजों की प्रतियां तीन प्रतियों में होंगी ।

(5) जहां कोई दस्तावेज अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है और नोटिस, कथन या साक्ष्य में निर्दिष्ट किया गया है या उसका आश्रय लिया गया है, उसका तीन प्रतियों में अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) साक्ष्य फाइल करने की समय-सीमा किसी व्यक्ति द्वारा समय बढ़ाने के लिए किए गए किसी आवेदन के संबंध में रजिस्ट्रार के किसी विशेष आदेश के सिवाय और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के सिवाय सामान्यतया बढ़ाई नहीं जाएगी और ऐसी अवधि बढ़ाए जाने के लिए कोई आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप -पीवी 5 में होगा ।

34. धारा 23 के अधीन आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन -

(1) आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे अर्थात् :-

(क) आवेदक द्वारा शपथ पर दिया गया कोई शपथ पत्र जिसमें यह कथन कि ऐसी किसी किस्म में कोई जीन या जीन अनुक्रम नहीं है जिसमें समापक प्रौद्योगिकी में अन्तर्वलित है.

(ख) किस्म की नवीनता, सुभिन्नता, एकरूपता तथा स्थिरता साबित करने के लिए विशेषताओं के संक्षिप्त वर्णन के ब्यौरे देते हुए कोई कथन, और

(ग) प्रयुक्त मूल सामग्री के ब्यौरे ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ इस प्रयोजन के लिए दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

35. धारा 23 के अधीन परीक्षण करने की रीति और पद्धति -

प्राधिकरण द्वारा धारा 23 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट परीक्षण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किया जाएगा ।

36. धारा 23 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र -

रजिस्ट्रार, आवेदक को आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किसी किस्म के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ -2 में निर्दिष्ट रीति में जारी करेगा और रजिस्ट्रीकरण एक प्रति प्राधिकरण को और अन्य किसी निकाय(यों) को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जानकारी के लिए भेजेगा ।

अध्याय - IV

रजिस्ट्रीकरण और फायदा अंशभाजन

37. धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र -

(1) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म से भिन्न किसी पौध किस्म के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-2 में होगा ।

(2) रजिस्ट्रार धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सभी अन्य अपेक्षाओं के पूरा होने के अध्यधीन रहते हुए आवेदन फाइल किए जाने के तीन वर्ष के भीतर जारी करेगा ।

(3) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्राधिकरण और ऐसे अन्य निकाय या अभिकरण को भेजी जाएगी, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

IndiaCode

38. धारा 24 के अधीन आवेदक को नोटिस -

(1) यदि, आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किसी किस्म से भिन्न किसी पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन धारा 24 की उपधारा (3) में दी गई परिस्थितियों में 12 मास की अवधि के भीतर, पूरा नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, आवेदक को उसके भारत में कारबार के पते के मूल स्थान पर या भारत में उसके कारबार का कोई मूल स्थान नहीं है, तो आवेदन में कथित भारत में पते पर तीस दिन का नोटिस तामील के लिए भेजेगा, किन्तु यदि आवेदक ने आवेदन के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत किया है तो, नोटिस अभिकर्ता को भेजा जाएगा और उसकी द्वितीय प्रति आवेदक को कोई आवेदन फाइल करने के लिए या ऐसे और समय के लिए, जो रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे, रजिस्ट्रीकरण पूरा करने के लिए भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन नोटिस दूसरी अनुसूची के प्ररूप में 3 होगा ।

39. धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण और पुनरीक्षण -

(1) (क) प्राधिकरण, आवेदक से आवेदन प्राप्त होने पर, धारा 24 की उपधारा (6) में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण की आरम्भिक अवधि का पुनर्विलोकन या नवीकरण कर सकेगा ।

(ख) उपनियम (1) के अधीन पुनर्विलोकन और नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-6 में किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण की आरम्भिक अवधि के अवसान से पूर्व बारह से अठारह महीने के भीतर फाइल किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण की आरम्भिक अवधि के अधीन शेष वर्षों के लिए संदेय फीस, आवेदन की पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नियत दर पर बकाया सहित, यदि कोई हो, लगी होगी ।

IndiaCode

(2)(क) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की कुल संकलित अवधि की शेष अवधि के लिए या ऐसी शेष अवधि के भीतर किसी अवधि के लिए आवेदन किया जा सकेगा ।

(ख) यदि आवेदक कुल संकलित अवधि से कम अवधि के लिए आवेदन करता है, तो रजिस्ट्रीकरण के और नवीकरण के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(3)(क) यथास्थिति, वृक्षों और बेलों की दशा में नौ वर्ष और अन्य फसल किस्मों की दशा में छह वर्ष से परे रजिस्ट्रीकरण की ऐसी बढ़ाई गई अवधि के लिए संदेय फीस रजिस्ट्रीकरण की उक्त आरम्भिक अवधि के गत दो वर्षों के दौरान उद्गृहीत औसत वार्षिक फीस पर आधारित होगी ।

(ख) रजिस्ट्रीकरण की बढ़ाई गई अवधि के लिए वार्षिक फीस समान होगी और एक किस्त में अग्रिम रूप में संदेय होगी ।

(4) प्राधिकरण ऐसे अन्तरालों के भीतर जो वह समुचित समझे, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत और नवीकृत किस्मों की सूची, रजिस्ट्रीकरण की अवधि, सही धारकों के नाम और पते संबंधित विशिष्टियों सहित अपने जर्नल और राजपत्र में आवधिक रूप से प्रकाशित करेगा ।

40. धारा 26 के अधीन फायदा अंशभाजन के लिए दावा आमंत्रित करते हुए प्रमाण पत्र की अन्तर्वस्तु का प्रकाशन-

प्राधिकरण धारा 23 की उपधारा (8) या धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर अधिनियम के अधीन फायदा अंशभाजन के लिए दावा आमंत्रित करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रमाणपत्र के निम्नलिखित ब्यौरे विज्ञापित करेगा, अर्थात्:-

IndiaCode

(ख) उस आवेदक या संवर्धक का नाम और पता, जिसके नाम से प्रमाणपत्र जारी किया गया है या रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(ग) किस्म का मापमान;

(घ) परिवार, जाति, प्रजाति, किस्म और सामान्य नाम;

(ङ) किस्म की भौगोलिक अवस्थिति और मूल;

(च) सुभिन्न लक्षणों या विशेषताओं के ब्यौरे;

(छ) 'आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म ' की दशा में वह ' आरम्भिक किस्म' जिससे 'आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म ' के व्युत्पन्न किए जाने का दावा किया गया है;

(ज) अभिदाता का नाम और पता, अभिदान की प्रकृति और रकम या पौध किस्म के विकास में उपयोग किया गया सामुदायिक ज्ञान;

(झ) संवर्धक और अभिदाता के बीच किए गए करार के निबंधन और शर्तें, यदि कोई हों;

(ञ) यदि किस्म का विक्रय किया गया है या अन्यथा निबटान किया गया है तो, उसके ब्यौरे ।

41. धारा 26 के अधीन फायदा प्रभाजन दावा-

(1) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र की विशिष्टियां प्रकाशित किए जाने के पश्चात् कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या फर्म या गैर सरकारी संगठन पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी - 7 में फायदा अंशभाजन के लिए उस धारा की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर दावा कर सकेगा:

परंतु विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत छः मास की अवधि से परे समय बढ़ा सकेगा ।

(2) ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह फर्म या गैर सरकारी संगठन जिसने फायदा अंशभाजन के लिए आवेदन किया है, निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएगा, अर्थात्:-

(क) पौध किस्म के आनुवांशिक विकास में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या फर्म या समुदाय या गैर सरकारी संगठन द्वारा किया गया अभिदान ;

(ख) वह हैसियत, जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह फर्म या गैर सरकारी संगठन फायदा अंशभाजन के लिए दावा कर रहा है,

(ग) "आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्मों" की दशा में वे निबंधन और शर्तें जिनमें प्राधिकरण दिया गया है,

(घ) इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किस्म की वाणिज्यिक्धार्यता या वास्तविक विपणन निष्पादन,

(3) कोई आवेदक फायदा अंशभाजन के लिए **दूसरी अनुसूची** के स्तंभ (3) में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।

42. धारा 26 के अधीन फायदा अंशभाजन के लिए किसी दावे का विरोध-

(1) फायदा अंशभाजन के लिए किसी दावा की प्रति प्राप्त होने पर, पौध किस्म का रजिस्ट्रीकृत संवर्धक दावा स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार उसकी जानकारी ऐसी प्राप्ति की तारीख से, तीन मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को देगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट तीन मास की अवधि के भीतर पौधा संवर्धक के असफल रहने या उपनियम (1) के अधीन जानकारी देने में व्यतिक्रम होने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि उसका ऐसे दावे के संबंध में कोई विरोध नहीं है और तद्नुसार दावे का विनिश्चय किया जाएगा ।

(3) यदि दावे की सूचना प्राप्ति के तीन मास की अवधि के भीतर, पौध किस्म का संवर्धक, फायदा अंशभाजन के लिए दावे के संबंध में अपना विरोध फाइल करता है, तो ऐसे किसी विरोध पर फायदा अंशभाजन के लिए दावे का निबटारा करते समय या विनिश्चय करते समय विचार किया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन विरोध की प्रत्येक सूचना **पहली अनुसूची** के प्ररूप **पी वी - 8** में होगी ।

(5) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकृत संवर्धक से उत्तर प्राप्त होने पर, दावाकर्ता को ऐसे उत्तर की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(6) रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या फायदा अंशभाजन का दावाकर्ता ऐसे समर्थनकारी दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिन पर प्राधिकरण द्वारा फायदा अंशभाजन के किसी दावे का निबटारा करते समय विचार किया जाएगा ।

43. धारा 26 के अधीन फायदा अंशभाजन का अवधारण-

प्राधिकरण, आदेश द्वारा, धारा 26 के उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार और निम्नलिखित मापदंड को ध्यान में रखते हुए किसी किस्म के फायदा अंशभाजन की रकम का अवधारण करेगा:-

(क) आनुवांशिकीय सामग्री चयनित, सुरक्षित और उपलब्ध कराने में दावाकर्ता का अभिदान,

(ख) एक या अधिक ट्रेटों का उपलब्ध कराने में ऐसी आनुवांशिकीय सामग्री का अभिदान जो किस्म को उच्च वाणिज्यिक मूल्य प्रदत्त करती हैं ।

(ग) फायदा अंशभाजन से संबंधित संकर किस्म के मूल से संबंधित उच्च संयोजक उपयोगिता प्रदान करने के लिए ऐसी आनुवांशिक सामग्री का अभिदान ।

44. धारा 26 के अधीन फायदा अंशभाजन की वसूली के लिए प्रतिनिर्देश -

रजिस्ट्रार, धारा 26 की उपधारा (6) के अधीन अपेक्षित प्राधिकरण के आदेश के अनुसार ऐसे आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किस्म के संवर्धक की ओर से आनुवांशिक निधि में फायदा अंशभाजन की रकम का निक्षेप करने में व्यतिक्रम करने या असफल रहने की दशा में, धारा 26 की उपधारा (7) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को **तीसरी अनुसूची** के प्ररूप **ओ - 4** में प्रतिनिर्देश करेगा ।

45. धारा 28 के अधीन अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारक के हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-

(1) धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन यथास्थिति किसी अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन **पहली अनुसूची** के प्ररूप **पी वी - 9** में किया जाएगा ।

(2) किसी अनुज्ञप्तिधारीया किसी अभिकर्ता द्वारा हक के लिए किए गए आवेदन के साथ करार हकदारी का लिखत या किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की तीन सांख्याकित प्रतियां होंगी ।

(3) प्रस्तावित अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे अन्य दस्तावेज या जानकारी, जो हक के सबूत के समर्थन में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करे ।

(4) आवेदक, धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में इस प्रयोजन के लिए यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।

46. धारा 28 के अधीन हकदारी के विवाद के प्रति निर्देश -

(1) धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन किसी विवाद का अवधारण करने के लिए प्राधिकरण को प्रतिनिर्दिष्ट करते समय रजिस्ट्रार विवाद से संबंधित सभी सुसंगत जानकारी सभी दस्तावेजों और उसके कार्यालय में उपलब्ध साक्ष्य की तीन प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, विवाद के संबंध में प्राधिकरण के किसी आदेश के प्राप्त होने पर आदेश की प्रतियां अन्तर्वलित व्यक्तियों को आवश्यक अनुपालन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

47. धारा 28 के अधीन हकदारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र -

धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी या किसी अभिकर्ता को जारी किया जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-5 में होगा ।

48. धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के फेरफार या रद्दकरण के निबन्धनों के लिए आवेदन और प्रकिया -

(1) धारा 28 की उपधारा (9) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या उसके उत्तरवर्ती या किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के निबन्धनों के फेरफार या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-10 में होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ दूसरी अनुसूची के स्तम्भ (3) में इस प्रयोजन के लिए यथाविनिर्दिष्ट फीस होगी ।

49. धारा 28 के अधीन नोटिस और प्रकिया -

(1) रजिस्ट्रार, धारा 28 की उपधारा (10) के अधीन प्रत्येक आवेदन का नोटिस रजिस्ट्रीकृत संवर्धक अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी को तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-6 में जारी करेगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है और धारा 28 के अधीन किसी प्रक्रिया का विरोध या उसमें हस्तक्षेप करने का आशय रखता है, वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-11 में विरोध करने या हस्तक्षेप करने का नोटिस देगा ।

(3) रजिस्ट्रार, विरोध या हस्तक्षेप का नोटिस प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति आवेदक को देगा ।

(4) रजिस्ट्रार, आवेदन को स्वीकार या नामंजूर कर सकेगा या इसे ऐसी किसी शर्त, उपान्तरण या परिसीमा के अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण द्वारा निदेशित की जाए, स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा ।

अध्याय- 5

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण और प्रतिसंहरण तथा रजिस्टर को शुद्ध करना और संशोधित करना

50. धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण-

रजिस्ट्रीकृत संवर्धक किसी भी समय रजिस्ट्रार को नोटिस देकर धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-12 में अपने पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित कर सकेगा ।

51. धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया -

(1) रजिस्ट्रार, ऐसे प्रमाणपत्र से संबंधित रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी को नियम 50 के अधीन प्रस्तावित प्रत्येक नोटिस तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-7 में देगा ।

(2)(क) कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण का नोटिस दिया गया है, जिसका अभ्यर्पण का विरोध करने का आशय है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-13 में विरोध का नोटिस देगा और विरोधकर्ता के हित की प्रकृति, विरोध के नोटिस के साथ वे तथ्य, जिनका आश्रय लिया गया है, की प्रकृति बताते हुए एक लिखित कथन भेजेगा ।

(ख) तदुपरि, रजिस्ट्रार, उसके द्वारा प्राप्त लिखित कथन पर आवेदक द्वारा विरोध के नोटिस की तामील करेगा ।

(3) यदि आवेदक विरोध का खण्डन करना चाहता है तो वह समुचित कार्यालय में उन आधारों को बताते समय जिन पर विरोध का खण्डन किया जा रहा है, उसके द्वारा प्राप्त लिखित कथन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपनियम (2) के अधीन फाइल करेगा या वहां पर छोड़ेगा और उसकी एक प्रति का प्रदाय, विरोधी पक्ष को करेगा ।

(4) आवेदक या कोई व्यक्ति जिसको उपनियम (1) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है, रजिस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी 14 में सुनवाई का अवसर चाहते हुए एक आवेदन करेगा ।

(5) रजिस्ट्रार, उपनियम (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार सुनवाई का समय और स्थान नियत कर सकेगा और तद्नुसार पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा तथा हितबद्ध पक्षकार अपने मामले के समर्थन में उपसंजात हो सकेंगे और साक्ष्य दे सकेंगे या फाइल कर सकेंगे ।

IndiaCode

(6) रजिस्ट्रार, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे किसी शर्त, संशोधन, उपान्तरण या परिसीमा के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार लिखित में पक्षकारों को सूचित करेगा ।

(7) यदि रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत संवर्धक के पौधा किस्म के अभ्यर्पण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो, वह आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकृत संवर्धक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को वापस करने का निदेश दे सकेगा और ऐसे प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार आदेश द्वारा अभ्यर्पण को राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

52. धारा 34 के अधीन किसी संवर्धक को अनुदत्त संरक्षण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन -

कोई व्यक्ति किसी किस्म की बाबत अनुदत्त संरक्षण के प्रतिसंहरण के लिए प्राधिकरण को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी 15 में धारा 34 के खण्ड (क) से (छ) के अधीन अधिकथित किन्हीं आधारों पर आवेदन कर सकेगा ।

53. नियम 52 के अधीन प्रतिहरण के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया—

(1) प्राधिकरण, नियम 52 के अधीन उसके दाख प्राप्त किसी आवेदन के रजिस्ट्रीकृत संवर्धक तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-8 में नोटिस जारी करेगा।

(2)(क) उस दशा में जहाँ रजिस्ट्रीकृत संवर्धक संरक्षण के प्रतिसंहरण के लिए विरोध करने का आशय रखता है, वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण की पहली अनुसूची के प्ररूप पी. वी.-16 में विरोध का नोटिस देगा और उसके साथ तथ्यों को देते हुए जिन पर उसका मामला आधारित है और अनुतोष चाहता है, एक लिखित कथन भेजेगा।

(ख) रजिस्ट्रार, उसके द्वारा प्राप्त लिखित कथन सहित आवेदक को विरोध के नोटिस की तामील करेगा ।

(3) यदि आवेदक विरोध का खण्डन करना चाहता है तो वह समुचित कार्यालय में उन आधारों को बताते समय जिन पर विरोध का खण्डन किया जा रहा है, उपनियम (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लिखित कथन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उत्तर फाइल करेगा या वहां पर छोड़ेगा और विरोधी पक्ष को उसकी एक प्रति का परिदान करेगा ।

(4) (क) आवेदक या कोई व्यक्ति जिसको उपनियम (1) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है, रजिस्ट्रार को सुनवाई किए जाने का अवसर चाहते हुए पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी 17 में आवेदन करेगा ।

(ख) रजिस्ट्रार, किसी आवेदन की प्राप्ति पर सुनवाई का समय और स्थान नियत कर सकेगा और तद्नुसार पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा तथा हितबद्ध पक्षकार अपने मामले के समर्थन में उपसंजात हो सकेंगे और साक्ष्य दे सकेंगे या फाइल कर सकेंगे ।

(ग) रजिस्ट्रार, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे किसी शर्त, संशोधन, उपान्तरण या परिसीमा के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार लिखित में पक्षकारों को सूचित करेगा ।

(5) यदि प्राधिकरण, पौधा किस्म के अभ्यर्पण के आवेदन को स्वीकार कर लेता है तो वह आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकृत संवर्धक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को वापस करने का निदेश दे सकेगा और ऐसे प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार आदेश द्वारा अभ्यर्पण को राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

54. धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रतिधारण करने के लिए वार्षिक फीस का संदाय -

रजिस्ट्रीकृत संवर्धक, अभिकर्ता और अनुज्ञप्तिधारक, रजिस्ट्रीकरण प्रतिधारण के लिए किसी वार्षिक फीस का ऐसी दर पर जो इस प्रयोजन के लिए दूसरी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है, संदाय करेगा ।

55. धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण या उसको परिवर्तित करने के लिए आवेदन-

(1) कोई व्यक्ति धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित आधारों पर रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को परिवर्तित करने के लिए कोई आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-18 में किया जाएगा और उसके साथ उन आधारों का भी कथन भी लगा होगा, जिन पर यह आवेदन किया गया है ।

56. धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण या उसको परिवर्तित करने के लिए आवेदन किए जाने पर प्रक्रिया-

रजिस्ट्रार आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे ऐसी किसी शर्त, संशोधन, उपांतरण या परिसीमा के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार संबद्ध पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा:

परन्तु कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को इस प्रकार नामंजूर किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

57. धारा 36 के अधीन रजिस्टर में शुद्धि करने के लिए आवेदन-

कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार को, उन आधारों का कथन करते हुए, जिन पर आवेदन किया गया है, प्रविष्टि करने, निकालने या उससे विचलन करने के लिए , धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अधिकथित आधारों पर पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी- 19 में आवेदन कर सकेगा ।

58. नियम 57 के अधीन रजिस्टर को शुद्ध करने के संबंध में आवेदन की प्रक्रिया-

रजिस्ट्रार प्रविष्टि करने, निकालने या विलोपन करने के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इस ऐसी किसी शर्त, संशोधन, उपांतरण या परिसीमा, जिसे वह अधिरोपित करना ठीक समझे, के अधीन रहते हुए स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार संबद्ध पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा :

परन्तु कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को इस प्रकार नामंजूर किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

59. धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना या उसे परिवर्तित करना या रजिस्टर में शुद्धि करना-

(1) रजिस्ट्रार धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन कर सकेगा या रजिस्टर में शुद्धि करने की दशा में रजिस्ट्रीकृत संवर्धक, अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी को, यदि कोई हो और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो रजिस्ट्रार को पौधा किस्म में दिलचस्पी लेने वाला प्रतीत होता है, तीसरी अनुसूची के **प्ररूप ओ-9** में सूचना देगा और उन आधारों का कथन करेगा जिन पर रजिस्ट्रार का कोई कार्रवाई करने का आशय है ।

(2) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसको उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई है, रजिस्ट्रार की कार्रवाई का विरोध करने का आशय रखता है, वह ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को **पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी- 20** में विरोध की सूचना देगा और उसके साथ उन तथ्यों को देते हुए, जिन पर उसका यह मामला आधारित है और मांगे गए अनुतोष सहित एक लिखित कथन भेजेगा ।

(3) रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति की, जिसको उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई किए जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और तद्नुसार पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा ।

60. धारा 37 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संवर्धक द्वारा रजिस्टर में सुधार करने के लिए आवेदन-

पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकृत संवर्धक द्वारा रजिस्टर में सुधार करने के लिए कोई आवेदन रजिस्ट्रार को धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन, उस धारा की उपधारा (1) के

खंड (क) से (ग) में अधिकथित कोई परिवर्तन करने के लिए **पहली अनुसूची के प्ररूप** पीवी- 21 में किया जा सकेगा ।

61. नियम 60 के अधीन रजिस्टर में सुधार करने के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया-

रजिस्ट्रार नियम 60 के अधीन रजिस्टर में सुधार करने के लिए किए गए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे किसी ऐसी शर्त, संशोधन, उपांतरण या परिसीमा, जिसे वह ठीक समझे, के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार कर सकेगा, और तद्नुसार पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा।

62. धारा 37 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रजिस्टर में सुधार करने के लिए आवेदन-

रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रर में सुधार करने के लिए कोई आवेदन रजिस्ट्रार को उस धारा की उपधारा (2) में अधिकथित आधारों पर **पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-22** में भी किया जा सकेगा ।

63. नियम 62 के अधीन रजिस्टर में सुधार करने के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया-

(1) रजिस्ट्रार नियम 62 के अधीन प्रत्येक आवेदन की सूचना रजिस्ट्रीकृत संवर्धक को तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-10 में जारी करेगा :

(2) रजिस्ट्रार आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे किसी ऐसी शर्त, संशोधन, उपांतरण या परिसीमा के अध्यधीन रहते हुए, जिसे वह ठीक समझे, स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा, परन्तु धारा 23 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट परीक्षण, प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किए जाएंगे ।

परन्तु कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को इस प्रकार नामंजूर किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

64. धारा 38 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किस्म के अभिधान का परिवर्तन-

(1) संवर्धक द्वारा धारा 38 की उपधारा(1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत किस्म के अभिधान के किसी भाग का लोप करने या जोड़ने या उसमें परिवर्तन करने के

संबंध में कोई आवेदन रजिस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी- 23 में किया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रार यह अवधारण कर सकेगा कि क्या और किन शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, संशोधन अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) (क) रजिस्ट्रार अभिधान में परिवर्तन के लिए आवेदन राजपत्र या जर्नल या किसी दैनिक समाचार पत्र में, विज्ञापित करेगा और उसमें अभिधान में प्रस्तावित परिवर्तन की प्रकृति को भी विज्ञापित करेगा ।

(ख) रजिस्ट्रार ऐसे सभी व्यक्तियों को सूचना जारी करेगा जो उसकी राय में इस विषय में हितबद्ध हो सकते हैं ।

65. नियम 64 के अधीन अभिधान के परिवर्तन के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया -

(1) कोई हितबद्ध व्यक्ति, धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत किस्म के अभिधान में परिवर्तन के लिए किसी आवेदन के विज्ञापन के तारीख से तीन मास के भीतर पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-24 में रजिस्ट्रीकृत किस्म के परिवर्तन का विरोध करने की सूचना दे सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, अभिधान में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में प्राप्त विरोध के बारे में संवर्धक को सूचना की तामील करेगा और दोनों पक्षकारों को, यदि वांछित हो, मामले का विनिश्चिय करने से पूर्व सुनवाई का अवसर देगा ।

(3) अभिधान में परिवर्तन के लिए मंजूरी अनुदत्त किए जाने के संबंध में, इस प्रकार परिवर्तित अभिधान को राजपत्र या जर्नल या किसी दैनिक समाचारपत्र में तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-11 में विज्ञापित किया जाएगा ।

IndiaCode

अध्याय - VI

कृषकों के अधिकार

66. धारा 39 के अधीन प्रतिकर के लिए दावा -

(1) कोई भी कृषक, कृषकों का समूह या कृषकों का संगठन धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर का दावा करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन **पहली अनुसूची** के **प्ररूप पीवी-25** में होगा ।

67. नियम 66 के अधीन प्रतिकर के लिए दावे के आवेदन के संबंध में प्रक्रिया -

(1) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकृत संवर्धक को रजिस्ट्रीकृत किस्म के संबंध में प्राप्त प्रतिकर दावे के बारे में सूचना देगा ।

(2) रजिस्ट्रीकृत संवर्धक, उपनियम (1) के अधीन प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के पश्चात, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर **पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-26** में विरोध का सूचना फाइल कर सकेगा ।

(3) प्रतिकर के लिए सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, संवर्धक के अपना विरोध प्रस्तुत करने में असफल रहने या व्यतिक्रम किए जाने की दशा में यह अवधारणा की जाएगी कि उसका ऐसे दावे के बारे में कोई विरोध नहीं है और तदनुसार ऐसे दावे का विनिश्चय किया जाएगा ।

(4) प्राधिकरण, संवर्धक से विरोध प्राप्त होने पर दोनों पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देगा और संवर्धक को, यथास्थिति , कृषक, कृषकों के समूह या कृषकों के संगठन को ऐसा प्रतिकर संदाय करने का, जैसा वह ठीक समझे, निदेश दे सकेगा ।

3. धारा 41 के अधीन सूचना जारी करना -

(1) प्राधिकरण, धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित केन्द्र से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा किसी ग्राम या स्थानीय समुदाय द्वारा नई किस्म के विकास में उनके सहयोग हेतु प्रतिकर फाइल किए गए दावों

के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर और यदि समाधान हो जाता है तो वह रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता को **तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-12** में सूचना जारी कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या उसके समनुदेशिती या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने पर तीन मास के भीतर **पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-27** में दावे के संबंध में आक्षेप फाइल कर सकेगा ।

(3) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या उसके समनुदेशिती या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता से आक्षेप प्राप्त होने पर, दोनों पक्षकारों को सुनवाई के अवसर देगा और प्रतिकर की पात्रता और उसकी मात्रा के संबंध में विनिश्चय करने के पश्चात संवर्धक को ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या सरकारी या गैर सरकारी संगठन को, जिसने धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन दावा किया है, संदाय करने का और दो मास की अवधि के भीतर अपेक्षित निधियों को आनुवंषिक निधि में निक्षेप करने कि निदेश देगा ।

69. **धारा 45 के अधीन फायदाप्रद प्रभाजन को प्राप्त करने की रीति -**

किसी किस्म या आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म का संवर्धक धारा 26 की उपधारा (6) के अधीन यथाअपेक्षित फायदाप्रद प्रभाजन की रकम का आनुवंषिक निधि में निक्षेप करेगा ।

70. **धारा 45 के अधीन आनुवंषिक निधि के लिए आवेदन करने की रीति -**

(1) प्राधिकरण, नई और आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म के क्रम विकास के संबंध में आनुवंषिकी सामग्री के उपयोग के लिए अपेक्षित फायदाप्रद प्रभाजन, प्रतिकर की रकम का संदाय, आनुवंशिकी संसाधनों के संरक्षण और उनके संपोषित उपयोग के लिए व्यय को पूरा करने और फायदाप्रद प्रभाजन से संबंधित स्कीमों की विरचना करने के लिए करेगा ।

(2) निम्नलिखित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आनुवंषिकी निधि का उपयोग नीचे दी गई पूर्विकता के अनुसार किया जाएगा -

(क) कृषकों, कृषकों के समुदाय, विशिष्टतया ऐसे जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को जो विशिष्टतया एग्रो-बायोडाइवर्सिटी हाट स्पाट्स के रूप में पहचान किए गए क्षेत्रों में आर्थिक पौधों और उनकी संबंधित वन्य किस्मों के संरक्षण, सुधार और उनके आनुवंषिक संसाधनों के संरक्षण में लगे हैं, सम्थर्न देना और पुरस्कृत करना ;

(ख) स्थानीय निकाय, विशिष्टतया उन क्षेत्रों में जिनकी एग्रो-बायोडाइवर्सिटी हाट स्पाट्स के रूप में पहचान की गई है, के स्तर पर संरक्षण के संबंध में और संरक्षण को समर्थन देने के संबंध में क्षमताओं का समर्थन करना ;

(ग) धारा 26 की उपधारा (5) और धारा 41 की उपधारा (3) के अनुसार फायदाप्रद प्रभाजन और प्रतिकर के संबंध में ; और

(घ) आनुवंषिकी निधि को प्रशासित करने की संव्यवहार लागत ।

अध्याय VII

अनिवार्य अनुज्ञप्ति

71. धारा 47 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति देना

(1) कोई हितबद्ध व्यक्ति किसी किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को **पहली अनुसूची** के प्ररूप **पी वी - 28** में अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए **दूसरी अनुसूची** के अधीन विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-

(क) किस्म या सम्बद्ध किस्मों के किस्म अभिधान, आनुवांशिक और विशिष्ट नाम की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करेगा,

(ख) में समर्थनकारी दस्तावेजों सहित अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आधार अन्तर्विष्ट होंगे, और

(ग) निम्नलिखित द्वारा समर्थित होगा-

(i) उस व्यक्ति की, जो अनुरोध कर रहा है, साक्ष्य सहित अर्हता, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं,

IndiaCode

(ii) किस्म के संबंध में अधिकार धारणकर्ता की विशिष्टियां,

(iii) यह लिखित साक्ष्य कि ऐसा अनुरोध करने वाले व्यक्ति ने स्वेच्छिक अनुज्ञप्ति के लिए सभी उपाय कर लिए हैं ।

(3) यदि प्राधिकरण का, उपनियम (1) के अधीन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए कोई प्रथमदष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह तद्नुसार आवेदक को अधिसूचित करेगा ।

(4) प्राधिकरण, उपनियम (1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी किस्म के संवर्धक या उसके समनुदेशिती या रजिस्टीकृत अभिकर्ता को ऐसी सूचना जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर उसका विरोध आमंत्रित करते हुए सूचना जारी करेगा ।

(5) रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या उसका समनुदेशिती या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता उपनियम (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर **पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी - 29** में विरोध का सूचना दे सकेगा, जो विरोध के आधार या आधारों की पुष्टि को पुष्ट करने के लिए दस्तावेजी सबूत द्वारा समर्थित होगा ।

(6) यदि प्राधिकरण का, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की आवश्यकता है, वह संवर्धक या उसके समनुदेशिती या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता को किस्म की अनुज्ञप्ति स्वामित्व के ऐसे निबंधनों और ऐसी अन्य परिलब्धियों पर जिन्हें वह ठीक समझे, किस्मों की अनुज्ञप्ति देने का आदेश दे सकेगा ।

72. धारा 50 के अधीन सामग्री उपलब्ध कराने की रीति -

प्राधिकरण आनुवांशिक बैंक या किसी अन्य केन्द्र से, जिसके अन्तर्गत ऐसी किस्म का आरंभिक संवर्धक भी है, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रजनन संबंधी सामग्री उपलब्ध कराएगा।

73. धारा 52 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण-

(1) (क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अनिवार्य अनुज्ञप्ति से व्यथित है, धारा 47 की उपधारा (1) या धारा 52 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन

अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए प्राधिकरण को **पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी - 30** में आवेदन कर सकेगा ।

(ख) उपनियम (1) के अधीन आवेदन साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा ।

(2) प्राधिकरण स्वयं के सूचना पर या उपनियम (1) के अधीन व्यथित व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी को सूचना दे सकेगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकरण को उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन या उपनियम (2) के अधीन किसी कार्यवाही का विरोध **पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी - 31** में फाइल कर सकेगा ।

(4) प्राधिकरण उपनियम (3) के अधीन फाइल किए गए विरोध पर विचार करने के पश्चात् और अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् प्रतिसंहरण का आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश देने से इंकार कर सकेगा ।

अध्याय VIII

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

74. धारा 63 के अधीन अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां-

(1) अध्यक्ष, प्राधिकरण के कृत्यों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो भारत सरकार के लेखा और वित्तीय नियमों के अनुसार साधारण वित्तीय नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य हैं ।

(2) अध्यक्ष, किसी सदस्य या प्राधिकरण के किसी ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को, जो रजिस्ट्रार या समतुल्य पंक्ति से नीचे का नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां लिखित में प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे कि इस प्रकार प्राधिकृत ऐसा सदस्य या अधिकारी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय अध्यक्ष के निदेशाधीन, नियंत्रणाधीन और पर्यवेक्षणाधीन बना रहेगा ।

अध्याय IX

प्रकीर्ण

75. धारा 81 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत करने की रीति

(1) अधिनियम के अधीन किसी किस्म या उसकी प्रजनक सामग्री या आवश्यक रूप से

व्युत्पन्न किस्म या उसकी प्रजनक सामग्री का रजिस्ट्रीकृत कोई स्वार्धक उसकी ओर से किसी विधि न्यायालय में कोई कार्रवाई संस्थित करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी या समनुदेशिती को प्राधिकृत करने के लिए **पहली अनुसूची** के **प्ररूप पी वी - 32** में आवेदन करेगा ।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई प्राधिकार दिया गया है, इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्रवाई या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की तामील अभिकर्ता पर उसे प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील की गई समझी जाएगी और किसी कार्रवाई या मामले के संबंध में किए जाने के लिए निदेशित सभी संसूचनाएं ऐसे अभिकर्ता को संबोधित की जाएंगी और अभिकर्ता उनके संबंध में प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात हो सकेगा ।

(3) प्राधिकरण, उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कार्रवाई या मामले के किसी आवेदक, विरोधकर्ता या पक्षकार के हस्ताक्षर या उसकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा ।

76. धारा 84 के अधीन सत्यापित प्रति जारी करने की रीति -

कोई हितबद्ध व्यक्ति धारा 84 के अधीन, **दूसरी अनुसूची** में विनिर्दिष्ट फीस के साथ **पहली** अनुसूची के **प्ररूप पी वी - 33** में प्राधिकरण या रजिस्ट्रार को रजिस्टर में किसी प्रविष्टि, प्रमाणपत्रों या पौधा किस्म आवेदन को उद्धरणों या प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले अन्य अभिलेखों और इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी कार्रवाई में अपेक्षित किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए, जो ऐसे प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित हैं, आवेदन कर सकेगा और उसी रीति में और उसी प्रयोजन के लिए ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए भी अनुरोध कर सकेगा ।

पहली अनुसूची

(नियम 3 (1))

प्ररूप

प्ररूप	धारा और नियम	शीर्षक
(1)	(2)	(3)
पी वी 1	धारा 16 (1) (ड) और नियम 25	प्राधिकार के लिए आवेदन
पी वी 2	धारा 18 (3) और नियम 27 (2)	आवेदन फाइल करने के अधिकार का सबूत

(1)	(2)	(3)
पी वी 3	धारा 21 (2) और नियम 31	विरोध की सूचना
पी वी 4	धारा 21 (4) और नियम 31 (5)	प्रति- कथन
पी वी 5	धारा 21 और नियम 33	समय विस्तार के लिए अनुरोध
पी वी 6	धारा 24 (6) और नियम 39	रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण
पी वी 7	धारा 26 (2) और नियम 41	फायदा शेयर करने के लिए आवेदन
पी वी 8	धारा 26 (3) और नियम 42	विरोध की सूचना
पी वी 9	धारा 28 (4) और नियम 45	अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण
पी वी 10	धारा 28 (9) और नियम 48	रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/के रद्दकरण के लिए आवेदन
पी वी 11	धारा 28 (10) और नियम 49	रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/के रद्दकरण के विरोध की सूचना
पी वी 12	धारा 33 (1) और नियम 50	पौध किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन
पी वी 13	धारा 33 (3) और नियम 51 (2)	प्रमाण पत्र के अभ्यर्पण करने के प्रस्ताव के लिए विरोध की सूचना
पी वी 14	धारा 33 (4) और नियम 51 (4)	सुनवाई में भाग लेने के आशय की सूचना
पी वी 15	धारा 34 और नियम 52	रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन
पी वी 16	धारा 34 और नियम 53	रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन के लिए विरोध की सूचना
पी वी 17	धारा 34 और नियम 53 (4)	सुने जाने के अवसर के लिए आवेदन
पी वी 18	धारा 36 (1) और नियम 55	पौध किस्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के रद्दकरण या परिवर्तन के लिए आवेदन ।
पी वी 19	धारा 36 (2) और नियम 57	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में संशोधन के लिए आवेदन
पी वी 20	धारा 36 (4) और नियम 59	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में संशोधन के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 21	धारा 37(1) और नियम 60	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में स्वामी/संवर्धक द्वारा शुद्धि के लिए आवेदन
पी वी 22	धारा 37 (2) और नियम 62	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में शुद्धि के लिए रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन

IndiaCode

(1)	(2)	(3)
पी वी 23	धारा 38 (1) और नियम 64	रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के अभिधान में परिवर्तन के लिए आवेदन
पी वी 24	धारा 38 (2) और नियम 65	रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के अभिधान में परिवर्तन के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 25	धारा 39 (2) और नियम 66	प्रतिकर के लिए आवेदन
पी वी 26	धारा 39 (2) और नियम 67 (2)	प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 27	धारा 41 (3) और नियम 68	प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 28	धारा 47 (1) और नियम 71(1)	अनिवार्य अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन
पी वी 29	धारा 47 (3) और नियम 71 (5)	अनिवार्य अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 30	धारा 52(1) और नियम 73 (1)	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन
पी वी 31	धारा 53 और नियम 73 (3)	आवेदन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 32	धारा 81 और नियम 75 (1)	वाद संस्थित करने के लिए प्राधिकार का प्ररूप
पी वी 33	धारा 84 और नियम 76	प्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध

दूसरी अनुसूची
(नियम 8 देखें)

फीस

क्र०सं०	मामले जिन पर फीस संदेय है	फीस की रकम	प्ररूप संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	किए जाने वाले परीक्षण	परीक्षण की प्रकृति और प्रकार पर आधारित अधिकतम 50,000/- रु० प्रति ऐन्ट्री के अध्यधीन	—
2.	विरोध की सूचना	1500/- रु०	पी वी 3
3.	समय विस्तार	1500/- रू० प्रति माह	पी वी 5
4.	आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस	व्यष्टिक- 5000 शैक्षणिक- 7000 वाणिज्यिक- 10000	

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	नवीकरण फीस	व्यष्टिक- 5000 शैक्षणिक- 7000 वाणिज्यिक- 10000 प्रतिवर्ष	पी वी 6
6.	फायदा शेयर के लिए आवेदन	5000 रू०	पी वी 7
7.	अभिकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	10000 रू०	पी वी 9,
8.	रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/रद्दकरण के लिए आवेदन	व्यष्टिक- 3000 शैक्षणिकक- 5000 वाणिज्यिक- 7000	पी वी 10
9.	रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/रद्दकरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना	1500/- रू०	पी वी 11

तीसरी अनुसूची

{नियम 2 (ग) देखें}

रजिस्ट्रार और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्ररूप

प्ररूप सं	धारा और नियम	शीर्षक
0-1	धारा 21(1) और नियम 30	विज्ञापन का प्ररूप
0-2	धारा 23 (8), 24(2) और नियम 36,37	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
0-3	धारा 24(3) और नियम 38	रजिस्ट्रीकरण की अपूर्णता की सूचना
0-4	धारा 26(7) और नियम 44	फायदा शेयर रकम की वसूली के लिए निर्देश
0-5	धारा 28(4) और नियम 47	अभिकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
0-6	धारा 28(10) और नियम 49	संवर्धक/अभिकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी को सूचना
0-7	धारा 33(2) और नियम 51	रजिस्ट्रीकृत किस्म के अभ्यर्पण के प्रस्ताव को अधिसूचित करना
0-8	धारा 34 और नियम 53	रजिस्ट्रीकृत किस्म के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन की सूचना
0-9	धारा 36(4) और नियम 59	राष्ट्रीय रजिस्टर में परिवर्तन
0-10	धारा 37(2) और नियम 63	राष्ट्रीय रजिस्टर में शुद्धि
0-11	धारा 38(2) और नियम 65(3)	अभिधान में परिवर्तन का विज्ञापन
0-12	धारा 41(1) और नियम 68	समुदाय के अधिकारों हेतु प्रतिकर के लिए सूचना

IndiaCode

चौथी अनुसूची
(नियम 20 (1) देखें)

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की सं०	केन्द्र में समतुल्य पद	वेतनमान	अर्हताएं और अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वित्तीय सलाहकार	1	निदेशक	14,300-18,300	वित्तीय/एकाउन्ट प्रबंधन में कम से कम आठ वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से डिग्री ।
2.	विधि सलाहकार	2	अवर सचिव	10,000-15,200	अधिवक्ता जो उसी रूप में कम से कम आठ वर्षों तक विधि व्यवसाय किया हो और बौद्धिक संपदा, प्रबंधन और संव्यवहार में विशेष ज्ञान रखता हो ।
3.	ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	1	अवर सचिव	10,000-15,200	लेखा अधिकारी के रूप में कम से कम आठ वर्ष के अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री या समतुल्य ।
4.	लेखा अधिकारी	1	सहायक निदेशक	8,000-13,500	लेखा से संबंधित मामलों में कम से कम 6 वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में वाणिज्य या अर्थशास्त्र में डिग्री ।
5.	तकनीकी सहायक	6	तकनीकी सहायक	5,500-9,000	पौधा किस्म संबंधी और बीज विकास क्रियाकलापों में कम से कम 4 वर्ष के अनुभव के साथ कृषि विज्ञान या सम्बद्ध क्षेत्र जैसे वनस्पति या जैव प्रौद्योगिकी में डिग्री।
6.	कम्प्यूटर सहायक	5		5,500 9,000	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री और डाटा बेस प्रबंधन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।

IndiaCode

प्ररूप - पी.वी. 1

(नियम 25 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्राधिकार का प्ररूप

मैं/हम[1]

.....

.....

की बाबत नये किस्म/आवश्यक व्युत्पत्ति किस्म/विद्यमान किस्म को फाइल करने के संबंध में अपनी ओर से[2] कार्य करने के लिएको प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं, और अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उससे संबंधित सभी सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और पत्र व्यवहार जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उपरोक्त पते पर ऐसे व्यक्ति(यों) को भेजे जाएं ।

मैं/हम उसी मामले या कार्यवाही के संबंध में सभी पूर्व प्राधिकार, यदि कोई किया गया है, को प्रतिसंहरित करता हूँ/करते है ।

तारीख 200.....

इस प्राधिकार को करने वाले व्यक्ति(यों) का/के हस्ताक्षर और पद और/या कार्यालय मोहर, यदि कोई हो, के साथ नाम ।

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्री
.....

नोट :-

कोई फीस नहीं :

1. इस प्राधिकरण को करने वाले व्यक्ति(यों) का/के नाम (पूरा नाम), पता/पते और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।

2. प्राधिकृत व्यक्ति(यों) का/के नाम (पूरा नाम), पता/पते और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।

3. पौधा/किस्म और फसल का (सामान्य/वानस्पतिक) नाम ।

2609 GI/2003—4A

IndiaCode

प्ररूप -पी वी 2

(नियम 27(2) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

आवेदन करने के अधिकार का सबूत

मैं/हम1.....जो इस आवेदन में संवर्धक या पौधा किस्म अधिकार धारक होने का दावा करने वाले के रूप मे विनिर्दिष्ट हैं, घोषणा करता हूं/करते हैं कि वह/वे आवेदक जिसने/जिन्होंने इस आवेदन पर हस्ताक्षर किया है/किये हैं मेरा/हमारा समनुदेशिकी या उत्तराधिकारी है/हैं ।

मैं/हम नियम 27(2)के अधीन यथा अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता हूं/करते हैं :-

1.
2.
3.

मैं/हम घोषणा करता हूँ / करते है कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है ।

तारीख.....200

हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर उनके नामों एवं पते सहित.

1.

2.

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है ।

तारीख.....200

हस्ताक्षर.....

टिप्पण: जो लागू न हो उसे काट दें ।

सेवा में

रजिस्ट्रार

पौधा किस्म रजिस्ट्री

.....

1. नाम (पूरा नाम), पता और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।
2. संवर्धक या वास्तविक पौधा किस्म अधिकार धारक (धारकों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

2609 GI/2003—4B

IndiaCode

प्ररूप - पी वी 3

(नियम-31(1) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001
विरोध की सूचना

मैं/हम1..... तारीख.....को प्रकाशित पौधा किस्म रजिस्ट्रीकरण संख्या..... के रजिस्ट्रीकरण आवेदन का निम्नलिखित कारण(णों) से.....के विरोध करने की सूचना देता हूँ/ देते है :-

1.
2.
3.

तारीख.....200

(हस्ताक्षर)3

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्री
.....

1. विरोध की सूचना फाइल करने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) का/के नाम, पता और राष्ट्रीयता
2. यथा विज्ञापित पंजीकरण संख्या
3. विरोध की सूचना फाइल करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के हस्ताक्षर

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और सामग्री मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

तारीख200

IndiaCode

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्री
.....

जो लागू न हो उसे काट दें ।

1. नाम(पूरा नाम), पता और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।

2. आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

प्ररूप - पी.वी. 4
(नियम 31 (5) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्रति-वक्तव्य का फार्म

..... को प्रकाशित, रजिस्ट्रीकरण संख्या वाले पौध किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन संख्या के विरोध के मामले में

मै/हम1 उपर्युक्त पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक हूँ/हैं सूचना देता हूँ/देते हैं कि वे आधार निम्नलिखित हैं जिनपर मैं/हम मेरे/हमारे प्रति-कथन पर विश्वास करता हूँ/करते हैं :-

1.....

2.....

3.....

मैं/हम विरोध की सूचना में निम्नलिखित दावों/अभिकथनों/प्रतिविरोधों से सहमत/असहमत हूँ/हैं

IndiaCode

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार भारत में2 निम्न पते पर किया जाए ।

.....

तारीख..... 200

हस्ताक्षर3

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौध किस्म रजिस्ट्री
.....

कोई फीस नहीं :

1. यह प्राधिकार देने के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम (पूरा नाम), पता (पते) तथा राष्ट्रीयता कर उल्लेख करें ।

2. प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम (पूरा नाम), पता (पते) तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।

3. आवेदक अथवा उसके अभिकर्ता या समनुदेशिती के हस्ताक्षर ।

प्ररूप - पी.वी. 5
(नियम 33 (6) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

समय के विस्तार के लिए अनुरोध

मैं/हम1 नियम 33 के अधीन विरोध/साक्ष्य/प्रतिकथन की सूचना फाइल करने के लिए महीने तक समय का विस्तार करने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं ।

आवेदन सं. के सम्बन्ध में ।

IndiaCode

यह आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कारण है/हैं :-

1.....

2.....

भारत मे तामील के लिए मेरा पता निम्नवत है :-

तारीख 200

हस्ताक्षर2

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्री
.....

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।

2. आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

प्ररूप - पी.वी. 6

(नियम 39 (1) (ख) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

मैं/हम1 पौधा किस्म2 के संबंध में,जिसका अभिधान है , पौधा किस्म रजिस्ट्रीकरण सं. तारीख के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

IndiaCode

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की सूचना, भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए :-

.....

तारीख 200

हस्ताक्षर3

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्री
.....

1. आवेदक (आवेदकों) का पूरा नाम, उप नाम सहित तथा पता भरें ।

2. रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म का नाम ।

3. आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर ।

प्ररूप - पी.वी. 7

(नियम 41 (1) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

फायदा शेयर करने के लिए आवेदन

मैं/हम1 आवेदन करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा नाम पौधा किस्म, रजिस्ट्रीकरण सं. के संबंध में फायदा शेयर करने के लिए हकदार व्यक्ति (व्यक्तियों) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए ।

फायदा शेयर करने के लिए हकदार होने के लिए मेरे/हमारे आधार नीचे दिए गए हैं :-

1.

2.

IndiaCode

उस पौधा किस्मों के ब्यौरे जिसकी बाबत मैं/हम फायदा शेयर करने का दावा कर रहा हूँ/रहे हैं, निम्नवत है :-

पौधा किस्म, जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या है

फायदा शेयर की मेरी/हमारी हकदारी के सबूत में मैं/हम संलग्न दस्तावेज उनकी एक प्रमाणित प्रति के साथ प्रेषित करता हूँ/करते हैं ।

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता4

.....

तारीख 200.....

हस्ताक्षर5

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्री
.....

1. पूरा नाम और पता जैसा कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दर्शाया गया है, लिखें ।

2. पौधा किस्म और फसल का नाम (सामान्य/बनस्पति) ।

3 ऐसे दस्तावेजों की विशिष्टियाँ, उसकी तारीख, और उसके पक्षकारों को बताते हुए विनिर्दिष्ट करे, कि दावे को किस तरह अनुसमर्थित किया गया है ।

4. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय का स्थान नाम बताएं ।

5. आवेदक या उसके अभिकर्ता या समनुदेशिती के हस्ताक्षर ।

IndiaCode

प्ररूप - पी.वी. 8

(नियम 42 (4) (ख) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

फायदा शेयर करने के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

मैं/हम[1] रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म रजिस्ट्रीकरण सं. तारीख के संबंध में के द्वारा/की ओर से[2] दिए गए फायदा शेयर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं ।

जिस आधार पर फायदा शेयर करने के उक्त आवेदन का विरोध किया गया है वे निम्नवत है :-

1.

2.

3.

.....

मेरे/हमारे विरोध के समर्थन में, मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करता हूँ/ करते हैं :-

1.

2.

3.

भारत में मेरा/हमारा तामील का पता

तारीख 200

हस्ताक्षर[3]

IndiaCode

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्री
स्थान

जो लागू न हो उसे काट दें ।

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।

2. फायदा शेयर आवेदन फाइल करने वाले व्यक्ति/(व्यक्तियों) का/के नाम

3. आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

प्ररूप - पी.वी. 9
(नियम 45 (1) (ख) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

अभिकर्ता या अनुज्ञप्ति धारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

मैं/हम1 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैं/हम पौधा किस्म2 रजिस्ट्रीकरण सं. के संबंध में प्राधिकृत अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी हूँ/हैं और यह कि मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 28 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पूर्णतः पात्र हूँ/हैं । मेरी/हमारी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :-

1. उप नाम सहित पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. निवास स्थान का पता

3. पिता का नाम
4. राष्ट्रीयता
5. जन्म स्थान और तारीख
6. पूरा व्यवसायिक विवरण
7. कारोबार का प्रमुख स्थान
8. शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई है
9. संलग्न दस्तावेज3

1.

2.

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

तारीख 200

हस्ताक्षर6

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्री
स्थान

1. उन व्यक्तियों के पूरे नाम, पता और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें जो फायदा शेयर करने के लिए हकदार हैं ।

2. उन पौधा किस्म (किस्मों) जिनके संबंध में फायदा शेयर करने का दावा किया गया है, के अभिधान, किस्म, रजिस्ट्रीकरण संख्या और अन्य ब्यौरे ।

3. दस्तावेजों की तारीख और उनके पक्षकारों तथा किया गया दावा कैसे सिद्ध होता है यह दर्शाते हुए ऐसे दस्तावेजों की विशिष्टियाँ दें ।

4. उस व्यक्ति का जिसने फायदा शेयर करने के लिए दावा किया है/कर रहा है, पूरा पता ।

5. आवेदक या प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता या विधिक अधिकारी या समनुदेशिकी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

IndiaCode

प्ररूप - पी.वी. 10

(नियम 48 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/के रद्दकरण के लिए आवेदन

मैं/हम1घोषणा करता हूँ/करते हैं :-

1. कि मैं/हम पौधा किस्म, रजिस्ट्रीकरण सं. के रजिस्ट्रीकृत संवर्धक/अनुज्ञप्तिधारी/अभिकर्ता हूँ/हैं ।

2. कि रजिस्ट्रार के तारीख के आदेश द्वारा पौधा किस्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया था।

3. रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/रद्दकरण के लिए आधार निम्नवत् है :-

(क)

(ख)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के निबन्धनों और शर्तों को निम्नवत् रद्द/पुनरीक्षित किया जाए ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और सामग्री मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही है ।

तारीख 200

हस्ताक्षर2

टिप्पण: जो लागू न हो उसे काट दें ।

सेवा में

रजिस्ट्रार

पौधा किस्म रजिस्ट्री

.....

1. नाम (परा नाम), पता और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।
2. संवर्धक या वास्तविक पौधा किस्म अधिकार धारक (धारकों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

IndiaCode

प्ररूप - पी.बी. 11

(नियम 49 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

रजिस्ट्रीकरण में फेरफार या रद्दकरण के आवेदन के विरोध की सूचना

मैं/हम1 के प्रदर्शन करने पर पौधा किस्म जिसका अभिधान है तारीख के पौधा किस्म रजिस्ट्रीकरण सं.तारीख की शर्तों में फेरफार/के रद्दकरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं ।

जिस आधार पर उक्त का विरोध किया गया है, निम्नवत है :-

1.....

2.....

3.....

भारत में मेरा/हमारा तामीली का पता

तारीख 200 (.....

हस्ताक्षर2

सेवा में

रजिस्ट्रार

पौधा किस्म रजिस्ट्री

स्थान

IndiaCode

प्ररूप - पी.बी. - 12
[नियम 50 देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकृत प्रजनक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के प्रस्ताव के लिए आवेदन

..... फसल की पौधा किस्म के मामले में, जो के नाम में रजिस्ट्रीकरण सं०..... पर रजिस्ट्रीकृत है, आवेदन किया जाता है कि उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के रजिस्ट्री स्वत्वधारी (धारियों) या उत्तराधिकारी[5] होने के नाते मैं/हम[1] उन परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने का प्रस्ताव करते हैं जो संलग्न कथन में पूर्णतया कथित हैं ।

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाए ।
.....[2]

तारीखवर्ष 200

.....[3]

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

.....[4] स्थित पौधा किस्म रजिस्ट्री,

1. आवेदन करने वाले व्यक्ति का/के नाम भरें ।
2. आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता ।
3. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
4. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।
5. जो आवश्यक न हो, काट दें ।

IndiaCode

प्ररूप - पी बी - 13

(नियम 51 (2) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण के प्रस्ताव के विरोध की सूचना

----------फसल की ---------- पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के अभ्यर्पण के प्रस्ताव के आवेदन के मामले में, जिसकी रजिस्ट्रीकृत सं० ---------- है, मैं/हम ---------- जो रजिस्ट्रीकृत अभिकर्त्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी[7] है/हैं, उस रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण का विरोध करने के अपने आशय की सूचना देता हूँ/देते है, जिसके पौधा किस्म के रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गयी सूचना मुझे तारीख ---------- 20 ---------- को प्राप्त हुई ।

विरोध के तथ्य और आधार उल्लिखित करने वाला लिखित कथन निम्नवत है:-

3----------

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार भारत में निम्नलिखित पते पर किया जाए ।

4 ----------

तारीख ---------- 20 ----------

5 ----------

सेवा में

पौधा किस्म के रजिस्ट्रार,

----------6 स्थित पौधा किस्म रजिस्ट्रीकृत का कार्यालय,

1. पौधा किस्म के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करने वाले पौधा किस्म के प्रजनक अथवा उत्तराधिकारी का नाम ।
2. यह आवेदन करने वाले विरोधी का नाम ।
3. लिखित कथन, जिसमें विरोधी के हित की प्रवृति निर्धारित है, तथ्य जिन पर वह अपना मामला आधारित करता है, और राहत जिसकी वह मांग करता है । विरोधी अपने विश्वास के के अनुसार कोई भी ऐसा दस्तावेज विरोध की सूचना से उपाबंध के रूप में दे सकता है ।
4. उसके कारबार या आवास के मुख्य स्थान का नाम व पता ।
5. विरोध के लिए यह आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर ।
6. पौधा किस्म रजिस्ट्रीकृत के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।
7. जो आवश्यक न हो, काट दें ।

IndiaCode

प्ररूप - पी.डी. - 14

[नियम 51 (4) देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सूचना

धारा[1] के अधीन तारीख 200..... को किए गए आवेदन के मामले में मैं/हम[2]..... जो आवेदक या विरोधी[6] हैं, रजिस्ट्रार को आवेदन करते हैं कि उपरोक्त मामले के संदर्भ में सुने जाने का एक अवसर प्रदान करें । यह अनुरोध है कि सुनवाई का समय और स्थान कृपया मुझे निम्नलिखित पते पर सूचित किया जाए ।

3.....

तारीख200

4
हस्ताक्षर.....

सेवा में,

पौधा किस्म के रजिस्ट्रार,
.....[5] स्थित पौधा किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय

1. धारा सं०, प्ररूप संख्या जैसी विशिष्टियां और अभ्यर्पण का आवेदन करने वाले आवेदक का नाम भी भरें ।
2. यह सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भरें ।
3. यह सूचना देने वाले व्यक्ति का पता ।
4. सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
5. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।
6. जो आवश्यक न हो, काट दें ।

IndiaCode

फार्म · पी.वी. 15

(देखें नियम 52)

पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रमाणपत्र प्रतिसंहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

..... फसल की पौधा किस्म के मामले में, जिसका पंजीकरण संख्या है, जो के नाम में पंजीकृत है, एतद्द्वारा 1द्वारा, जो पौधा किस्म की उपरोक्त कथित पंजीकृत पौधा किस्म का 2है, आवेदन किया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर और संलग्न विवरण में पूर्णतया उल्लेखित परिस्थितियों मे प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया जाए ।

1. यह कि पंजीकरण का प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा दी गई गलत सूचना पर आधारित है ।

2. यह कि पंजीकरण का प्रमाणपत्र किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण का पात्र नहीं है ।

3 यह कि संवर्धक ने रजिस्ट्रार को वह सूचना, दस्तावेज अथवा सामग्री नहीं दी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए अपेक्षित है ।

4. यह कि संवर्धक किस्म के वैकल्पिक वर्ग प्रदान करने में असफल रहा जो उस मामले में रजिस्ट्रार के लिए पंजीकरण की विषय-वस्तु है जहां रजिस्ट्रार को प्रदान की गई ऐसी किस्म के पहले के वर्ग इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए अनुज्ञेय नहीं है ।

5. यह कि संवर्धक ने उस व्यक्ति को आवश्यक बीज अथवा प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदान नहीं की जिसे उस किस्म के संबंध में धारा 47 के अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेंस जारी किया गया है, जिसके संबंध में ऐसे प्रजनक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

(6) यह कि संवर्धक ने इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

7. यह कि संवर्धक इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्राधिकरण के निर्देश का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है ।

8. यह कि पंजीकरण के प्रमाणपत्र का दिया जाना लोक हित में नहीं है ।

2809 GI/2003—5A

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर किए जाए ।

3

तारीख 200

हस्ताक्षर4

सेवा में,
रजिस्ट्रार,
..... स्थित5
पौधा किस्म प्राधिकरण/रजिस्ट्री

1. आवेदक का नाम भरें ।

2. रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के साथ आवेदक के संबंध की प्रकृति

3 आवेदक का पता ।

4 आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

5 पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।

IndiaCode

प्ररूप - पी वी - 16

(नियम 53 (2) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण का विरोध करने के लिए विरोध की सूचना

---------- 1 द्वारा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरण के आवेदन के मामले में, मैं/हम[2]---------- जो रजिस्ट्रीकृत संवर्धक हूँ/हैं ---------- फसल की --------- पौधा किस्म, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं० ---------- है, जिसकी पौधा किस्म के रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गयी सूचना मुझे तारीख ---------- 200 ---------- को प्राप्त हुई, के प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण का विरोध करने के मेरे/हमारे आशय की सूचना देता हूँ/देते हैं ।

विरोध के तथ्य और आधार उल्लिखित करने वाला लिखित कथन निम्नवत है:-
3----------

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार भारत में निम्नलिखित पते पर किया जाए ।
4 ----------

तारीख ---------- 200 ----------

हस्ताक्षर 5 ----------

सेवा में
पौधा किस्म के रजिस्ट्रार,
----------6 स्थित
पौधा किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय.

1. पौधा किस्म के प्रतिसंहरण का आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम ।
2. रजिस्ट्रीकृत संवर्धक का नाम ।
3. लिखित कथन, जिसमें विरोधी के हित की किस्म निर्धारित है, तथ्य जिन पर वह अपना मामला आधारित करता है, और राहत जिसकी वह मांग करता है । विरोधी अपने विश्वास के के अनुसार कोई भी ऐसा दस्तावेज विरोध की सूचना के अनुबंध के रूप में दे सकता है ।
4. उसके व्यापार या आवास के मुख्य स्थान का नाम व पता ।
5. विरोध के आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर ।
6. पौधा किस्म रजिस्ट्रीकृत के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।

फार्म - पी.वी. 17

(देखें नियम 53 (4))

पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

सुने जाने के अवसर के लिए आवेदन

धारा 1..... के अन्तर्गत दिनांक दिवस 20 को किए गए आवेदन के मामले में, मैं2 आवेदक अथवा विरोधी6 एतद्द्वारा रजिस्ट्रार को आवेदन करता हूँ कि उपरोक्त मामले के संदर्भ में सुने जाने का एक अवसर प्रदान करे । यह अनुरोध है कि सुनवाई का समय और स्थान मुझे निम्नलिखित पते पर सूचित किया जाए ।

3

दिनांक दिन..... 20

हस्ताक्षर4

सेवा में,

पौधा किस्म के रजिस्ट्रार

.....5 स्थित पौधा किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय

1. धारा संख्या, फार्म संख्या और प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के नाम जैसे भी भरे ।
2. इस नोटिस को देने वाले व्यक्ति का नाम ।
3. इस नोटिस को देने वाले व्यक्ति का पता ।
4. नोटिस देने वाले व्यक्ति अथवा उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
5. पौधा किस्म रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय के स्थान का नाम उल्लेखित करें ।
6. जो लागू न हो, काट दें ।

IndiaCode

फार्म - पी.बी. 18

(देखें नियम 55 (2))

पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पौधा किस्म के पंजीकरण की किन्हीं शर्तों के निरस्तीकरण अथवा परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

..... फसल की पौधा किस्म के मामले में, जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या है, और के नाम में रजिस्ट्रीकृत है,1 के द्वारा, जो ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म का रजिस्ट्री प्रजनक या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी या कोई अन्य व्यक्ति5 है, आवेदन किया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर और संलग्न विवरण में पूर्णतया उल्लेखित परिस्थितियों में पंजीकरण की शर्तों को निरस्त अथवा परिवर्तित किया जाए ।

1. इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन ।

2. किसी शर्त का अनुपालन करने में असफलता जिसके अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते2 पर भेजा जाए ।

दिनांक दिवस..... 200

हस्ताक्षर3

सेवा में,
रजिस्ट्रार,
.....4स्थित
पौधा किस्म रजिस्ट्री,

1. यह आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम भरें ।
2. यह आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता ।
3. यह आवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
4. पौधा किस्म रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय के स्थान का नाम उल्लेखित करें ।
5. जो लागू न हो, काट दें ।

IndiaCode

प्ररूप - पी.वी. 19

(नियम 57 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्म के रजिस्टर में प्रविष्टि करने, निकालने या फेरफार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन ।

..... फसल की पौधा किस्म के मामले में, जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या है, और के नाम में रजिस्ट्रीकृत है,1के द्वारा, जो ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म का रजिस्ट्रीकृत प्रजनक अथवा रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी या कोई अन्य व्यक्ति5 है, आवेदन किया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर और संलग्न विवरण में पूर्णतया कथित परिस्थितियों में पौधा किस्म के रजिस्टर में प्रविष्टि करने, निकालने या फेरफार करने के लिए आवेदन किया जाता है ।

1. किसी प्रविष्टि के रजिस्टर से अनुपस्थिति अथवा लोप ।

2. पर्याप्त कारकों से रजिस्टर में की गई प्रविष्टि ।

3. रजिस्टर में प्रविष्टि गलती से रह जाना ।

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते2 पर किया जाए ।

तारीख 200

हस्ताक्षर3

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

.....4स्थित

पौधा किस्म रजिस्ट्री,

1. यह आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम भरें ।
2. यह आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता ।
3. यह आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
4. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताए ।
5. जो आवश्यक न हो, काट दें ।

प्ररूप - पी.वी. - 20

[नियम 59 (2) देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

रजिस्ट्रार द्वारा पौधा किस्म के रजिस्टर में प्रवृष्टि के रद्दकरण या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में परिवर्तन या प्रवृष्टि करने, निकालने, हटाने या फेरफार करने के लिए विरोध की सूचना

..... फसल के रजिस्ट्रेशन सं०..... वाली पौधा किस्म के रजिस्ट्रार द्वारा के लिए[1] तारीख को प्राप्त सूचना के मामले में

मैं/हम[2] का विरोध करने के अपने आशय की सूचना देता हूँ/देते हैं ।

विरोध के तथ्य और आधार दर्शाने वाले लिखित विवरण निम्नवत[3] हैं:-

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाए[4]

तारीखवर्ष 20

हस्ताक्षर[5].....

सेवा में,

रजिस्ट्रार, पौधा किस्म,
पौधा किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय,
[6].....

1. पौधा किस्म के रजिस्टर में प्रविष्टि के रद्दकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन या प्रविष्टि करने, निकालने या फेरफार के लिए रजिस्ट्रार का आशय ।
2. विरोध की यह सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम ।
3. प्रतिपक्षी के हित के स्वरूप, तथ्य जिस पर उसका मामला आधारित है और विश्वास और राहत जो वह चाहता है, के स्वरूप को निर्दिष्ट करने वाला लिखित विवरण । प्रतिपक्षी विरोध की इस सूचना के उपाबंध के रूप में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करे जिस पर वह विश्वास करता है ।
4. प्रतिपक्षी का पता
5. सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर
6. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान बताएं ।

IndiaCode

प्ररूप - पी.वी. - 21
[नियम 60 देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

रजिस्ट्रीकृत संवर्धक द्वारा रजिस्टर में शुद्धि करने के लिए आवेदन

मेरे नाम अर्थात्[1] में रजिस्ट्रीकृत रजिस्ट्रीकरण सं० वाली फसल की पौधा किस्म के मामले में निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर पौधा किस्म के रजिस्टर में शुद्धि करने के लिए मैं आवेदन करता हूँ:-

1. ऐसे प्रजनक के नाम, पता और विवरण या ऐसी किस्म से संबंधित किसी प्रविष्टि में किसी त्रुटि को शुद्ध करना
2. ऐसे प्रजनक के नाम, पता और वर्णन में किसी परिवर्तन को रजिस्टर में प्रविष्ट करना ।
3. किस्म के रजिस्टर में उस प्रविष्टि को रद्द करे जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया है, और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में इसके परिणामस्वरूप संशोधन या परिवर्तन करना और उस प्रयोजन के लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

इस आवेदन पत्र से संबंधित सभी पत्र - व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाए.....[2]

तारीखवर्ष[3]

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
पौधा किस्म रजिस्ट्री

स्थान [4].....

1. इस आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम भरें (रजिस्ट्रीकृत प्रजनक) ।
2. इस आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता (रजिस्ट्रीकृत प्रजनक)
3. रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर
4. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताए ।

प्रारूप - पी.वी. - 22

[नियम 62 देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रजिस्टर को शुद्ध करने के लिए आवेदन

.....[1] के नाम में रजिस्ट्रीकृत रजिस्ट्रीकरण संख्या वालीफसल की पौधा किस्म के मामले में निम्नलिखित में से किसी एक आधार और उन स्थितियों में जिनका साथ के विवरण में पूर्ण उल्लेख किया गया है, शुद्धि करने के लिए उपर्युक्त रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी/रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता[2] होने के नाते द्वारा आवेदन किया जाता है ।

1. किसी त्रुटि को शुद्ध करना
2. रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता के नाम, पता या वर्णन में किसी परिवर्तन की प्रविष्टि करना
3. रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी के नाम, पता या वर्णन में किसी परिवर्तन की प्रविष्टि करना ।

इस आवेदन पत्र से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाए [3].....

तारीखवर्ष हस्ताक्षर[4].....

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
पौधा किस्म रजिस्ट्री

स्थान[5].....

1. इस आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम भरें ।
2. आवेदन करने के कारण अर्थात किसी त्रुटि को शुद्ध करना या आवेदक के नाम, पता या वर्णन में परिवर्तन की प्रविष्टि करना ।
3. आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता ।
4. आवेदक का हस्ताक्षर
5. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।
6. जो लागू न हों, उसे काट दें ।

IndiaCode

प्ररूप - पी.वी. - 23

[नियम 62 देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

अभिधान में परिवर्तन

मैं/हम
.....
..... को प्रकाशित, रजिस्ट्रीकरण संख्यावाली फसल की रजिस्ट्रीकृत किस्म के अभिधान में जोड़ने/हटाने/परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं ।

वर्तमान अभिधान है । अभिधान में जब परिवर्तन किया जाएगा तो वहरूप में होगा ।

उससे संबंधित सभी सूचनाएं अध्यपेक्षाएं और पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाए:

तारीख.....वर्ष

हस्ताक्षर[2].....

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
पौधा किस्म रजिस्ट्री

स्थान

जो लागू न हो उसे काट दें

1. संवर्धक/उसके विधिक प्रतिनिधि/समनुदेशिकी के नाम (पूरा नाम), पता (पते) और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।

2. इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर और नाम, आधिपदीय मुहर, यदि कोई हो, सहित ।

IndiaCode

(नियम 65 (1) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

अभिधान में परिवर्तन के विरोध की सूचना

मैं/हम ---------- निम्नलिखित कारणों से ---------- को प्रकाशित रजिस्ट्रीकरण सं०[2] ----------वाली ---------- फसल की रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के अभिधान में प्रस्तावित परिवर्तन के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं:-

1.
2.

मैं/हम अपने कथन को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं ।

तारीख ---------- 200 ----------

हस्ताक्षर----------

सेवा में
रजिस्ट्रार,
पौधा किस्म रजिस्ट्री,
स्थान

1. विरोध की सूचना देने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता
2. यथा विज्ञापित रजिस्ट्रीकरण संख्या
3. विरोध की सूचना देने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, अधिपदीय मुहर, यदि कोई हो, सहित

IndiaCode

प्ररूप - पी वी - 25
(नियम 66 (2) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्रतिकर के लिए आवेदन

मैं/हम----------
---------- अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें दी गई दशाओं के अधीन अनुबद्ध प्रत्याशा के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए प्रचार सामग्री की अफलता के लिए रजिस्ट्रीकरण सं० ---------- और अभिधान वाली ---------- फसल की ---------- पौधा किस्म के संबंध में प्रतिकर दिया जाए ।

प्रतिकर के लिए अपनी हकदारी के समर्थन में मैं/हम निम्नलिखित साक्ष्य (साक्ष्यों)[1] को प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं ।

1.
2.

तामीली के लिए मेरा/हमारा पता:-

तारीख---------- ---------- वर्ष 20

हस्ताक्षर[3]----------

सेवा में

प्राधिकारी,
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

1. प्रतिकर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों का नाम (पूरा नाम), पता और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।

2. यह दर्शाते हुए कि दावा किस प्रकार सिद्ध होता है, साक्ष्यों की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें ।

3. नाम और पदीय मुहर, यदि कोई हो, सहित आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

IndiaCode

प्रारूप - पी वी - 26
(नियम 67 (2) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

मैं/हम ----------

तारीख ---------- के रजिस्ट्रीकरण सं० ----------वाली---------- फसल की ---------- रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के संबंध में ----------[2] द्वारा/की ओर से किए गए प्रतिकर के आवेदन के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं ।

जिस आधार पर प्रतिकर के लिए उक्त आवेदन का विरोध किया गया है, वे निम्नवत हैं:-

1.
2.
3.

मेरे/हमारे विरोध के समर्थन में मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करता हूँ/करते हैं:

1.
2.
3.

भारत में मेरा/हमारा तामीली का पता

तारीख ---------- वर्ष 20 ----------

हस्ताक्षर[3]---------

IndiaCode

सेवा में

प्राधिकारी
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें
2. व्यक्ति (यों) का/के नाम जिन्होंने प्रतिकर के लिए आवेदन किया है
3. आवेदक/आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

जो लागू न हो उसे काट दें

प्ररूप - पी वी - 27
(नियम 68 (2) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

मैं/हम---------- रजिस्ट्रीकरण स०----------तारीख ---------- वाली फसल की ---------- रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के संबंध में ---------- द्वारा किए गए/की ओर से किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं ।

आधार, जिस पर प्रतिकर के लिए उक्त आवेदन का विरोध किया गया है वे निम्नवत हैं:-

1.
2.
3.

मेरे/हमारे विरोध के समर्थन में मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करता हूँ/करते हैं:

1.
2.
3.

मेरा/हमारा भारत में तामीली का पता:

तारीख ----------वर्ष 200

हस्ताक्षर----------

सेवा में,
प्राधिकारी
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

जो लागू न हो उसे काट दें

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें
2. व्यक्ति (यों) का/के नाम जिसने प्रतिकर के लिए आवेदन किया है
3. आवेदक (कों) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

प्ररूप - पी वी - 28
(नियम 71 (1) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

अनिवार्य अनुज्ञप्ति की मंजूरी

मैं/हम----------
निम्नलिखित आधारों पर ----------को प्रकाशित रजिस्ट्रीकरण सं० ---------- वाली ---------- फसल की ---------- पौधा किस्म के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं, अर्थात:-

1. किस्म के बीजों या अन्य प्रचार सामग्री के लिए जनता की उचित अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं ।
2. किस्म के बीज या प्रचार सामग्री जनता को उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं हैं ।

मेरे/हमारे हित तथा ऊपर कथित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य और उनकी प्रतियां संलग्न हैं :-

1.
2.
3.

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, इसमें कथित तथ्य और मामले मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

मेरा/हमारा भारत में तामीली का पता ----------

तारीख ----------वर्ष 200

हस्ताक्षर[2] ----------

सेवा में
प्राधिकारी,
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

जो लागू न हो उसे काट दें ।

1. आवेदक (कों) का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।
2. आवेदक (कों) द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है तो प्राविकृत पेटेण्ट अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

IndiaCode

प्ररूप - पी वी - 29
(नियम 71 (6) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

मैं/हम[1] ---------- रजिस्ट्रीकरण सं० ---------- तारीख ---------- वाली ---------- फसल की ---------- रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के संबंध में ----------[2] द्वारा/की ओर से अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं ।

जिस आधार पर अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए उक्त आवेदन का विरोध किया गया है वे निम्नवत हैं:-

1.
2.
3.

मेरे/हमारे विरोध के समर्थन में मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करता हूँ/करते हैं:

1.
2.
3.

मेरा/हमारा भारत में तामीली का पता:

तारीख ----------वर्ष 200

हस्ताक्षर---------

सेवा में,

प्राधिकारी,
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

जो लागू न हो उसे काट दें

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता एवं राष्ट्रीयता का उल्लेख करें
2. व्यक्ति (यों) के नाम जिन्होंने अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है
3. आवेदक (ओं) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

प्ररूप - पी.वी. - 30
[नियम 73 (1) देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन

मैं/हम [1]निम्नलिखित कारणों से फसल के पौध किस्म के बाबत्
.....[2] को प्रदत्त अनिवार्य अनुज्ञप्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं० तारीख है, को प्रतिसंहरित करने का निवेदन करता हूँ/करते हैं:-

1. अनिवार्य अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का अतिक्रमण ।
2. लोकहित में अनुज्ञप्ति का जारी रखना अनुचयुक्त है ।

प्रतिसंहरण के लिए मेरे/हमारे आधार के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और मामले मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

2609 GI/2003—6B

भरित में मेरा/हमारा तामीली का पता

तारीखवर्ष 20

हस्ताक्षर[3].....

सेवा में,

प्राधिकारी,

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

जो लागू न हो उसे काट दें

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता एवं राष्ट्रीयता का उल्लेख करें
2. व्यक्ति (यों) के नाम जिन्होंने अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है
3. आवेदक (ओं) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

प्रपत्र - पी.वी. - 31

[नियम 73 (3) देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्रतिसंहरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

मैं/हम[1]फसल के पौध किस्म के बाबत्.....
..... [2]द्वारा/की ओर से प्रदत्त अनिवार्य अनुज्ञप्ति जिनकी रजिस्ट्रीकरण तारीख है, के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं:-

जिन आधार पर प्रदत्त अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए उक्त आवेदन का विरोध किया गया है, वे निम्नवत हैं:-

1)
2)
3)

मेरे/हमारे विरोध के समर्थन में, मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करता हूँ/करते हैं:-

1)
2)
3)

भारत में मेरा/हमारा तामीली का पता

तारीखवर्ष 20.....

3
हस्ताक्षर.....

सेवा में
प्राधिकारी
पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

जो लागू न हो उसे काट दें

1. आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
2. प्रतिसंहरण के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम
3. आवेदक/आवेदकों का/के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप पी.वी. 32

(नियम 75 (1) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

वाद संस्थित करने के लिये प्राधिकार का प्ररूप

.....फसल की पौधा किस्म, रजिस्ट्रीकरण सं.....प्रकाशन तारीख.....के मामले में मैं/हम 1..... 2को अपनी/हमारी ओर से 3.....के संबंध में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/ करते हैं और अनुरोध करता हूं/करते हैं कि इससे सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना, अध्यपेक्षाए, संसूचनाएं ऐसे प्राधिकारी/अनुज्ञप्तिधारी के पास उपर्युक्त पते पर भेजा जाय।

मैं/हम उपर्युक्त मामले या कार्यवाही के बारे में किये गये सभी पिछले प्राधिकरण, यदि कोई हों को प्रतिसंहरित करता हूं/लेते हैं।

तारीख.....

हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम और पदीय मुहर)

सेवा में
रजिस्ट्रार
पौधा किस्म रजिस्ट्रीकरण

जो लागू न हो उसे काट दें

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
2. रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
3. उस मामले या कार्यवाही को बताएं, जिसके लिये प्राधिकरण किया गया है।
4. आवेदक/आवेदकों का /के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप. पी. वी. 33

(नियम 76 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्म रजिस्टर में प्रविष्टि की सत्यापित प्रतियों या ऐसी प्रविष्टि के निरीक्षण के लिए अनुरोध

..... फसल कीपौधा किस्म, रजिस्ट्रीकरण

स.....प्रकाशन तारीख.....के मामले में

मैं/हम आपसे अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें.....की सत्यापित प्रति प्रदान करें और उपर्युक्त पते पर सत्यापित प्रति भेज दें।

मैं/हम आपसे अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमे उपर्युक्त पौधा किस्म की बाबतदस्तावेज/प्रविष्टि का निरीक्षण करने की अनुज्ञा प्रदान करें।

वे उद्देश्य जिनके लिये प्रविष्टि/दस्तावेज की सत्यापित प्रति अपेक्षित है निम्नवत हैं :-

1.

2.

3.

आवेदक

हस्ताक्षर 2

(नाम तथा प्रदीप मुहर)

सेवा में

1) रजिस्ट्रार

पौधा किस्म रजिस्ट्रीकरण

2) प्राधिकरण

पौधा किस्म और कृषक अधिकार **हस्ताक्षर 4.....**

जो लागू न हो उसे काट दें

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
2. आवेदक के हस्ताक्षर
3. उस विशिष्ट मामले या कार्यवाही का उल्लेख करें जिसके लिये प्राधिकरण दिया गया है
4. आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

प्ररूप ओ-1

(नियम 30 देखें)

भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिये स्वीकृत आवेदन का विज्ञापन

श्री/श्रीमतीके द्वारा या श्री/श्रीमतीकी ओर सेफसल की नई पौधा किस्म/वर्तमान किस्म/कृषक किस्म/ अनिवार्यतः व्युत्पादित किस्म....., जिसका अभिधान.....है, जिसकी विनिर्देश जिसके अंतर्गत उसके रेखाक और/या छायाचित्र भी है, जो नीचे दिए गए हैं, को फाइल आवेदन सं., को स्वीकार कर लिया गया है और इसे रजिस्ट्रीकरण सं.तारीख को.....प्रदान किया गया है।

उक्त किस्म के संबंध में कन्वेन्शन आवेदन सं.तारीखकोमे 3 फाइल किया गया है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम 2003 के नियम सं. 29 के अधीन कार्यवाही का विरोध करने के लिये समुचित कार्यालय 4है

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम)/ पताकार्य करने के स्थान का पता (रजिस्ट्रीकरण सं. यदि लागू हो) और राष्ट्रीयता
2. प्रजनक का नाम (पूरा नाम) पता और राष्ट्रीयता (यदि आवेदनकर्त्ता प्रजनक नहीं है तो)
3. कन्वेन्शन देश का नाम
4. कार्यालय का नाम

प्ररूप- 0-2

(कृपया नियम 36 और 37 देखें)

भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्टरी

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

2000.....का रजिस्ट्रीकरण सं०.....

.....ने घोषित किया है कि उसने.....पौधा किस्म/ अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न पौधा किस्म विकसित किया है और वह उसका वास्तविक प्रजनक (या वास्तविक प्रजनक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिकी) है और पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों को ध्यान मे रखते हुए वह उक्त किस्म पौधा किस्म के अधिकार का हकदार है और यह कि उसके पक्ष में पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रति कोई आक्षेप नहीं है ।

और, उसने उक्त पौधा किस्म के लिए आवेदन करते हुए अनुरोध करता है कि पौधा किस्म/ अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न पौधा किस्म का रजिस्ट्रीकरण उसके नाम पर किया जाये ;

और, उसने अपने आवेदन द्वारा और उसके, उक्त पौधा किस्म के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों और उसके अभिधान का उल्लेख करते हैं ;

अतः यह विलेख है कि उपर्युक्त आवेदक (जिसमें उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती या इनमें से कोई भी है) पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों और तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए तारीख.....वीं.....200 से.....वर्षों की अवधि के लिए उस किस्म के उत्पादन, बिक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने और ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस रजिस्ट्रीकरण की विधि मान्यता प्रत्याभूत नहीं की जाती है और इस रजिस्ट्रीकरण को बनाए रखने के लिए विहित फीस का सम्यक रूप से संदाय किया जाता है ।

इसके साक्ष्य स्वरूप रजिस्ट्रार ने माह के.....तारीख200. को इस रजिस्ट्रीकरण पर मुहर लगाई है ।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर
पौधा किस्म रजिस्टरी
मंजूर करने की तारीख.....

टिपपण : इस रजिस्ट्रीकरण को बनाए रखने के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, तोतारीख को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी तारीख को देय होगी ।

IndiaCode

प्ररूप 0-3

(नियम 38 देखें)

भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्टरी

रजिस्ट्रीकरण की अपूर्णता की सूचना

आवेदन सं०.....तारीख.....

पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार नियम, 2003 के नियम 38 के अधीन सूचना दी जाती है कि उस पौधा किस्म का रजिस्ट्रीकरण जिसके संबंध में तारीख.....200 को आवेदन किया गया था, आवेदक की ओर से व्यतिक्रम के कारण पूर्ण नहीं हुआ है । आवेदक को निदेश दिया जाता है कि वह इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित अपेक्षा (क्षाओं) को पूरी करे.....

1.....

2.....

यदि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त सभी अपेक्षायें पूरी नहीं की जाती हैं तो आवेदन को परित्यक्त माना जायेगा ।

तारीख.....200.....वीं

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और मुहर
पौधा किस्म रजिस्ट्री

प्ररूप 0-4

(नियम 44 देखें)

भारत सरकार, पौधा किस्म संरक्षण

और कृषक अधिकार प्राधिकरण

फायदा शेयर रकम की वसूली के लिए निर्देश

सेवा में,

.....

.....

निर्देश मामला सं०

IndiaCode

श्री/श्रीमती को फायदा शेयर करने के आवेदन सं०.....के संबंध में इस प्राधिकारी द्वारा फायदा शेयर रकम के रूप में आदेश सं०..... तारीख.....द्वारा अवधारित रूपये.....की रकम 'ग', धारा 26(6) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय जीन निधि में निक्षिप्त करने के लिए उसी आदेश द्वारा कहा गया था ।

और, उक्त व्यक्ति.....निवासी.....ने उक्त फायदा शेयर रकम को गत.....से निक्षिप्त करने में व्यतिक्रम किया है/असफल रहा है, और उक्त व्यक्तिस्थान पर निवास करता है/अपना कार्य करता हैं, जो आपकी अधिकारिता के भीतर है ।

इसमें नामित व्यक्ति की ओर से उपर्युक्त व्यतिक्रम को ध्यान में रखते हुए.....के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में ऊपर उल्लिखित फायदा शेयर रकम को संग्रहित करने के लिए एक निर्देश पत्र आपके कार्यालय को भेजा जा रहा है ।

इस निर्देश के अनुसरण में भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की रकम को पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जीन निधि में उक्त रकम की वसूली के पश्चात तीन मास की अवधि के भीतर निक्षिप्त कराना अपेक्षित है ।

तारीख.....20.....

प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

प्ररूप 0-5

(नियम 47 देखें)

भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्ट्रार

अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

सं०.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....निवासी..... को..... फसल की पौधा किस्म..... के संबंध में तारीख.....200 को एक अभिकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

तथापि, यह प्रमाणपत्र ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्री पौधा किस्म/मों के संबंध में संविदा में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होगा ।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और मुहर
पौधा किस्म रजिस्ट्री

प्रकप 0-8

(नियम 49 देखें)
भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्ट्री
धारा 28 के अधीन सूचना

सूचना सं०.....

पौधा किस्म रजिस्ट्रीकरण सं०.....के मामले में आवेदन सं०.....

.....नेअभिधान वाली..... फसल की पौधा किस्म.....के मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सं०.....की शर्तों में केरफार/रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आपको इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 3 माह के अंदर आवश्यक दस्तावेज सहित उक्त आवेदन के प्रति विरोध फाइल करने की सूचना दी जाती है । जिसमें असफल होने पर उक्त आवेदन पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

तारीख.....200

रजिस्ट्रार, पौधा किस्म रजिस्ट्री के हस्ताक्षर और मुहर

प्ररूप ओ 7

(नियम 51 (1) देखें)

इस अधिनियम की धारा 33(2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के संवर्धक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को सूचना अभ्यर्पण के प्रस्ताव की रजिस्ट्रार द्वारा सूचना

रजिस्ट्रार पौधा किस्म, धारा 33(1) के अधीन प्राप्त आवेदन के रजिस्ट्रीकृत अभिकर्त्ता और/या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी को सूचना तामील करता है।

आवेदन की प्रति और रजिस्ट्रार को प्राप्त विवरण साथ में संलग्न है।

यदि अधिसूचित कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पित किये जाने का विरोध करने का आशय रखता है तो वह उसका अधिसूचना के प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर विनिर्दिष्ट विहित तरीके से विरोध कर सकता है।

तारीख:- 1.....

सेवा में

(1) रजिस्ट्रीकृत अभिकर्त्ता 2
(2) रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी 3

1. पौधा किस्म के रजिस्ट्रार या विधिसम्यक प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
2. रजिस्ट्रीकृत अभिकर्त्ता और /या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता भरें।
3. जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप ओ 8

(नियम 53(1)देखें)

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रति संहरण के लिये धारा 34 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन की सूचना

पौधा किस्म प्राधिकारी धारा 34 के अधीन प्राप्त आवेदन के रजिस्ट्रीकृत प्रजनक को सूचना तामील करता है।

आवेदन की प्रति और रजिस्ट्रार से प्राप्त विवरण के साथ संलग्न है।

IndiaCode

यदि अधिसूचित कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरत किये जाने का विरोध करने का आशय रखता है तो वह अधिसूचना के प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर विहित तरीके से विरोध कर सकता है।

तारीख 1.....

सेवा में रजिस्ट्रीकृत प्रजनक
स्थान 2

1. प्राधिकरण अध्यक्ष या सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
2. रजिस्ट्रीकृत संवर्धक और/या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता और/या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्ति धारी का पूरा नाम और पता लिखें।

प्ररूप ओ-9
(नियम 59 (1) देखें)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने या परिवर्तित या पौधा किस्म के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को करने, निकालने या उसमे फेरफार करने के लिये रजिस्ट्रार की सूचना

..... फसल की पौधा किस्म, रजिस्ट्रीकरण सं. के नाम से रजिस्ट्रीकृत के मामले में, यदि रजिस्ट्रार निम्नलिखित परिवर्तन या संशोधन करना चाहता है और ऐसी परिस्थितियों में जो संलग्न विवरण में पूर्णतया वर्णित है, तो पौध किस्म रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की तामील की जाती है।

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का रद्दकरण
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन
3. पौधा किस्म रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को करना, निकालना या उसमें फेरफार करना

तारीख 1

सेवा में

क. रजिस्ट्रीकृत संवर्धक 2

ख. रजिस्ट्रीकृत अभिकर्त्ता 2

ग. रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी 2

1. पौधा किस्म के रजिस्ट्रार या सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

2. नाम तथा पता लिखें।

प्ररूप 0-10

(नियम 63 (1) देखें)

धारा 37 (2) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वारा रजिस्टर में संशोधन के लिये आवेदन की सूचना

पौधा किस्म के रजिस्ट्रार धारा 37(2) के अधीन प्राप्त आवेदन के रजिस्ट्रीकृत प्रजनक को सूचना को तामील करता है।

आवेदन की प्रति और रजिस्ट्रार से प्राप्त विवरण संलग्न है।

.....वी तारीखसन 20.....

1.

रजिस्ट्रीकृत संवेधक
पता 2

1. पौधा किस्म के रजिस्ट्रार या सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
2. नाम व पता भरें।

प्ररूप 0-11

(नियम 65 देखें)

भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्ट्री

अभिधान में परिवर्तन

..... फसल की पौधा किस्म.....जिसका रजिस्ट्रीकरण सं.....तारीख.....है।

सूचित किया जाता है किफसल की पौधा किस्म.....जिसका रजिस्ट्रीकरण सं.....तारीखहै, के अभिधान में परिवर्तन के लिये

IndiaCode

.....द्वारा..... को आवेदन किया गया था। नीचे दिए गए परिवर्तित अभिधान को अनुज्ञात किया गया है।

.....वीं तारीख, सन. 200.....

प्राधिकारी के हस्ताक्षर और
मुहर
पौधा किस्म संरक्षण और कृषक
अधिकार प्राधिकरण

प्रकप 0-12

भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्ट्री

समुदाय के अधिकारों हेतु प्रतिकरपूर्ति के लिये सूचना

..... फसल की पौधा किस्म.....जिसका रजिस्ट्रीकरण सं.....तारीख.....है।

सूचित किया जाता है कि से उक्त पौधा किस्म के विकास में उनके / उसके द्वारा किये गये अभिदाय के हेतु दावे प्राप्त हो गये हैं। प्रजनक/उनके रजिस्ट्रीकृत अभिकर्त्ता/विधिक प्रतिनिधि/समनुदेशिकी को इस सूचना की तारीख से 3 माह के भीतर ऐसे दावों के प्रति किसी आक्षेप को फाइल करने का निर्देश दिया जाता है।

वे अधिप्रमाणित साक्ष्यों को प्रस्तुत करके दावों के प्रति अपनी आक्षेपों को सिद्ध करेंगे। यदि वह ऐसा चाहता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

..... वीं तारीख सन् 200

[सं. 1-4/2003/एस डी-V]

के० एम० साहनी, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2003

G.S.R. 738(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act,2001(53 of 2001) read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules, namely:----

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement** --

(1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date on which the Act shall come into force.

2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001(53 of 2001);

(b) "Authority" means the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority established under sub-section (1) of section 3;

(c) "Chairperson" means the chairperson of the Authority appointed under clause (a) of sub-section (5) of section 3;

(d) "fee' means the fee specified in the Second Schedule;

IndiaCode

(e) "Form" means a Form specified in the First Schedule;

(f) "Gazette" means the Official Gazette of the Government of India;

(g) "Journal" means the monthly Journal of the Authority;

(h) "non-official member" means a member of the Authority other than a member, ex-officio;

(i) "notice" means a notice issued by the Tribunal or the Registrar or the Authority under the Act;

(j) "Registrar" means a Registrar of Plant Varieties appointed under sub-section (4) of section 12 and includes the Registrar General of Plant Varieties appointed under sub-section (3) of that section;

(k) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(l) "section" means a section of the Act;

(m) "representation" means any written communication addressed to the Authority or the Registrar in any proceeding under the Act;

(n) all other words and expressions used, but not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Details of particulars to be furnished while making an application or representation --

(1) Save in case of forms specified by the Authority under the Act, every person making an application or representation under the Act or these rules, shall furnish the particulars in the Forms specified in the **First Schedule**;

IndiaCode

(2) If any application or representation has been filed without furnishing all the particulars as specified in the relevant Forms specified in the First Schedule, the Authority or the Registrar, as the case may be, shall give one month's notice to the applicant or the person, who has filed the application or the representation to file such particulars.

(3) In the event the applicant or the person, who has filed the application or the representation, defaults or fails to rectify the application or the representation, as the case may be, in terms of the notice under sub rule (2) within one month as allowed, the said application or the representation shall be liable to be rejected without any further notice.

(4) Where no Form is specified for any purpose, the applicant may adopt as nearly as may be a Form specified in the First Schedule with such modifications and variations as may be considered necessary.

IndiaCode

4. Office of the Authority -

(1) The office of the Authority shall, for all proceedings under the Act, be the head office of the Authority at New Delhi or the branch office, as the case may be, within whose territorial limits –

(a) the applicant for registration of the plant variety or the farmers' right has his principal place of business or domicile; or

(b) the applicant for registration of the plant variety or the farmers' right, whose name is first mentioned in the application, resides or has his principal place of business or domicile, if the application is made jointly in the names of two or more persons; or

(c) the agent or licensee of the registered breeder has his principal place of business or domicile.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), until the branch offices are established, the appropriate office for all proceedings under the Act shall be the head office of the Authority at New Delhi.

Address for service of notices, etc.

(1) Every person including the applicant, concerned in any proceeding to which the Act or these rules apply, shall furnish to the Authority or the Registrar the complete address for service in India and that address shall be treated for all purposes connected with such proceedings or the rights granted, as the address of the person or persons in the proceedings.

(2) Unless such an address is given, the Authority or the Registrar shall be under no obligation either to proceed or deal with any proceeding or to send any notice that may be required to be given under the Act or these rules.

6. **Procedure regarding application, representation and issue of notices -**

(1) Every application or representation shall be made in writing, signed by the applicant or the person who has made the representation, and delivered to the Registrar or the Authority at its office.

(3) The names and addresses of the applicants and other persons shall be given in full, together with their nationality and such other particulars, as are necessary for their identification and for sending communications to them.

(4) (a) All applications, representations and documents filed or required to be filed under the Act or the rules shall be filed in triplicate:

Provided that in cases where the Registrar or the Authority requires more than three copies of such applications, representations, or documents, the applicant or the person, who has filed the application or the representation, shall be required to supply as many copies as is specified by the Authority or the Registrar.

(b) In case of failure to furnish the required number of copies within a period of three months, the Registrar or the Authority may reject the application or the representation or may treat the application or representation as withdrawn.

(4) Any application, representation or document required to be sent to or filed with the office of the Authority or the Registrar may be delivered either by hand or by registered letter with acknowledgement due or electronic mail, addressed to the Authority or to the Registrar at their office.

(5) If any application or a representation or document is delivered to the Authority or the Registrar by hand, an acknowledgement receipt shall be issued by the Authority or the Registrar's office with its seal.

(6) In case of delivery by registered post with acknowledgement due or by electronic mail, it shall be presumed to have been filed, or given at the time when the same has been received by the office concerned.

(7) Any written communication addressed to an applicant or the holder of any right under the Act, at his address in the Register of Plant Varieties maintained under the Act or at the address for service furnished under rule 5 in any proceedings under the Act or these rules, at the address appearing on the application or notice of opposition or reply or counter reply or any such representation, shall be presumed to be properly addressed :

Provided that in cases where the receipt of such a representation or application has been delayed beyond the normal period of delivery or transmission, such a delay may be condoned.

(8) All notices and written communications addressed to an applicant or to any holder of right, in any proceeding under the Act or these rules, and all documents forwarded to the applicant or the holder of any right or an opponent shall, except when they are sent by special messenger, be sent by registered post acknowledgement due or by electronic mail.

(9) (a) The acknowledgement receipt issued by the office concerned or the postal certificate receipt shall be the sufficient proof as to the delivery or sending of any document under the Act or these rules.

(b) In case of transmission by electronic mail, the electronic receipt with the recognised digital signature, by the applicant or the person, who has made the representation, shall be the proof of the receipt.

7. Application not to be admitted in certain cases -

No application or representation shall be made to the authority or registrar covering the subject-matter already included in an earlier application made by the same person, and such subsequent application shall not be admitted by the registrar or the authority, as the case may be.

8. Fees -

(1) The amount of fees payable in respect of the registration of plant varieties and grant of any right under the Act or any application or notice of opposition or reply or counter reply required to be filed under the Act and other matters shall be as per the rates specified in the **Second Schedule.**

(3) (a) The fees payable may either be paid in cash or may be sent by money order or postal order or bank draft or cheque payable to the Authority or the Registrar, as the case may be, at their respective offices, drawn on a scheduled bank at the place where the office is situated.

Explanation : For the purposes of these rules, "scheduled bank" means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(b) Any cheque or draft (not including the fees in cash) on which the value specified therein cannot be collected in cash within the time

IndiaCode

allowed for the payment of the fees, shall be accepted at the discretion of the Registrar.

(c) The stamps shall not be received in the payment of any fees payable under these rules.

(d) Where a fee is payable in respect of the filing of a document or application or representation, the date on which the entire fee is paid shall be the date of filing of the document or the representation.

(3) Where any test is required to be conducted under any of these rules, the applicant or the concerned person shall be required to pay the requisite fee specified in the **Second Schedule.**

(4) Any application or representation or document shall be liable to be rejected on account of non-payment of fees and no test shall be conducted unless and until the parties interested deposit the required amount of fees as specified in the Second Schedule.

9. Size, etc., of documents -

All documents and copies of documents, except affidavits and drawings, sent to or left at the office of the Authority or otherwise furnished to the Registrar shall be written, typewritten, lithographed, or printed (either in the Hindi or in the English language unless otherwise directed or allowed by the Authority or the Registrar-General) in large and legible characters with deep indelible ink with lines widely spaced upon one side only of strong white paper of a size of approximately 33.00 centimetres by 20.50 centimetres (13 inches by 8 inches) or 29.7 centimetres by 21 centimetres (11 3/4 inches by 8 1/4 inches) with a margin of at least four centimetres (one and a half inches) on the left-hand part thereof.

10. Affidavits -

The affidavits required to be filed under these rules shall be dated and signed at the foot and shall contain a statement that the facts and matters stated therein are true to the best of the knowledge, information and belief of the person making the affidavit.

CHAPTER II

PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS PROTECTION AUTHORITY

11. Manner of Selection and Appointment of the Chairperson -

(1) The Chairperson shall be appointed by the Central Government on the basis of a panel of names recommended by a Selection Committee comprising of the following, namely:-

(a) Secretary, Department of Agriculture and Co-operation, Government of India – Chairman.

(b) Secretary, Department of Agriculture Research and Education, Government of India – Member.

(c) One Expert nominated by Ministry of Agriculture, Government of India – Member.

(2) The Department of Agriculture and Cooperation of the Central Government shall act as the nodal department for the selection and appointment of the Chairperson.

(3) The Chairperson shall be of the rank of the Secretary to the Government of India and the appointment as chairperson shall either be on deputation or on contract basis.

(4) If the Selection Committee constituted under sub rule (1), recommends any person who is not a government servant but fulfills

qualifications given in clause (a) of sub-section (5) of section 3, such appointment may be made on contract basis.

12. Term of Office of the Chairperson -

The Chairperson shall hold office for a term of five years or up to the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall be eligible for re-appointment:

Provided that no Chairperson shall hold office for a total period exceeding ten years, or after he has attained the age of sixty-five years, whichever is earlier.

13. Salary, allowances, conditions of service, leave, pension, provident fund etc. of the Chairperson -

The Chairperson shall be entitled to such salary, allowances, leave, pension, provident fund and other perquisites as are admissible to a Secretary to the Government of India.

14. Resignation or removal of the Chairperson from office in certain cases -

(1) The Chairperson may resign from his office by giving notice in writing to the Central Government.

(2) The Central Government shall remove the Chairperson from office if he, -

(a) is or at any time has been, adjudicated as an insolvent;

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude;

(c) has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson;

(d) has failed in discharging the duties and responsibilities under the Act and the rules made thereunder;

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as the Chairperson;

(f) has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as to render his continuation in office detrimental to the public interest;

(g) any other substantiated ground which is unbecoming of a public servant under the Government of India :

Provided that the chairperson shall not be removed under this sub-rule unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

15. Term and allowances of non-official members -

(1) Every non-official member of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of his appointment.

(2) The Central Government shall appoint new non-official member of the Authority within six months of the expiration of the term of the non-official member.

(3) A non-official member shall be entitled to sitting allowance and travelling expenses, at such rate as may be fixed by the Central Government from time to time in this regard.

16. Proceedings of the Authority -

(1) The Authority shall meet atleast twice in a year at the head quarters of the Authority or at such place as may be decided by the Chairperson.

(2) The Chairperson shall, upon a written request of not less than five members of the Authority or upon a direction of the Central Government, call a special meeting of the Authority.

(3) At least fifteen days' notice of an ordinary meeting and three days' notice of a special meeting specifying the purpose, the time and the place at which such meeting is to be held, shall be given to the members.

IndiaCode

(4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, by a Presiding Officer to be chosen by the members present from amongst themselves.

(5) The decision of the Authority shall be taken by a majority of the votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence, the member presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

(6) Every member shall have one vote.

(7) The quorum for the meeting of the Authority shall be five.

(8) No member shall be entitled to bring forward for the consideration of a meeting any matter of which he has not given ten days' notice to the Member-Secretary unless the Chairperson, in his discretion, permits him to do so.

(9) The notice of the meeting may be given to the members by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or in such other manner as the Chairperson or the Member-Secretary may, in the circumstances of the case, think fit

17. **Chairman and proceedings of the Standing Committee -**

(1) The Chairperson shall select a member of the Standing Committee appointed by him under sub-section (7) of section 3 from amongst the members of that Committee to preside over its meeting.

(2) In the absence of the member selected under sub-rule (1), the meeting of the Standing Committee shall be presided over by the member who shall be elected by the members present at meeting from amongst themselves.

(3) The decision in the meeting of the Standing Committee shall be taken by a majority of the members present and voting and in the event of equality of votes, the member selected under sub-rule (1) or in his absence, the member presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

(4) Every member shall have one vote.

(5) The quorum for the meeting of the Standing Committee shall be three.

(6) The convener of the Standing Committee may, in consultation with the Authority, determine the venue of its meetings any where in India; and serve notice of such meeting to all members at least fifteen days in advance.

18. **Appointment of Expert Committee by the Authority** -

(1) The Authority may appoint such experts or consultants as it considers necessary to seek guidance and assistance in technical areas demanding specialized advisory inputs, to enable the Authority for efficient discharge of its duties and functions.

(2) The Authority may appoint such other committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions.

(3) The Authority may, in consultation with the Central Government, fix the quantum of remuneration, payable to the experts and consultants.

19. **Salary, Allowances and Conditions of service of the Registrar-General** -

(1) The Registrar-General shall be an official equivalent to the rank of the Additional Secretary to the Government of India and he shall be appointed by the Authority on deputation or transfer or on contract basis.

(2) The Registrar-General shall be governed by the Central Government rules in respect of his salary and other allowances including pension, leave, travelling and daily allowances as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India.

(3) The decision in the meeting of the Standing Committee shall be taken by a majority of the members present and voting and in the event of equality of votes, the member selected under sub-rule (1) or in his absence, the member presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

(4) Every member shall have one vote.

(5) The quorum for the meeting of the Standing Committee shall be three.

(6) The convener of the Standing Committee may, in consultation with the Authority, determine the venue of its meetings any where in India; and serve notice of such meeting to all members at least fifteen days in advance.

18. **Appointment of Expert Committee by the Authority -**

(1) The Authority may appoint such experts or consultants as it considers necessary to seek guidance and assistance in technical areas demanding specialized advisory inputs, to enable the Authority for efficient discharge of its duties and functions.

(2) The Authority may appoint such other committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions.

(3) The Authority may, in consultation with the Central Government, fix the quantum of remuneration, payable to the experts and consultants.

19. **Salary, Allowances and Conditions of service of the Registrar-General -**

(1) The Registrar-General shall be an official equivalent to the rank of the Additional Secretary to the Government of India and he shall be appointed by the Authority on deputation or transfer or on contract basis.

(2) The Registrar-General shall be governed by the Central Government rules in respect of his salary and other allowances including pension, leave, travelling and daily allowances as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India.

(3) The Registrar-General shall be a person having proven managerial, or legal or Intellectual Property Rights or agricultural development experience.

(4) The term of office of the Registrar-General shall be a period of five years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier :

Provided that no candidate who may not have at least two years tenure in the office shall be appointed as Registrar-General.

(5) A person on completion of one term as Registrar-General shall be eligible for a second term of three years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier.

20. The method of appointment of officers and other employees of the Authority -

(1) The Authority may make recruitment and appointment to the posts of officers specified in the **Fourth Schedule.**

(2) The Authority shall after advertising the posts in the Employment News and atleast one national daily recruit officers and other employees of the Authority by the method of direct recruitment or contract basis by selection after conducting interview.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and subject to the approval of the Central Government the Authority may also appoint such other officers and employees as may be required by it on transfer or deputation basis or on contract basis.

(4) The salary, allowances and other conditions of service of the officers and employees of the Authority shall be the same as applicable to Central Government servants of equivalent rank.

(5) If any question on the service conditions of any officer or employee of the Authority arises, it shall be decided by the Central Government.

21. Powers and Duties of the Chairperson -

(1) In addition to the duties specified in the Act, the Chairperson shall have powers of general superintendence and directions in the conduct and management of the affairs of the Authority, to enable the Authority in

effectively discharging its duties and overseeing the compliance of the provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder.

(2) The Chairperson shall also discharge such other duties and functions as the Authority may by general or special order in writing delegate to him or the Central Government may authorise him to discharge from time to time.

(3) The Chairperson shall convene, preside over and conduct the meetings of the Authority and be responsible for carrying out all decisions taken by the Authority.

(5) The Chairperson shall guide and facilitate the development of new plant varieties by protecting the rights of the breeders, researchers, farmers, and community of farmers as provided under the Act.

(6) The Chairperson shall facilitate and act on his satisfaction for compulsory licensing of registered plant varieties and advise the Central and the State Governments on the restriction of public use of any such registered plant varieties which may invite action under sub-rule (4).

22. General functions of the Authority -

(1) The Authority shall advice the Central Government in relation to the provisions contained in the sub-section (2) of section 29 for specifying and notifying the genera and species for the purposes of registration of new plant varieties other than extant varieties and farmers' varieties.

(2) The Authority shall register extant varieties under clause (a) of sub-section (2) of section 8 within such period as may be determined by it with suitable test criteria to conform distinctiveness, uniformity and stability (hereinafter referred to as DUS) of such varieties.

(3) The Authority shall develop DUS test and other test criteria and conduct such tests for characterization of each variety of crop species notified by the Central Government.

(4) The Authority shall compile and maintain a database on all varieties of common knowledge including all registered extant and farmers' varieties and such varieties being cultivated outside India for each crop species prior to grant for registration for new varieties belonging to such species.

(5) The Authority shall be entitled to call for and procure the details of any crop variety under use in the country for the purpose of bringing the same into its database.

(6) Any public or private institution, community or individual involved in the production and use of seed of such varieties shall be required to provide full information on its characteristics or and a true sample of seed of such variety.

(7) The Authority shall keep a record of the production and sale of seed of all registered varieties.

(8) It shall be necessary for all breeders of registered varieties to supply certified figures on annual seed production and sales to the Authority within a period not exceeding three months from the completion of such reporting period.

(9) The Authority, if required shall also be entitled to call for such figures specifically relating to any region of the country.

23. Matters to be included in the National Register of Plant Varieties -

The National Register of Plant Varieties shall contain the following particulars of each registered variety, namely: -

(1) Registration Number;

(2) Nationality of Breeder(s);

(3) Denomination as granted;

(4) Date of Grant of Registration;

(5) Date on which application was received;

(6) Provisional number given to the application;

(7) Date of Gazette notification;

(8) Grouping of the plant variety (new, extant or farmers);

(9) Classification of the variety (typical variety, hybrid variety or essentially derived variety);

(10) Denomination of variety, Common Crop name to which the variety belongs, Taxonomical Lineage of the Crop in Botanical names;

(11) Key Passport data of the variety;

(12) Essential characters making the variety distinct;

(13) Starting date of protection;

(14) Expiry date of protection;

(15) Date of revocation with other details (grounds etc.);

(16) Name and address of the applicant(s);

(17) Address for service of document(s);

(18) Name and address of the breeder(s) (in case breeder is not the applicant);

(19) Name and address of the legal representative (if applicable);

(20) Name, address and other details of the licensee and terms of license (if applicable);

(21) Name, address and other details of the agent with jurisdictional rights, if any (if appointed);

(22) Type of crop;

(23) Name of the family, genus, species, variety and common name;

(24) Name and address of the breeder of initial variety (in case of essentially derived variety);

(25) Details of the acquisition of propagating material/ seeds (if applicable);

(26) Details of parental material used in the development (if applicable);

(27) Name and address of the contributor(s) of genetic material (if applicable);

(28) Any other feature specified by the Authority or Registrar-General;

(29) Country of origin of the plant variety;

(30) Brief description of the variety along with characteristic details of the nearest variety including results of DUS testing, supplemented with the drawings or photographs or both;

(31) In case of compulsory licensing, name and address of licensee with other details (terms and conditions, revocation, etc), if applicable;

(32) Declaration and details of the renunciation to the variety (if applicable);

(33) Details of benefit sharing;

(34) Details of opposition, revocation, restoration, maintenance (whatever applicable);

(35) In the case of varieties protected outside India prior to registration in the country, following additional information shall be entered in the National Register of plant varieties namely: -

(a) Name of the country(ies) where protection is made along with the denomination of the variety in each of them,

(b) Date of first protection with country,

(c) Variation in important trait with respect to first filing,

(d) Country wherein the Variety was first commercialized with date,

(e) Any other feature specified by the Authority or Registrar-General;

(36) In case of a convention application, the following information shall also be furnished, namely :-

(a) Name of the convention country

(b) Passport data of the convention application

(c) Date of application

(d) Date of grant of registration

(e) Registration number

(f) Denomination as accepted

(g) Date of Gazette notification

(h) Starting date of protection

(i) Expiry date of protection

(j) Whether the variety has been sold or otherwise disposed of within and outside the country, if so, details thereof

(37) Any changes made in any entry.

CHAPTER III

REGISTRATION OF PLANT VARIETY

24. Registration of Extant Plant Varieties under sub-section (2) of section 15 -

(1) The Registrar shall register every extant variety within three years from the date of its notification under the Act, with respect to the genera and species eligible for registration subject to conformity to the criteria of

distinctiveness, uniformity, and stability as laid down under the regulations:

Provided that the Registrar may, for reasons to be recorded in writing, register an extant variety after the expiry of the said period of three years.

25. Application to authorize a person to register a variety under clause (e) of sub-section (1) of section 16 -

An application to authorize a person to register a variety under clause (e) of sub-section (1) of section 16 shall be made in **Form PV-1**, given in the **First Schedule**, by a person specified in sub-section (1) of that section.

26. The fee payable under clause (g) of sub-section (1) of section 18 for making application for registration of plant variety -

The fee for making application for registration of a plant variety under section 14 shall be such as specified in column (3) of the **Second Schedule for the purpose**.

27. Proof of the right of making application under sub-section (3) of section 18 -

(1) Where an application for registration is made by the successor or assignee of the breeder under sub-section (3) of section 18, he shall furnish documentary proof, at the time of making such application or within six months of making such an application, as to the right to make such an application for registration.

(2) The documentary proof, in case of an assignment, shall be furnished in the manner specified in **Form PV - 2**, given in the **First Schedule** and in case of succession, or a succession certificate or any other document in support of succession proving the applicant to be the successor shall be furnished.

28. Fee for conducting tests under section 19 -

The applicant shall deposit the requisite fee for the purpose as specified in column (3) of the **Second Schedule**, with the Registrar for conducting the required tests under section 19.

29. Manner and method for conducting tests under section 19 -

(1) (a) The Authority shall charge separate fees for conducting DUS test and special test on each variety.

(b) The special tests shall be conducted only when DUS testing fails to establish the requirement of distinctiveness.

(c) The DUS testing shall be field and multi-location based for at least two crop seasons and special tests be laboratory based.

(d) The fee for DUS and special tests shall be such as provided in column (3) of the **Second Schedule for the purpose**.

(2) If the Registrar, after initial scrutiny of the application for registration, is satisfied that the application is in order, he shall notify the applicant to deposit the requisite fee, as specified in column (3) of the **Second Schedule**, within a period of two months for conducting the DUS test.

(3) On receipt of the fee, demanded under sub-rule (1), the Registrar shall consider the application for further processing.

(4) The DUS test shall be necessary for all new varieties except essentially derived variety.

(5) The manner of testing essentially derived varieties shall be decided by the Authority on a case-to-case basis.

(6) The DUS test shall be conducted on a minimum of two locations.

(7) The Authority may recognize and empanel institutions having adequate facilities for conducting DUS or special tests in the country for conducting such tests.

(8) The Authority shall notify the adopted methods of conducting the DUS and special tests.

(9) The Authority shall develop and publish in its journal guidelines for the DUS test for each crop.

(10) The samples of seeds or propagules in respect of which an application for registration has been made and parental lines under registration submitted for the DUS and special tests and deposited at the National Gene Bank shall present the maintainable standards of genetic purity, and uniformity and germination, sanitary and phytosanitary standards.

30. Advertising of application for registration under section 21 -

(1) Every application for registration of a variety which has been accepted and the details thereof including specifications shall, upon such acceptance under sub-section (1) of section 20, be advertised by the Registrar in the manner specified in **Form – 0-1** of the **Third Schedule.**

(2) In every such advertisement under sub-rule (1), the Registrar shall mention the place or places where a specimen of the variety may be inspected.

(3) The contents of such advertisement shall include -

(a) name, passport data and source of parental line or initial variety used to develop the variety in respect of which an application for registration has been made ;

(b) description of the variety bringing out its character profile as specified under the DUS test Schedule ;

(c) essential characteristics conferring distinctiveness to the variety ;

(d) important agronomic and commercial attributes of the variety ;

(e) photographs or drawings, if any, of the variety submitted by the applicant; and

(f) claim, if any, on the variety.

31. Notice of opposition under sub-section (2) of section 21 -

(1) Any interested person, may within three months from the date of advertisement of an application for registration, may give a notice of opposition to the registration of a plant variety in **Form PV-3** of the **First Schedule.**

(2) The fee payable for filing an opposition referred to in sub-rule (1) shall be as specified in column (3) of the **Second Schedule** :

Provided that no such fee shall be payable in respect of an opposition made by a farmer or group of farmers, or village community.

(3) A copy each of the notice of opposition received against a specific application shall be referred to the applicant by the Registrar within three months from the last date of filing of opposition.

(4) An applicant shall be entitled to submit point-wise counter statement to the opposition not later than two months from the date of service of the copy of the notice of opposition, failing which the Registrar shall decide the merits of the opposition and notify his decision by giving reasons therefor.

(5) Every counter-statement under sub-rule (4) shall be in **Form PV-4** of the **First Schedule.**

(6) The copies of counter to opposition submitted by the applicant within the time specified in sub-rule(4) , shall be conveyed to the person opposing the application, within a period of thirty days of its receipt, requiring the opposing person to submit the final opposition within a period of thirty days from the date of service of the counter from the applicant.

(7) The Registrar, may at his discretion, allow any correction of error or amendments in the notice of opposition or counter statement if such alteration is requested by the persons concerned in writing.

(8) (a) The security referred to in sub-section (8) of section 21 shall be payable as an amount decided by the Authority.

(b) In case the opposition is found to be frivolous, the Registrar may direct payment of cost as determined by him to the applicant from out of the security amount received and the balance of the security amount shall be deposited in the Authority.

(c) In case the opposition succeeds, the security amount shall be refunded to the opposition party.

32. Compliance with Time Schedule -

(1) The time schedule provided for advertisement, opposition, defence, hearing and amendment of specification under these rules shall not be extended and failure in compliance with these time schedules shall forfeit the opportunity granted.

IndiaCode

33. Manner of submitting evidence and time limit for filing notice of opposition, counter-statement or producing evidences under section 21 -

(1) Any evidence, upon which the opponent may rely, shall be submitted in duplicate to the Registrar with a copy to the applicant within one month from the receipt of counter-statement of the applicant.

(2) Any evidence upon which the applicant may rely shall be submitted in duplicate to the Registrar with a copy to the opponent within thirty days from the date of receipt of opponent's evidence.

(3) No further evidence shall be submitted by either party except by leave or directions of the Registrar.

(4) The copies of all the documents, except plant variety application, referred to in the notice of opposition or in any counter-statement filed in

connection with the opposition shall be in triplicate unless the Registrar directs otherwise.

(5) Where a document, is in a language other than English, and is referred to or relied upon in the notice, statement or evidence, an attested translation in English thereof shall be furnished in triplicate.

(6) The time-limit for filing the evidence shall not ordinarily be extended except by a special order of the Registrar given on an application filed by the person seeking extension of time and on payment of the fee specified in the **Second Schedule** and such an application for extension shall be in **Form- PV 5** of the **First Schedule.**

34. Application for the registration of essentially derived variety under section 23 -

(1) The application for registration of an essentially derived variety shall be accompanied by the following documents, namely :

(a) an affidavit sworn by the applicant stating that such a variety does not contain any gene or gene sequence involving terminator technology ;
(b) a statement giving details of the brief description of the characteristics of the variety to substantiate novelty, distinctiveness, uniformity and stability; and
(c) the details of parental material used.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the fee as specified for the purpose in column (3) of the **Second Schedule.**

35. Manner and method for conducting test under section 23 -

The tests referred to in sub-section (3) of section 23 shall be conducted by the Authority in consultation with the Central Government.

IndiaCode

36. Certificate of registration under section 23 -

The Registrar shall issue to the applicant a certificate of registration of an essentially derived variety in the manner specified in **Form O-2** of the **Third Schedule** and send a copy of the registration to the Authority and to such other body (ies) as may be notified by the Central Government for information.

CHAPTER IV

REGISTRATION AND BENEFIT SHARING

37. Certificate of registration under section 24 -

(1) The certificate of registration of a plant variety, other than an essentially derived variety, under sub-section (2) of section 24 shall be in **Form O-2** of the **Third Schedule**.

(2) The Registrar shall issue the certificate of registration under sub-section (2) of section 24 within three years of the date of filing of application subject to the fulfillment of all other requirements.

(3) A copy of the certificate of registration issued under sub-section (2) of section 24 shall be sent to the Authority; and to such other body or agency, which the Central Government may, by notification in the official gazette specify.

38. Notice to the applicant under section 24 -

(1) If, within a period of twelve months, the application for registration of a plant variety other than an essentially derived variety is not completed in the circumstances given in sub-section (3) of section 24, the Registrar shall issue thirty days notice to the applicant at the address of his principal place of business in India, or if, he has no principal place of business in India, at the address for service in India stated in the application, but if the

IndiaCode

applicant has authorized an agent for the purpose of the application, the notice shall be sent to the agent and a duplicate thereof to the applicant for filing of the application or such further time as the Registrar may allow for completion of registration.

(2) The notice under sub-rule (1) shall be in **Form O-3** of the **Third Schedule.**

39. Renewal and revision of registration under section 24 -

(1) (a) On receipt of an application from the applicant, the Authority may review and renew the initial duration of registration as mentioned in sub-section (6) of section 24.

(b) Every application for review and renewal under sub-rule (1) shall be made in **Form PV-6** of the **First Schedule** and filed during twelve to eighteen months prior to the expiry of the initial period of registration.

(c) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with the fee payable for the remaining years under the initial period of registration, at the rate fixed for the year preceding the year of application, along with arrears, if any.

(2) (a) The renewal of registration may be applied for either for the remaining period of total aggregate duration of validity of the registration or for any period within such remaining period.

(b) In case, the applicant prefers for a period less than the total aggregate duration, no application shall be entertained for the further renewal of registration.

(3) (a) The fee payable for such extended period of registration beyond nine years in the case of trees and vines and six years in the case of other crop varieties, as the case may be, shall be based on average annual fee levied during the last two years of the said initial period of registration.

(b) The annual fee shall be uniform for the extended period of the registration and be payable in advance in single instalment.

(4) The Authority shall within such intervals as it thinks appropriate publish a list of varieties registered as well as renewed under the Act with the particulars of the period of registration, name and address of right holders periodically in its journal and in the Official Gazette.

40. Publication of contents of the certificate inviting claims for benefit sharing under section 26 -

Upon the issuance of the registration certificate under sub-section (8) of section 23, or sub-section (2) of section 24, the Authority shall, for the purpose of inviting claims for benefit sharing under the Act, shall advertise the following details of the registration certificate, namely -

(a) the registration number along with the date of grant,
(b) the name and address of the applicant or breeder in whose name the certificate has been issued or registered,
(c) denomination of the variety,
(d) name of the family, genus, species, variety and common name,
(e) parentage and geographical location of the variety,
(f) the details of the distinguishing features or the characteristics,
(g) in case of 'essentially derived variety', the details of the 'initial variety' from which the 'essentially derived variety' is claimed to have been derived.
(h) the name and address of the contributor, nature and amount of the contribution or the community knowledge used in the development of the plant variety.
(i) the terms and conditions of the agreement, if any, entered into between the breeder and the contributor.
(j) if the variety is sold or otherwise disposed of, details thereof.

IndiaCode

41. Benefit sharing claim under section 26 -

(1) Upon the publication of the particulars of a certificate under sub-section (1) of section 26, a person or group of persons or firm or a non-governmental organization can make a claim under sub-section (2) of that section for benefit sharing in **Form PV-7** of the **First Schedule** within a period of six months from the date of such publication.

Provided that in special circumstances, the Authority may extend the time limit beyond the period of six months.

(2) The person or persons or firm or the non-governmental organization, who has made an application for benefit sharing, shall provide the following information, namely :

(a) the contribution made by the person or the group of persons or firm or community or the non-governmental organisations to the genetic development of the plant variety ;

(b) the capacity in which the person or the group of persons or the non-governmental organisation is making the claim for benefit sharing ;

(c) in case of "essentially derived varieties", the terms and conditions in which authorisation has been given ;

(d) the commercial viability or the actual market performance of the variety so registered.

(3) An applicant for benefit sharing shall pay the fee as specified for the purpose, in column (3) of the **Second Schedule**.

42. Opposition to a claim for benefit sharing under section 26 -

(1) On receipt of a copy of the claim for benefit sharing, the registered breeder of the plant variety may accept the claim and accordingly intimate the same to the Authority within a period of three months from the date of such receipt..

(2) In the eventuality of the plant breeder failing or defaulting to tender the intimation under sub-rule(1) within the period of three months, referred to in sub-rule(1) it shall be presumed that he has no opposition to such claim and the claim shall be decided accordingly.

(3) If, within a period of three months of receipt of notice of claim, the breeder of the plant variety files his opposition to the claim for benefit sharing, such an opposition shall be taken into consideration while disposing or deciding the claim for benefit sharing.

(4) Every notice of opposition, under sub-rule(3) shall be in **Form PV-8** of the **First Schedule**.

(5) The Authority, upon receiving the reply from the registered breeder, shall furnish a copy of such reply to the claimant for benefit sharing.

(6) The registered breeder or the claimant to benefit sharing shall furnish supporting document and other evidence, which shall be duly considered by the Authority while disposing of any claim for benefit sharing.

43. Determination of benefit sharing under section 26 -

The Authority shall, by order, determine the amount of benefit sharing to a variety according to clauses (a) and (b) of sub-section (5) of section 26 and taking into account the following criteria, namely -

(a) the contribution of the claimant in selecting, conserving and providing the genetic material,

(b) the contribution of such genetic material in providing one or more traits which conferred high commercial value to the variety, and

(c) the contribution of such genetic material to impart high combining ability to the parents of the hybrid variety relating to benefit sharing.

IndiaCode

44. Reference for recovering benefit sharing under section 26 -

In case of default or failure on the part of the breeder of the variety to deposit the amount of benefit sharing in the Gene Fund, as per the order of the Authority of section 26, required under sub-section(6) within a period of three months from the date of such order, the Registrar shall make a reference to the District Magistrate under sub-section (7) of that section 26 in **Form O-4** of the **Third Schedule**.

45. Application for registration of title of agent or licensee under section 28 -

(1) An application under sub-section (4) of section 28 for registration as an agent or licensee, as the case may be, shall be made in **Form PV-9** of the **First Schedule**.

(2) The application for title by a licensee or an agent shall be accompanied by three attested copies of the agreement or instrument of entitlement or any other documentary evidence.

(3) The proposed agent or licensee may also be required to produce such other documents and information as may be required by the Registrar in support of the proof of title.

(4) The applicant under sub-section (4) of section 28 shall pay the fee as specified for the purpose in column (3) of the **Second Schedule**.

46. Reference of disputes of entitlement under section 28 -

(1) While referring a dispute under sub-section (4) of section 28 to the Authority for determination the Registrar shall furnish all the relevant information related to dispute with three copies of all the documents and evidence available with his office.

IndiaCode

(2) On receipt of an order of the Authority in respect of the dispute, the Registrar shall furnish copies of the order to the persons involved for necessary compliance.

47. Certificate of registration of entitlement under section 28 -

The certificate of registration to be issued to a registered licensee or an agent by the Registrar under sub-section (4) of section 28 shall be in **Form O-5** of the **Third Schedule.**

48. Application and procedure for varying or cancelling terms of registration under section 28 -

(1) An application under clauses (a), (b), (c), (d), or (e) of sub-section (9) of section 28 for variation or cancellation of the terms of registration of a registered breeder or his successor or any other person shall be in **Form PV-10** of the **First Schedule.**

(2) Every applications under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee as specified for the purpose in column (3) of the **Second Schedule.**

49. Notice and proceedings under section 28 -

(1) The Registrar shall issue notice of every application under sub-section (10) of section 28 in **Form O- 6** of the **Third Schedule** to the registered breeder or the agent or the licensee.

(2) Any person to whom a notice has been issued under sub-rule (1) and who intends to oppose or intervene in any proceedings under section 28, shall, within three months of the receipt of such notice, give notice of opposition or intervention to the Registrar in **Form PV-11** of the **First Schedule.**

(3) On receipt of a notice of opposition or intervention the Registrar shall furnish a copy of it to the applicant.

IndiaCode

(4) The Registrar may accept or refuse the application or accept it subject to any condition, modification or limitation as directed by the Authority and shall inform the parties in writing accordingly.

CHAPTER V

SURRENDER AND REVOCATION OF CERTIFICATE OF REGISTRATION AND RECTIFICATION AND CORRECTION OF REGISTER

50. Surrender of certificate of registration under section 33 -

The registered breeder may at any time, by giving notice to the Registrar offer to surrender his certificate of registration of plant variety in **Form PV-12** of the **First Schedule,** under sub-section (1) of section 33.

51. Procedure on application for surrender of certificate of registration under section 33 -

(1) The Registrar shall give notice in **Form O-7** of the **Third Schedule,** every notice of offer made under rule 50 to the registered agent or the licensee relating to such certificate.

(2) (a) Any person who has been given a notice of surrender of certificate of registration under sub-rule (1), who intends to oppose the surrender, shall within three month of the receipt of such notice, give notice of opposition to the Registrar in **Form PV-13** of the **First Schedule**, and shall send therewith a written statement setting out the nature of the opponents' interest, the facts relied upon along with the notice of opposition.

(b) The Registrar shall thereupon serve the notice of opposition along with the written statement received by him to the applicant.

(3) If the applicant desires to contest the opposition, he shall file or leave at the appropriate office a reply statement setting out fully the grounds upon which the opposition is contested, within a period of three month from the date of receipt of the copy of the written statement by him under sub-rule (2) and deliver to the opponent a copy thereof.

(4) The applicant or any person to whom a notice under sub-rule (1) has been issued may, make an application to the Registrar in **Form PV-14** of the **First Schedule,** for seeking an opportunity of being heard.

(5) On receipt of an application, under sub-rule(4), the Registrar may fix the time and place of hearing and issue notice to the parties accordingly and the interested parties may appear and give or file evidence in support of their case.

(6) The Registrar may accept or refuse the application or accept it subject to any condition, amendments, modifications or limitations and shall, accordingly, inform the parties in writing.

(7) If the Registrar accepts the registered breeder's offer of surrender of the plant variety, he shall by order direct the registered breeder to return the certificate of registration and on receipt of such certificate, the Registrar shall, by order, notify the surrender in the Official Gazette.

52. Application for revocation of protection granted to a breeder under section 34 -

Any person may make an application to the Authority in **Form PV-15** of the **First Schedule**, for revocation of protection granted to a breeder in respect of a variety on any of the grounds laid down under clauses (a) to (h) of section 34.

53. Procedure on application for revocation under rule 52 -

(1) The Authority shall issue notice in **Form O-8 of the Third Schedule,** to the registered breeder of any application received by it under rule 52.

(2) (a) In case the registered breeder intends to oppose the application for revocation of protection, he shall, within three months from the date of receipt of such notice, give notice of opposition to the Authority in **Form PV-16** of the **First Schedule**, and shall send therewith a written statement, setting out the facts upon which he bases his case and the relief sought.

(b) The Registrar shall serve the notice of opposition along with the written statement received by him to the applicant.

(3) If the applicant desires to contest the opposition, he shall file or leave at the appropriate office, a reply setting out the grounds upon which the opposition is contested, within a period of three months from the date of receipt of the copy of the written statement by him under sub-rule (2) and deliver to the opponent a copy thereof.

(4) (a) The applicant and the registered breeder may make an application to the Registrar in **Form PV-17** of the **First Schedule**, seeking an opportunity of being heard.

(b) The Registrar may, on receipt of such application, fix such time and place for hearing and issue notice to the parties accordingly and the interested parties may appear and give or file evidence in support of his case.

(c) The Registrar may, accept or refuse the application or accept it subject to any condition, amendments, modifications or limitations and shall accordingly inform the parties in writing.

(5) If the Authority accepts the application for revocation of the plant variety, it may direct, by order, the registered breeder to return the certificate of registration and on receipt of such a certificate, the Registrar shall by order notify the revocation of the plant variety in the Official Gazette.

54. Payment of annual fee for retention of registration under section 35 -

The registered breeder, agent and licensee shall pay an annual fee for retention of registration at such rate as specified for the purpose in column (3) of the **Second Schedule.**

55. Application for cancellation or change of certificate of registration under section 36 -

(1) Any person may make an application for changing the certificate of registration on the grounds laid down under sub-section (1) of section 36 to the Registrar.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be made in **Form PV-18** of the **First Schedule** and shall be accompanied by a statement of the grounds on which it is made.

56. Procedure on application for cancellation or change of certificate of registration under section 36 -

The Registrar may accept or refuse the application or accept it subject to any condition, amendment, modification or limitation as he may think fit to impose and shall inform the concerned parties in writing accordingly :

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity to make a representation against such rejection.

57. Application to rectify the register under section 36 -

Any person may make an application to the Registrar, in **Form PV-19** of the **First Schedule,** stating the grounds on which it is made, for making, expunging or varying the entry on the grounds laid down under sub -section (2) of section 36.

58. Procedure on application to rectify the Register under rule 57 -

The Registrar may accept or refuse the application for making, expunging or varying the entry or accept it subject to any condition, amendment, modification or limitation as he may think fit to impose and shall inform the concerned parties in writing accordingly :

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity to make a representation against such rejection.

59. Cancellation or change of registration or rectification of the Register by the Registrar under section 36 -

(1) The Registrar while exercising the powers under sub-section (4) of section 36 to cancel the registration, may make changes to the registration, or in case of rectification of the register, shall give notice in **Form O-9** of the **Third Schedule** to the registered breeder, agent or licensee, if any, and to any other person who appears to the Registrar to have any interest in the plant variety, and shall state the grounds on which the Registrar intends to take any action.

(2) If any person who has been given a notice under sub-rule (1) intends to oppose the action of the Registrar, he shall within three month from the date of the receipt of such notice, give the notice of opposition to the Registrar in **Form PV-20** of the **First Schedule,** and shall send therewith a written statement setting out the facts upon which he bases his case and the relief sought for.

(3) The Registrar after hearing the person to whom a notice under sub-rule (1) has been given may pass such order as he may think fit and shall, accordingly, inform the parties in writing.

60. Application for correction of Register by the registered breeder under section 37 -

An application for correction of the Register may be made by the registered breeder of the plant variety to the Registrar under sub-section (1) of section 37 in **Form PV-21** of the **First Schedule**, for making any change as laid down in clauses (a) to (c) of sub-section (1) of that section.

IndiaCode

61. Procedure on application for correction of the Register under rule 60 -

The Registrar may accept or refuse the application made under rule 60 for correction of register or accept it subject to any condition, amendments, modifications or limitations as he may think fit and shall, accordingly, inform the parties in writing.

62. Application for correction of the Register by the registered agent or licensee under section 37 -

An application for correction of the Register may also be made by the registered agent or the licensee to the Registrar under sub-section (2) of section 37 in **Form PV-22** of the **First Schedule** on the grounds laid down in sub-section (2) of that section.

63. Procedure on application for correction of the Register under rule 62 -

(1) The Registrar shall issue notice of every application under rule 62 in **Form O -10** of the **Third Schedule**, to the registered breeder.

(2) The Registrar may accept or refuse the application or accept it subject to any condition, amendment, modification or limitation he may think fit and shall, accordingly, inform the parties in writing, provided that tests referred to in sub-section (3) of section 23 shall be conducted by the Authority in consultation with the Central Government :

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given reasonable opportunity to make a representation against such rejection.

64. Alteration of denomination of a registered variety under section 38 -

(1) An application, to delete any part or to add or to alter the denomination of a registered variety, under sub-section (1) of section 38, shall be made by the breeder to the Registrar in **Form PV-23** of the First Schedule

(2) The Registrar may determine whether and subject to what conditions, if any, the amendments shall be allowed.

(3) (a) The Registrar shall advertise the application for alteration in denomination in the Gazette or a journal or a daily newspaper and shall also advertise the nature of the proposed alteration in the denomination thereof.

(b) The Registrar shall issue notice to all the persons, who, in his opinion, may have an interest in the matter.

65. Procedure on application for alteration of denomination under rule 64 -

(1) Any interested person may, within three months from the date of advertisement of an application for alteration in denomination of a registered variety, under sub-section (2) of section 38, give a notice of opposition to the proposed change in denomination of a registered variety in **Form PV -24** of the **First Schedule.**

(2) The Registrar shall serve a notice to the breeder about the opposition received for the proposed change in denomination and shall give an opportunity to both the parties of being heard, if so desired, before deciding the matter.

(3) In the event of leave being granted for alteration of denomination, the denomination as so altered shall be advertised in Gazette or a journal or a daily newspaper in **Form O-11** of the **Third Schedule**.

IndiaCode

CHAPTER VI

FARMERS' RIGHTS

66. **Claim for compensation under section 39**

(1) Any farmer, group of farmers or the organisation of the farmers may make an application, under sub-section (2) of section 39, to the Authority to claim compensation.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be in **Form PV-25** of the **First Schedule.**

67. **Procedure on application for claim for compensation under rule 66 -**

(1) The Authority shall give notice to the registered breeder about the compensation claim received in respect of the registered variety.

(2) After receiving a notice from the Authority under sub-rule (1), the registered breeder may, within three months from the date of receipt of such notice, file notice of opposition in **Form PV-26** of the **First Schedule.**

(3) In the eventuality of the breeder failing or defaulting to tender his opposition, within a period of three months, from the date of receipt of the notice for compensation, it shall be presumed that he has no opposition to such claim and accordingly such claim shall be decided.

(4) The Authority shall, upon receiving opposition from the breeder give opportunity to both the parties of being heard and may direct the breeder to pay such compensation to the farmer, the group of farmers or the organisation of the farmers, as the case may be as it deems fit..

IndiaCode

68. Issue of notice under section 41 -

(1) On receiving the report from the centre notified under sub-section (1) of section 41, in respect of claims filed by a person or group of persons or governmental or non-governmental organisation, for compensation to the people of any village or local community for their contribution in the development of new variety, and if satisfied, the Authority may issue notice to the registered breeder or his assignee or registered agent in **Form O-12** of the **Third Schedule**.

(2) Upon receiving the notice from the Authority, the registered breeder or his assignee or registered agent may file objection to the claim for compensation within three months in **Form PV-27** of the **First Schedule.**

(3) The Authority, upon receiving objection from the registered breeder or his assignee or registered agent, shall give opportunity of being heard to both the parties and after deciding on the eligibility for and quantum of compensation shall, direct, the breeder to pay compensation to the person, the group of persons or governmental or non- governmental organisation which has made the claim under sub-section (1) of section 41 and deposit the requisite funds within a period of two months with the Gene Fund .

69. Manner of receiving benefit sharing under section 45 -

The breeder of a variety or essentially derived variety shall deposit the amount of benefit sharing, as required under sub-section (6) of section 26, with the Gene Fund.

70. Manner of applying the Gene Fund under section 45: -

(1) The Authority shall pay the amount of benefit sharing, compensation required for use of genetic material towards evolution of new and essentially derived variety, to meet expenditure incurred for conservation and sustainable use of genetic resources and for the framing of schemes related to benefit sharing.

(2) The Gene Fund shall be applied for meeting the following purposes in accordance with the priority made hereunder :-

(a) to support and reward farmers, community of farmers, particularly the tribal and rural communities engaged in conservation, improvement and preservation of genetic resources of economic plants and their wild relatives, particularly in areas identified as agro-biodiversity hot spots;

(b) for capacity building on *ex situ* conservation at the level of the local body, particularly in regions identified as agro-biodiversity hot spots and for supporting *in-situ* conservation;

(c) on benefit sharing and compensation in accordance with sub-section (5) of section 26 and sub-section (3) of section 41; and

(d) on transaction cost of administering the Gene Fund.

CHAPTER VII

COMPULSORY LICENSE

IndiaCode

71. Compulsory licensing under section 47 -

(1) Any interested person may, after the expiry of three years from the date of issuance of a certificate of registration of a variety make an application to the Authority, in the Form **PV-28** of the **First Schedule** along with the fee specified under the **Second Schedule** under sub-section (1) of section 47 for grant of compulsory license.

(2) The application for compulsory license under sub-section (1) shall -

(a) specifies particulars of variety denomination, generic and specific name of the variety or varieties concerned,

(b) contain the grounds for issue of compulsory license with supporting documents, and

(c) be supported by -

i) qualification, technical and financial capabilities of the person making such request with evidence,

ii) particulars of the holder of the right to the variety,

iii) written evidence that the person, making such request, has exhausted all measures for voluntary license.

(3) If after considering the application under sub-rule (1), the Authority is satisfied that a prima facie case has not been made for grant of compulsory license, it shall notify the applicant accordingly.

(4) On receipt of an application for grant of compulsory license under sub-rule(1), the Authority shall serve notice to the breeder of such variety or his assignee or registered agent inviting his opposition within one month from the receipt of such notice.

(5) On receiving a notice under sub-rule(4), the registered breeder or his assignee or registered agent may give notice of opposition in **Form PV-29** of the **First Schedule,** which shall be supported by documentary proof to substantiate the ground or grounds of opposition.

(6) If after giving an opportunity to both the parties of being heard, the Authority is satisfied that there is a need for the grant of compulsory license, he may order the breeder or his assignee or registered agent to license the variety on such terms of royalties and other remuneration as it may deem fit.

72. Manner of making material available under section 50 - .

The Authority shall make available to the licensee of such compulsory license, the reproductive material of the licensed variety from the Gene Bank or any other centre, including the initial breeder of such variety.

73. Revocation of compulsory license under section 52 -

1 (a) Any person in respect of compulsory license aggrieved may, under sub-section (1) of section 52, make an application in **Form PV-30** of the **First Schedule** to the Authority, for revocation of compulsory license on any of the grounds specified in sub-section (1) of section 47 or section 52.

(b) The application under sub-rule(1), shall be supported by evidence.

2. The Authority on its own motion or on receipt of the application from the aggrieved person under sub-rule(1), may give notice to the licensee.

3. The licensee may file an opposition to an application under sub-rules (1) or a proceeding under sub-rule(2), in **Form PV-31** of **First Schedule** with the Authority,

4. The Authority shall after considering the opposition filed under sub-rule (3) and after giving an opportunity to the licensee of being heard passing an order of revocation or refuse to grant such order.

CHAPTER VIII
FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

74. Financial and administrative powers of the Chairperson under section 63 -

(1) The Chairperson shall exercise such financial and administrative powers over the functions of the Authority as are exercisable by a Head of Department under the General Financial Rules in accordance with the accounts and financial rules of the Government of India.

(2) The Chairperson may, delegate such financial and administrative powers in writing as he may deem fit, to a member or any subordinate officer of the Authority not below the rank of a Registrar or equivalent subject to the condition that the member or officer so authorised shall, write exercise such delegated powers continue to be under the direction, control and supervision of the Chairperson.

IndiaCode

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

75. Manner of authorising registered agent or registered licensee under section 81 -

(1) A breeder of a variety or it's propagating material or essentially derived variety or it's propagating material registered under the Act, may make an application under section 81, in **Form PV-32** of the **First Schedule,** for authorising the registered agent or registered licensee or his assignee to institute appropriate proceedings in any court of law on his behalf.

(2) Where any authorization has been made under sub-rule (1), the service upon the agent of any document relating to any proceeding or matter under the Act or these rules shall be presumed to be a service upon the person so authorizing him; and all communications directed to be made to a person in respect of any proceeding or matter may be addressed to such agent, and all appearances before the Authority relating thereto may be made by or through such agent.

(3) Notwithstanding any thing contained in sub-rules (1) and (2), the Authority may, if it considers necessary, require the signature or presence of an applicant, opponent or party to such proceeding or matter.

76. Manner of issuing certified copy under section 84 -

Any interested person may, under section 84, make an application in **Form PV-33** of the **First Schedule,** along with fee specified in the **Second Schedule,** to the Authority or Registrar for obtaining certified copies of any entry in the Register, certificates or extracts of plant variety application or other records maintained by the Authority and any document required in any proceedings under this Act and pending before such Authority or Registrar; and he may make a request in similar manner and for similar purpose to inspect such entry or document.

First Schedule
{See rule 3(1)}

Forms

Form number (1)	Sections And Rules (2)	Title (3)
PV 1	Section 16(1) (e) and Rule 25	Application for authorization
PV 2	Section 18(3) and Rule 27 (2)	Proof of Right to file Application
PV 3	Section 21(2) and Rule 31	Notice of Opposition
PV 4	Section 21(4) and Rule 31(5)	Counter-Statement
PV 5	Section 21 and Rule 33(4)	Request for Extension of Time
PV 6	Section 24(6) and Rule 39	Renewal of Registration
PV 7	Section 26(2) and Rule 41	Benefit Sharing Application
PV 8	Section 26(3) and Rule 42	Notice of Opposition
PV 9	Section 28(4) and Rule 45	Registration as an Agent or Licensee
PV 10	Section 28(9) and Rule 48	Application for Variation/Cancellation of the term of Registration
PV 11	Section 28 (10) and Rule 49	Notice of Opposition against variation/ cancellation of the term of Registration
PV 12	Section 33(1) and Rule 50	Application to Surrender the Certificate of Registration of a Plant Variety

IndiaCode

(1)	(2)	(3)
PV 13	Section 33(3) and Rule51 (2)	Notice of Opposition for offer to surrender the Certificate
PV 14	Section 33(4) and Rule 51(4)	Notice of Intention to attend Hearing
PV15	Section 34 and Ru[illegible] 52	Application to Revoke Certificate of Registration
PV16	Section 34 and Rule 53	Notice of Opposition to application to Revoke Certificate of Registration
PV 17	Section 34 and Rule 53(4)	Application for an opportunity of being heard
PV 18	Section 36(1) and Rule 55	Application for Cancellation or Change of the Certificate of Registration of a Plant Variety
PV 19	Section 36(2) and Rule 57	Application for correction in National Plant Variety Register
PV 20	Section 36(4) and Rule 59	Notice of Opposition for Application for correction in National Plant Variety Register
PV 21	Section 37(1) and Rule 60	Application for correction in National Plant Variety Register by Owner/ Breeder
PV 22	Section 37 (2) and Rule 62	Application for correction in National Plant Variety Register by Registered Agent or Licensee
PV 23	Section 38(1) and Rule 64	Application to alter Denomination of a Registered Plant Variety

(1)	(2)	(3)
PV 24	Section 38(2) and Rule 65	Notice of Opposition to Application to Alter Denomination of a Registered Plant Variety
PV 25	Section 39(2) and Rule 66	Application for Claiming Compensation
PV26	Section 39(2) and Rule 67(2)	Notice of Opposition to Application for Claiming Compensation
PV27	Section 41(3) and Rule 68	Notice of opposition to application for claiming compensation
PV 28	Section 47(1) and Rule 71(1)	Application for grant of compulsory license
PV 29	Section 47(3) and Rule 71(5)	Notice of Opposition to an Application for Grant of Compulsory License
PV 30	Section 52(1) and Rule 73(1)	Application for Revocation of Compulsory License
PV 31	Section 53 and Rule 73(3)	Notice of Opposition for Application for Revocation of Compulsory License
PV 32	Section 81 and Rule 75(1)	Form of Authorization to Institute Suit.
PV 33	Section 84 & Rule 76	Request for Certified Copy

IndiaCode

Second Schedule
(see rule 8)
FEE

Serial number (1)	Fees payable on matters (2)	Amount of fee (3)	Form number (4)
1.	Conducting Tests	Dependent on the nature and type of test subject to a maximum of Rs. 50,000/- per entry	-
2.	Notice of Opposition	Rs 1500/-	PV 3
3.	Extension of Time	Rs. 1500 per month	PV5
4.	Fees for Registration of Essentially Derived Varieties	Individual-5000 Educational-7000 Commercial-10000	-
5.	Renewal Fee	Individual-5000 Educational-7000 Commercial-10000 Per year	PV 6
6.	Application for Benefit Sharing	Rs 5000	PV 7
7.	Application for Registering as Agent /Licensee	Rs 10000	PV 9
8.	Application for variation/ cancellation of the terms of Registration	Individual-3000 Educational-5000 Commercial-7000	PV10
9.	Notice of Opposition to Application for variation/cancellation of terms of Registration	Rs.1500/-	PV 11

IndiaCode

Third Schedule
{See rule 2(c)}

Forms To Be Used By Registrar And The Central Government

Form number	Sections and Rules	Title
O-1	Section 21(1) and Rule 30	Form of advertisement
O-2	Section 23 (8) and 24(2) and Rule 36, 37	Certificate of registration
O-3	Section 24(3) and Rule 38	Notice for non completion of registration
O- 4	Section 26(7) and Rule 44	Reference to District Magistrate for collection of benefit sharing amount
O- 5	Section 28 (4) and Rule 47	Certificate of registration as agent/ licensee
O-6	Section 28(10) and Rule 49	Notice to breeder/agent/ licensee
O-7	Section 33(2) and Rule 51	To notify offer made for surrender of registered variety
O-8	Section 34 and Rule 53	Notice of application for revocation of registered variety
O-9	Section 36(4) and Rule 59	Change in National Register
O-10	Section 37(2) and Rule 63	Correction in National register
O-11	Section 38(2) and Rule 65(3)	Advertisement of Alteration in Denomination
O-12	Section 41(3) and Rule 68	Notice for change in Denomination

Fourth Schedule

{See rule 20(1)}

Sl. No (1)	Name of post (2)	Number of posts (3)	Equivalent Post under the Central Government (4)	Scale of pay (5)	Qualifications and experience (6)
1	Financial Advisor	1	Director	14,300 – 18,300	A Degree from a recognized University or equivalent at least eight years experience in financial/Accounts management.
2	Legal Advisor	2	Deputy Secretary	10,000 – 15,200	An Advocate at least eight years practice as such and having special knowledge in Intellectual Properties, Management and Transactions.
3	Senior Accounts Officer	1	Under Secretary	10,000 – 15,200	A Degree in Commerce from a recognized University or equivalent with at least eight years experience as an Accounts Officer.
4	Accounts Officer	1	Assistant Director	8000-13,500	A Degree in Commerce or Economics as one of the subject at Degree level from a recognized University with at least six years experience on accounts related matters.
5	Technical Assistant	6	Technical Assistant	5,500-9,000	A Degree in Agricultural Science or allied field like botany or biotechnology with at least 4 year experience in plant varietal improvements and seed development activities.
6	Computer Assistant	5		5,500-9,000	A Degree from a recognized University in Computer Applications and at least one year experience in Data Base Management.

indiacode

FORM - PV-1
{See rule 25}

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

AUTHORIZATION FORM

I/ We [1] _____

hereby authorise [2] _____

to act on my/our behalf in connection with filing of new variety/ essential derived variety/extant variety in respect of [3] _____

and request that all notices, requisitions and communication relating thereto may be sent to such person(s) at the above address(es) unless otherwise specified.

I/We hereby revoke all previous authorization, if any made, in respect of same matter or proceeding

Dated this day of/200..

Signature(s) & name of person(s) making this authorisation along with the designation and/or official seal, if any.

To,

The Registrar
The Plant Varieties Registry

At.....

Note :-

No Fee

1.Insert the Name(s) (in full), address(es) and nationality of the person (s) making this authorization.

2.Insert Name(s) (in full), address(es) and nationality of the person(s) authorized.

3. Name (common/botanical)of the plant variety, and crop.

FORM - PV 2

[See rule 27(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

PROOF OF RIGHT TO MAKE APPLICATION

I/We[1]

.....

referred to in this application as claiming to be the breeder or plant variety right holder hereby declare that the applicant(s) who has/have signed this application is/are my/our assignee(s) or successor(s).

I/we hereby enclose herewith the following documents as requied under rule 27(2):-

1. _____
2. _____
3. _____

I/we hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Dated--------this.....day of200

Signature[2]

Signatures of two witnesses along with their names and address :

1.

2.

I/We also hereby declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief.

Dated--------this.....day of200

Signature

Note :- Strike out whichever is imapplicable.

To

The Registrar

The Plant Varieties Registry

At

1. Insert (in full) name, address and nationality.
2. To be signed by the Breeder or true Plant Variety Right holder(s)

IndiaCode

FORM - PV3
[See rule 31(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION

I/We[1],hereby give notice of opposition, to the application for registration of plant variety registration No.[2], published on for the following reason(s) : -

1.....

2.....

3.....

Dated this Day of 200.....

(Signature)[3]

To,
The Registrar
Plant Varieties Registry
At.....

1. Name, address and nationality of the person(s) filing notice of opposition
2. Registration number as advertised
3. Signature of the person(s) filing notice of opposition

I/We hereby declare that the facts and matter stated herein are true to the best of my/our knowledge, information and belief.

Dated this Day of 200.....

(Signature)[2]

IndiaCode

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry
At

Strike out whichever is imapplicable

1. State the name(in full), address and nationality.

2. To be signed by the Applicant(s)

FORM - PV 4
[See rule 31(5)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

FORM OF COUNTER-STATEMENT

In the matter of opposition to the application No.....for the registration of a plant variety having registration No..... , published on

I/We [1]..... the applicant(s) for registration of the above plant variety hereby give notice that the following are the grounds on which I/we rely for my/our counter statement: -

1.....

2.....

3.....

I/We admit/ disagree with the following claims/allegations/contentions in the notice of opposition

All communications in relation to these proceedings may be sent to the following address in India :-[2]

.....

Dated this day of 200.....

[3].....

To

The Registrar

The Plant Varieties Registry

At ———

No Fee :

1. Insert the Name(s) (in full), address(es) and nationality of the person(s) making this authorization.
2. Insert Name(s) (in full), address(es) and nationality of the person(s) authorised.
3. Signature of the applicant or his agent or assignee.

FORM – PV 5
[See rule 33(6)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

REQUEST FOR EXTENSION OF TIME

I/we[1] _____

hereby request for extension of time for -------- months under rule 33 for filing notice of opposition/evidence/counter statement.

In respect of application No----------.

IndiaCode

The reasons for making this application is/are as follows:-

1. ----------

2. ----------

My/address for service in India is as follows:-

Dated this..... day of, 20

Signature[2]

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry
At

1. **Insert the Name (in full), address and nationality of the Applicant.**

2. **To be signed by the Applicant(s).**

FORM – PV 6
[See rule –39(1)(b)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION OF PLANT VARIETIES

I/we[1]..... apply for the renewal of the plant variety registration No. dated in respect of the plant variety[2], having denomination

IndiaCode

The notice of renewal of the registration may be sent to the following address in India :-

.....

Dated this day of 20.....

Signature[3]

To

The Registrar

The Plant Varieties Registry

At

1. Insert the full name with surname and address of the applicant(s).
2. Name of the registered plant variety
3. Signature of the applicant(s)

FORM - PV 7
[See rule 41(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR BENEFIT SHARING

I/we[1], hereby apply that my/our name(s) may be registered as person(s) entitled to benefit sharing in respect of the plant variety, registration No.

The grounds for my/our being entitled to benefit sharing are given below :-

1.

2.

IndiaCode

The details of the plant variety in respect of which I/we am/are claiming benefit sharing are as follows[2] :-

Plant Variety, of which the registration Number is

And in proof of my/our entitlement to benefit sharing whereof I/we transmit the accompanying documents[3] with a certified copy thereof.

My/our address for service in India is[4]

.....

Dated thisday of 200.....

(Signature)[5]

IndiaCode

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry
At

1. State full Name and address as stated in the application for registration.
2. Name (common/botanical) of the plant variety and crop.
3. Specify the particulars of such documents, giving its date, and parties to the same and showing how the claim made is substantiated.
4. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry.
5. Signature of the Applicant or of his agent or assignee.

FORM – PV 8
[See rule 42(4)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR BENEFIT SHARING

I/We[1] hereby give notice of opposition to the Application for benefit sharing made by/on behalf of[2]..... and in respect of the registered plant variety....., registration No..... dated

The grounds on which the said application for benefit sharing is opposed are as follows:-

1.

2.

3.

In support of my/our opposition, I/we hereby enclose herewith copies of the following documents :-

1.

2.

3.

My/our address of service in India is

Dated this day of 200.....

Signature[3]

To

The Registrar

The Plant Varieties Registry

At.....

IndiaCode

Strike out whichever is inapplicable

1. Insert the name (in full), address and nationality of the Applicant
2. The name(s) of the person(s) who has filed benefit sharing application
3. To be signed by the Applicant(s)

FORM - PV 9
(See rule 45(1))

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR REGISTRATION AS AN AGENT OR LICENSEE

I/We[1] hereby apply for registration as an agent or licensee under sub-section (4) of section 28 of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Act, 2001.

I/We hereby declare that I/we am/are an authorized agent or licensee in respect of the plant variety[2].....,registration No..... and that I/we am/are fully eligible to be a registered agent or licensee under section 28 of the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act, 2001 (53 0f 2001) and the rules made therein. Given below is my/our particulars:-

1. Name in full beginning with surname (in capital letters).....

2. Address of the place of residence

3. Father's Name

4. Nationality

5. Date and place of birth

6. Occupation in full

7. Principal place of business

8. Address of the branch office, if any

9. Documents enclosed [3]

1.

2.

I/we also hereby declare that the information given above are true to the best of my /our knowledge and belief.

Dated this day of 200...

[5]
SIGNATUTRE

[4]

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry
At

1. Insert Name(in full), address and nationality of the persons entitled to benefit sharing.

2. Denomination, variety, registration number and other details of the plant variety(ies) in respect of which benefit sharing is claimed.

3. Specify the particulars of such documents, giving its date and parties to the same and showing how the claim made is substantiated.

4. Full address of the persons) who has/have the claim for benefit sharing.

5. To be signed by the Applicant(s) or authorised licensee(s) or agent(s) or legal successor(s) or assignee(s).

FORM - PV 10
[See rule 48]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR VARIATION/CANCELLATION OF THE TERMS OF REGISTRATION

I/We[1] hereby declare -

1. that I/We..... is/are registered breeder (s)/licensee/agent of the plant variety, registration No.....;

2. that the registration of the plant variety was done by an order of the Registrar dated,

3. that the grounds for variation or cancellation of the terms of registration are as follows :-

a.....

b.....

I/we hereby declare that the terms and conditions of the registration certificate may be cancelled/revised as follows :-

.....

I/we hereby declare that the facts and matter stated herein are true to the best of my/our knowledge, information and belief.

Dated this day of 200...

Signature [2]

To

The Registrar

The Plant Varieties Registry

At

1. Insert Name(in full), address, and nationality.

2. To be signed by the Breeder or true Plant Variety Rights Holder(s).

IndiaCode

FORM - PV 11
(See rule 49)

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR VARIATION OR CANCELLATION OF REGISTRATRION

I/We[1] hereby give notice of opposition to the application for variation/cancellation of the terms of the plant variety registration No..... dated for the plant variety, having denomination

The grounds on which the said application is opposed are as follows: -

1.

2.

3.

My/our address of service in India is

Dated this day of 200.....

Signature [2]

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry

At

IndiaCode

FORM PV-12
[See rule 50]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION OF OFFER TO SURRENDER THE CERTIFICATE OF REGISTRATION BY THE REGISTERED BREEDER OF THE PLANT VARIETY.

In the matter of plant variety, of crop....., having registration No..... registered in the name of application is hereby made by[1] I/We..... being the registered proprietor(s) or successor of the registered breeder [5] of the above mentioned registered plant variety to surrender his certificate of registration in circumstances that are stated fully in the accompanying statement.

All communications relating to this application may be sent at the following address [2]

Dated this date of 20.....

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry

At [4]

1. Insert the name(s) of the person making this application.
2. Address of the person making this application.
3. Signature of the applicant or its agent.
4. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry
5. Strike out whichever is not necessary.

IndiaCode

FORM PV-13
[See rule 51 (2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION FOR OFFER TO SURRENDER OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PLANT VARIETY

In the matter of application for offer to surrender of certificate of registration, of plant variety, of crop....., having registration No..... I/We [2] who is/are the registered agent or licensee[7], hereby give notice of my intention to oppose the surrender of certificate, notice of which was received by me, dated the day of 20..... sent by the Registrar of Plant Variety.

The written statement stating the facts and grounds of opposition are as follows: -
[3]
.....

All communications in relation to these proceedings may be sent to the following address in India
[4]
.....

Dated this day of 20...

[5]
.....

To
The Registrar of Plant Variety
The Office of the Plant Variety Registry at
[6]
.....

1. Name of the breeder or the successor of the plant variety making an application for surrender of plant variety.
2. Name of the opponent making this application.
3. Written statement setting out the nature of the opponent's interest, the facts upon which he bases his case and the relief, which he seeks. The opponent may furnish any documents upon which the opponent relies on as annexure to this notice of opposition.
4. Name and address of his principal place of business or residence
5. Signature of the person making this application for opposition or his agent.
6. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry.
7. Strike out whichever is not necessary.

IndiaCode

FORM PV-14
[See rules 51(4)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF INTENTION TO ATTEND HEARINGS

In the matter of the application made under section[1] dated day of 20 I/We[2] being the applicant or the opponent[6] hereby making an application to the Registrar to provide an opportunity of being heard in reference to the above matter. It is requested that the time and place of the hearing be kindly intimated to me in the following address

[3]

Dated this day of20.....

[4]

To

The Registrar of Plant Variety
The Office of the Plant Variety Registry at[5]

1. Insert particulars such as section No, form No and also the name of the applicant making an application for surrender.
2. Insert name of the person making this notice.
3. Address of the person giving this notice.
4. Signature of person giving the notice or of his agent.
5. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry
6. Strike out whichever is not necessary.

FORM PV-15
[See rule 52]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR REVOCATION OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION OF THE PLANT VARIETY REGISTERED UNDER THIS ACT BY ANY PERSON.

In the matter of plant variety, of crop....., having registration No..... registered in the name of application is hereby made by[1] being the *.....[2] of the above mentioned registered plant variety for revocation of the certificate on one of the following grounds and in circumstances that are stated fully in the accompanying statement.

1. that the grant of certificate of registration has been based on incorrect information furnished by the applicant.

2. that the certificate of registration has been granted to a person who is not eligible for protection under this Act.

3. that the breeder did not provide the Registrar with such information, documents or materials as required for registration under this Act

4. that the breeder has failed to provide an alternative denomination of the variety which is the subject matter of the registration to the Registrar in case where the earlier denomination of such variety provided to the Registrar is not permissible for registration under this Act

5. that the breeder did not provide the necessary seeds or propagating material to the person to whom compulsory licence has been issued under section 47 regarding the variety in respect of which registration certificate has been issued to such breeder.

6. That the breeder has not complied with the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder.

7. That the breeder has failed to comply with the direction of the Authority issued under this Act.

8. That the grant of certificate of registration is not in the public interest.

All communications relating to this application may be sent at the following address [3]

.....

Dated this date of 20.....

[4]

To

The Plant Varieties Authority/Registry

At[5]

1. Insert the name of the applicant.
2. Nature of relationship of the applicant with the registered plant variety.
3. Address of the applicant
4. Signature of the applicant or his agent.
5. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry

FORM PV-16
[See rule 53 (2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO OPPOSE THE REVOCATION OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PLANT VARIETY

In the matter of application for revocation of certificate of registration by[1] I/We [2] who is the registered breeder, hereby give notice of my intention to oppose the revocation of certificate, of plant variety, of crop....., having registration No..... notice of which was received by me, dated the day of 20..... sent by the Registrar of plant variety.

The written statement stating the facts and grounds of opposition are as follows: -
[3]

All communications in relation to these proceedings may be sent to the following address in India.
[4]

Dated this date of 20....

Signature [5].....

To
The Registrar of Plant Variety
The Office of the Plant Variety Registry at
[6]

1. Name of the person making an application for revocation of plant variety.
2. Name of the registered breeder.
3. Written statement setting out the nature of the opponent's interest, the facts upon which he bases his case and the relief, which he seeks. The opponent may furnish any documents upon which the opponent relies on as annexure to this notice of opposition.
4. Name and address of his principal place of business or residence
5. Signature of the person making this application for opposition or his agent.
6. State the name of the place of the appropriate office of the plant variety registry.

IndiaCode

FORM PV-17

[See rules 53(4).]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR AN OPPORTUNITY OF BEING HEARD

In the matter of the application made under section[1] dated day of 20 I[2] the applicant or the opponent[6] hereby making an application to the Registrar to provide an opportunity of being heard in reference to the above matter. It is requested that the time and place of the hearing be kindly intimated to me in the following address [3]

.....

Dated this day of20.....

Signature [4].....

To

The Registrar of Plant Variety
The Office of the Plant Variety Registry at[5]

1. Insert particulars such as section No., form No. and also the name of the applicant making an application for revocation.
2. Name of the person making this notice.
3. Address of the person giving this notice.
4. Signature of person giving the notice or of his agent.
5. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry
6. Strike out whichever is not necessary.

FORM PV-18

[See rule 55(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION BY ANY PERSON FOR CANCELLATION OR CHANGE OF ANY TERMS OF REGISTRATION OF THE PLANT VARIETY REGISTERED UNDER THIS ACT.

In the matter of plant variety, of crop....., having registration No..... registered in the name of application is hereby made by[1] being the registered breeder or registered agent or registered licensee or any other person[5] of the above mentioned registered plant variety to cancel or change the terms of registration on any of the following grounds and in circumstances that are stated fully in the accompanying statement.

1. contravention of the provisions of the Act.
2. failure to observe a condition subject to which such registration certificate is issued

All communications relating to this application may be sent at the following address[2]

.....

Dated this day of 200.....

Signature [3].....

To
The Registrar
The Plant Varieties Registry

At [4]

1. Insert the name of the person making this application.
2. Address of the person making this application.
3. Signature of the person making tl is application or his agent.
4. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry
5. Strike out whichever is not necessary.

FORM PV-19
[See rule 57]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION BY ANY PERSON FOR MAKING, EXPUNGING OR VARYING THE ENTRY IN THE REGISTER OF PLANT VARIETY

In the matter of plant variety, of crop....., having registration No..... registered in the name of application is hereby made by[1] being the registered breeder or registered agent or registered licensee or any other person [5] of the above mentioned registered plant variety for making, expunging or varying the entry in the register of plant variety on any of the following grounds and in circumstances that are stated fully in the accompanying statement.

1. absence or omission from the register of any entry.

2. entry made in the register with sufficient cause.

3. entry wrongly remaining in the register.

All communications relating to this application may be sent at the following address[2]

Dated this day of 20.....

Signature [3]

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry

At [4]

1. Insert the name of the person making this application.
2. Address of the person making this application.
3. Signature of the person making this application or his agent.
4. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry
5. Strike out whichever is not necessary.

FORM PV-20
[See rule 59 (2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION FOR EITHER CANCELLATION OR CHANGE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OR MAKING, EXPUNGING OR VARYING THE ENTRY IN THE REGISTER OF PLANT VARIETY BY THE REGISTRAR.

In the matter of the notice received dated.....for[1] by the Registrar of plant variety bearing registration No..... of crop.....

I/We [2] hereby give notice of my intention to oppose[3]

The written statement stating the facts and the grounds of opposition are as follows[3]: -

All communications in relation to these proceedings may be sent to the following address [4]

Dated this day of 20.....

Signature [5].....

To

The Registrar of Plant Variety
The Office of the Plant Variety Registry at
[6]

1. The intention of the Registrar for cancellation or change of certificate of registration or making, expunging or varying the entry in the register of plant variety.
2. Name of the person making this notice of opposition.
3. Written statement setting out the nature of the opponent's interest, the facts upon which he bases his case and the relief, which he seeks. The opponent may furnish any documents upon which the opponent relies on as annexure to this notice of opposition.
4. Address of the opponent.
5. Signature of the person giving notice or of his agent.
6. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry.

IndiaCode

FORM PV-21
[See rule 60]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR CORRECTION OF REGISTER BY THE REGISTERED BREEDER.

In the matter of plant variety, of crop....., having registration No..... registered in my name i.e[1] application is hereby made by me for making correction to the register of plant variety on any of the following ground(s):

1. Correct any error in the Register in the name, address or description of such breeder or any entry relating to such variety.

2. Enter in the Register any change in the name, address or description of such breeder.

3. Cancel the entry in the Register of the variety in respect of which such application is made; and may make any consequential amendments or alteration in the certificate of registration and for that purpose requires the certificate of registration to be produced to him.

All communications relating to this application may be sent at the following address [2]

Dated this day of 20.....

[3]

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry

At [4]

1. Insert the name of the person making this application (registered breeder).
2. Address of the person making this application (registered breeder).
3. Signature of the registered breeder or its agent.
4. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry

FORM PV-22
[See rule 62]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR CORRECTION OF REGISTER BY THE REGISTERED AGENT OR THE REGISTERED LICENSEE

In the matter of plant variety, of crop....., having registration No..... registered in the name of application is hereby made by[1] being the registered licensee/ registered agent [6] of the above mentioned registered plant variety to make correction on any of the following grounds and in circumstances that are stated fully in the accompanying statement.

1. correct any error.

2. enter any change, in the name, address or description of the registered agent.

3. enter any change, in the name, address or description of the registered licensee.

All communications relating to this application may be sent at the following address [3]

Dated this day of 20.....

Signature [4].....

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry

At [5]

1. Insert the name of the person making this application.
2. Reasons of making this application i.e. either to correct any error or enter any change, in the name, address or description of the applicant.
3. Address of the person making this application.
4. Signature of the applicant.
5. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry
6. Strike out whichever is not applicable.

IndiaCode

FORM - PV-23
[See rule 62]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

ALTERATION OF DENOMINATION

I/ We [1] _____ _____

here by request to add/delete/alter the denomination of a registered variety----------,

of crop----------,having registration No----------,published on----------

The existing denomination is----------. The denomination when altered will appear as----------.

All notices, requisitions and communication relating thereto may be sent to the following address:

Dated this----------day of --------20---.

Signature [2]

To,

The Registrar

The Plant Varieties Registry

At.....

Strike off whichever is inapplicable

1. Insert the Name(s) (in full), address (es) and Nationality of the breeder/his legal representative/assignee.

2. Signature and Name of the person(s), with official seal, if any, making this application.

IndiaCode

FORM – PV 24
[See rule65(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO THE ALTERATION IN DENOMINATION

I/We[1] _____

hereby give notice of opposition, to the proposed change in the denomination of registered plant variety_____ of the crop_____ having registration No.[2], published on for the following reason(s) : -

1. _____

2. _____

I/we enclose the following evidence(s) to substantiate my/our statement.

Dated this day of 20.....

Signature[3]

To,
The Registrar
Plant Varieties Registry
At.....,

1. Name, address and nationality of the person(s) filing notice of opposition
2. Registration number as advertised
3. Signature and Name, with official seal, if any, of the person(s) filing Notice of Opposition

IndiaCode

FORM – PV-25
[See rule 66(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR COMPENSATION

I/we[1] _____ her by request that I/we may be compensated in respect of the plant variety _____of the crop_____, having registration No_____ and denomination_____, for failure of propagating material to perform as per stipulated expectation under given conditions .

In support of my/our entitlement to compensation, I/we are enclosing the following evidence(s)[2]

1_____

2_____

My/our Address for service is

Dated thisday of 20.....

Signature[3]

To

The Authority,
The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

1. Insert name (in full), address and nationality of persons making request for compensation

2. Specify the particulars of evidences showing how the claim made is substantiated.

3. To be signed by the Applicant(s) along with the name(s), and official seal, if any.

IndiaCode

FORM – PV-26
[See rule 67(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR COMPENSATION

I/We[1] _____ hereby give notice of opposition to the application for compensation made by/on behalf of[2] _____ in respect of the registered plant variety _____ of crop _____, having registration No _____ dated _____.

The grounds on which the said application for compensation is opposed are as follows:-

1.

2.

3.

In support of my/our opposition, I/we hereby enclose herewith certified copies of the following documents:-

1.

2.

3.

My/our address of service in India is

Dated this day of 20...

To **Signature**[3].....

The Authority

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

Strike off which ever is inapplicable

1. Insert the name(in full), address and nationality of the applicant
2. The Name(s) of the person(s) who has filed an application for compensation
3. To be signed by the Applicant(s)

IndiaCode

FORM – PV-27
[See rule 68(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR COMPENSATION

I/We[1]_____ hereby give notice of opposition to the application for compensation made by/on behalf of[2]_____ in respect of the registered plant variety_____ of crop_____; having registration No_____ dated _____.

The grounds on which the said application for compensation is opposed are as follows:-

1..

2.

3.

In support of my/our opposition, I/we hereby enclose herewith certified copies of the following documents:-

1.

2.

3.

My/our address of service in India is

Dated this day of 20....

Signature[3].....

To

The Authority

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

Strike off whichever is inapplicable

1.Insert the name(in full), address and nationality of the Applicant

2.The Name(s) of the person(s) who has filed an application for compensation

3.To be signed by the Applicant(s)

IndiaCode

FORM - PV-28
[See rule71(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

Grant of Compulsory License

I/We[1],----------

hereby apply for the grant of compulsory license for plant variety----------,of crop----------, having registration No----------,published on---------- on the following grounds, namely: -

1. the reasonable requirements of the public for seeds or other propagating material of the variety have not been satisfied,
2. the seeds or propagating material of the variety not available to the public at reasonable price.

The documentary evidence in support of my/our interest and the facts stated above and copies thereof are herewith enclosed: -

1.....
2.....
3.....

I/We declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/out knowledge, information and belief.

My/Our address for service in India is

Dated thisday of.....20.....

Signature[2].....

To

The Authority
Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

Strike off whichever is inapplicable.

1. State the name (in full), address and nationality of the Applicant(s).

2. To be signed by applicant(s) or if the applicant(s) is/are absent from India by authorised patent agent.

IndiaCode

FORM – PV-29
[See rule71(6)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR COMPULSORY LECENSE

I/We[1]_____ hereby give notice of opposition to the application for compulsory license made by/on behalf of[2] _____ in respect of the registered plant variety_____ of crop_____, having registration No_____ dated _____

The grounds on which the said application for compensation is opposed are as follows:-

1. _____
2. _____
3. _____

In support of my/our opposition, I/we hereby enclose herewith certified copies of the following documents:-

1. _____
2. _____
3. _____

My/our address of service in India is

Dated this day of 20....

Signature[3].....

To

The Authority

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

Strike off whichever is inapplicable

1. Insert the name(in full), address and nationality of the applicant
2. The Name(s) of the person(s) who has filed an application for compulsory license
3. To be signed by the applicant(s)

IndiaCode

FORM – PV-30
[See rule 73(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

AN APPLICATION FOR REVOCATION OF COMPULSORY LICENSE

I/We[1]---------- hereby request for revocation of compulsory license granted to[2]---------- in respect of plant variety----------, of crop----------,having registration No -----------,dated-------,for the following reasons:

1. Violation of terms and conditions of compulsory license
2. Inappropriate to continue license in public interest

The certified copies of all the documents are enclosed here with in support of my/our grounds for revocation.

I/We declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/our knowledge, information and belief.
My/Our address for service in India is

Dated this day of 20....

Signature[3].....

To

The Authority

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

Strike off whichever is inapplicable

1. Insert the name(in full), address and nationality of the applicant
2. The Name(s), address and nationality of the person(s), who has been granted compulsory license
3. To be signed by the applicant(s)

IndiaCode

FORM – PV-31
[See rule73(3)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR REVOCATION

I/We[1]_____ hereby give notice of opposition to the application for revocation for grant of compulsory license made by/on behalf of[2]_____ in respect of the registered plant variety_____ of crop_____, having registration No_____ dated _____.

The grounds on which the said application for the revocation of grant of compulsory license is opposed are as follows:-

(1)

(2)

(3)

In support of my/our opposition, I/we hereby enclose herewith certified copies of the following documents:-

(1)

(2)

(3)

My/our address of service in India is

Dated this day of 20....

Signature[3].....

IndiaCode

To

The Authority

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

Strike off whichever is inapplicable

1 Insert the name(in full), address and nationality of the applicant/licensee

2. The Name(s) of the person(s) who has filed an application for revocation

3. To be signed by the applicant(s)

FORM – PV-32
[See rule 75(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

FORM OF AUTHORISATION TO INSTITUTE SUIT

In the matter of plant variety————, of crop————, having registration No-————, published on ————,

I/We[1]———— **hereby**

authorize[2]————**to act on**

my/our behalf in connection with[3]———— **and**

request that all notices, requisitions and communications relating thereto may be sent to such agent/licensee at the above address.

I/We hereby revoke all previous authorizations, if any made, in respect of the same matter or proceedings.

Dated this day of 20....

Signature[4].....

(Name and official seal if any)

To

The Registrar

The Plant Varieties Registry

Strike off whichever is inapplicable

1. Insert the Name (in full), address and nationality of the applicant
2. Insert the Name (in full), address and nationality of the registered agent/licensee
3. State the particular matter or proceeding for which the authorization has been given
4. To be signed by the applicant(s)

FORM – PV-33
[See rule 76]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

REQUEST FOR CERTIFIED COPIES OF ENTRIES IN THE PLANT VARIETIES REGISTER OR FOR INSPECTION OF SUCH ENTRY

In the matter of plant variety——————, of crop——————, having registration No-——————, published on ——————,

I/We[1]---------- hereby request you to furnish me/us with a certified copy of---------- and to send the certified copy on address given above.

I/We hereby request you to allow me/us to inspect entries/document---------- in respect of the above plant variety.

The purpose for which the certified copy of the entry (ies)/document is required is as follows:-

1.

2.

3.

Dated this **day** **of** **20**....

Signature[2].....

(Name and official seal if any)

To

1) The Registrar

The Plant Varieties Registry

2) The Authority

Plant Varieties and Farmers' Rights Authority

Signature [4].....

Strike off whichever is inapplicable

1. Insert the Name (in full), address and nationality of the applicant
2. Signature of the applicant
3. State the particular matter or proceeding for which the authorization has been given
4. To be signed by the applicant(s)

FORM O – 1
[See rule 30]

GOVERNEMNT OF INDIA, PLANT VARIEITIES REGISTRY

ADVERTISEMENT OF ACCEPTED APPLICATION FOR REGISTRATION

5. Application no ----------filed on---------by[1]---------- ----------
or on behalf of Mr[2].----------
for new plant variety/ extant variety/farmers, variety essentially derived variety----------, of crop--------, having denomination----------,the specification including its, drawing and or photograph(s) of which are given below, has been accepted and given registration number----------on---------

The convention application no.----------,in respect of the said variety has been filed on----------,in[3]----------.

Appropriate office for the opposition of proceeding under rule 29, of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights, 2003, Rules is [4]----------.

1. Name (in full), address/service address (with registration number, if applicable) & and nationality of the applicant.

6. Name (in full), address and nationality of the breeder (in case applicant is not the breeder)

7. Name of the convention country

8. Name of the Office.

FORM O-2
[See rules 36 and 37]

GOVERNMENT OF INDIA, PLANT VARIETY REGISTRY
CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRATION NO.——— OF 200—

IndiaCode

Whereashas declared that he has developed ———— plant variety/essentially derived plant variety and that he is the true breeder thereof (or the legal representative or assignee of the true breeder) and that he is entitled to a plant variety right on the said variety, having regard to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmer's Right Act, 2001 and that there is no objection to the registration of plant variety in favour of him.

And whereas he has, by an application, requested that registration of plant variety/essentially derived plant variety may be allowed to him for the said plant Variety;

And whereas he has, by and in his application, particularly described the various distinctive features and mentioned the denomination of the said plant variety;

Now, these presents that the above said applicant (including his legal representatives and assignees or any of them) shall, subject to the provisions of the Protection of Plant

Varieties and Farmers Rights Act, 2001 and the conditions specified in section 47 of the said Act, and to the conditions and provisions specified by any other law for the time being in force, have the exclusive right to produce, sell, market, distribute, import or export the variety for a term of-----years from the day of, 200.....and of authorizing any other person to do so, subject to the conditions that the validity of this registration is not guaranteed and that the fee prescribed for the continuance of this registration are duly paid.

In witness thereof, the Registrar has caused this registration to be sealed as of theday of200.....

Seal and Signature of the Registrar, Plant Varieties Registry

Date of Grant----------

Note: - The fees for maintenance of this registration, if it is to be maintained, will fall due on.....day ofand on the same day in every year thereafter.

FORM O-3
[See rule 38]

GOVERNMENT OF INDIA, PLANT VARIETIES REGISTRY

NOTICE OF NON-COMPLETION OF REGISTRATION

Application No.....dated.....

Notice is hereby given under rule 38 of the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Rules, 2003 that the registration of the plant variety, in respect of which application was made on the day of 200---------,has not been completed by reason of default on the part of the applicant. The applicant is directed to complete

IndiaCode

the following requirement(s) within a period of 30 days from the date of the receipt of this Notice :-

3.

4.

Unless all the above requirements are met within thirty days of the receipt of this notice, the application shall be treated as abandoned.

Dated this day of200...

SEAL AND SIGNATUTRE OF THE REGISTRAR
PLANT VARIETIES REGISTRY

FORM - O-4
[See rule 44]

GOVERNMENT OF INDIA, PROTECTION OF PLANT VARIETRIES AND FARMERS RIGHTS AUTHORITY

REFERENCE FOR RECOVERY OF BENEFIT SHARING AMOUNT

To

Reference Case No.....

Whereashas/have been asked vide Order dated..... to deposit an amount of Rs..... as Benefit Sharing amount, determined by this Authority vide the same Order issued in respect of benefit sharing application No.,with the National Gene Fund under the provisions of Section 26(6).

And whereas the said person(s) ----------R/O ---------- ---------- has/have defaulted or failed to deposit the said

benefit sharing amount for the last and whereas the said person(s) reside(s)/carries on his/their work at----------, which is within your jurisdiction.

In view of the above-mentioned default on the part of the person(s) named herein, a reference is being made herein to your office to collect the above mentioned amount of benefit sharing as an arrear of land revenue under the provisions of the

The amount realised as an arrear of land revenue pursuant to this reference, is required to be deposited with the National Gene Fund established under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 within a period of three months after realization of the said amount.

Dated this day of20

SIGNATURE WITH SEAL OF THE AUTHORITY

FORM O-S
[See rule 47]

GOVERNMENT OF INDIA THE REGISTRAR OF PLANT VARIETIES

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AGENT OR LICENCEE

NO.....

This is to certify that Shri/Smt/Ms..... R/o..... has/have been registered as an agent/licensee in respect of plant variety(ies) ----------,of crop----------, registration No..... on this day of 200...

This Certificate shall, however, be subject to the terms and conditions stipulated in the contract in respect of the above mentioned registered plant variety (ies).

SEAL AND SIGNATURE OF THE REGISTRAR

PLANT VARIETIES REGISTRY

FORM – O-6
[See rule 49]

GOVERNMENT OF INDIA, PLANT VARIETIES REGISTRY

NOTICE UNDER SECTION 28

Notice No.....

APPLICATION NO. IN RESPECT OF THE PLANT VARIETIES REGISTRATION NO.....

Whereas has/have filed an application for variation/cancellation of the terms of the registration certificate No..... in respect of the plant variety of crop-------,having denomination----------.

In view of the above, you are hereby notified to file opposition to the said application (s) with necessary documents within a period of three months from the receipt of this notice, failing which the said application shall be disposed of accordingly.

Dated this day of, 20..

SEAL AND SIGNATURE OF REGISTRAR, PLANT VARIETIES REGISTRY

FORM O-7
[See rule 51 (1)]

NOTICE OF THE OFFER TO SURRENDER THE CERTIFICATE OF REGISTRATION BY THE BREEDER OF THE PLANT VARIETY REGISTERED UNDER THIS ACT UNDER SECTION 33(2) BY THE REGISTRAR.

Registrar of Plant Variety hereby serves upon a notice to the registered agent and / or registered licensee of the application received under section 33 (1).

Copy of the application along with the accompanying statement received by the Registrar is annexed herewith.

If any person notified hereby, intends to oppose the surrender of certificate of registration, shall within 3 months of the receipt of this notification may oppose in the prescribed manner.

Dated this day of 200.....

[1]

To

(3) The Registered Agent
At: [2]

(4) The Registered Licensee
At: [2]

1. Signature of the Registrar of Plant Variety or the duly Authorized person.
4. Insert the name and address of the registered agent and/or the registered licensee
5. Strike out whichever is not necessary.

IndiaCode

FORM O-8
[See rule 53 (1)]

NOTICE OF THE APPLICATION FOR REVOCATION OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION OF THE PLANT VARIETY REGISTERED UNDER THIS ACT BY ANY PERSON UNDER SECTION 34.

Authority of Plant Variety hereby serves upon a notice to the registered breeder of the application received under section 34.

Copy of the application along with the accompanying statement received by the Registrar is annexed herewith.

If any person notified hereby, intends to oppose the revocation of certificate of registration, shall within 3 months of the receipt of this notification may oppose in the prescribed manner.

Dated this day of 20.....

To

The Registered Breeder
At.[2]

3. Signature of the Chairman of the Authority or the duly Authorized person.
4. Insert the name and address of the registered breeder and/or registered agent and/or the registered licensee.

FORM O-9
[See rule 59 (1)]

NOTICE OF THE REGISTRAR FOR EITHER CANCELLATION OR CHANGE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OR MAKING, EXPUNGING OR VARYING THE ENTRY IN THE REGISTER OF PLANT VARIETY.

In the matter of plant variety registration No..... of crop..... , registered in the name of Notice is hereby served by the Registrar of Plant Variety in the event the Registrar intends to do the following change(s) or correction(s) and in circumstances that are stated fully in the accompanying statement.

1. cancellation the certificate of registration.

2. changing the certificate of registration.

3. making, expunging or varying the entry in the Register of Plant Variety.

Dated this day of 20.....

[1].....

To

D. Registered Breeder
At[2]

E. Registered Agent
At[2]

F. Registered Licensee
At[2]

3. Signature of the Registrar of plant variety or the duly authorized person.
4. State the name and address.

FORM O-10
[See rule 63 (1)]

NOTICE OF APPLICATION FOR CORRECTION OF REGISTER BY THE REGISTERED AGENT OR THE REGISTERED LICENSEE UNDER SECTION 37 (2).

Registrar of Plant Variety hereby serves upon a notice to the registered breeder of the application received under section 37 (2).

Copy of the application along with the accompanying statement received by the Registrar is annexed herewith.

Dated this day of 200.....

[3]

To

(A) The Registered Breeder
At. [2]

3. Signature of the Registrar of plant variety or the duly authorized person.
4. Insert the name and address.

FORM O – 11
(See rule 65)

GOVERNMENT OF INDIA, PLANT VARIETIES REGISTRY

ALTERATION IN DENOMINATION

Plant Variety----------of crop--------having registration No.....dated-------

Notice is hereby given that an application to alter the denomination of plant variety----
---------of crop----------having registration No.----------dated----------was

IndiaCode

made by ----------on----------

The altered denomination as given below has been allowed.

Dated this day of200...

SEAL AND SIGNATURE OF THE AUTHORITY
PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND
FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

FORM O – 12

GOVERNMENT OF INDIA, PLANT VARIETIES REGISTRY

NOTICE FOR COMPENSATION TOWARDS COMMUNITIES' RIGHTS

Plant variety----------of crop-------having Registration No.....dated----

Notice is hereby given that the claims have been received from ----------

towards the contribution made by him/them, in the evolution of the above plant variety. The breeder/his registered agent/legal representative/assignee is directed to file any objection to such claim(s) within three months from the date of this notice.

He shall substantiate his objections to the claims by providing authenticated evidences.

He shall be given opportunity of being heard if so desired.

Dated this day of200...

[No. 1-4/2003/SD-V]

K.M. SAHNI, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.